खण्ड–518, अंक–05
शुक्रवार, 06 ज्येष्ठ, शक संवत् 1944
(27 मई, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2022)

(खण्ड-518 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-12
सत्र के दौरान सदन में मोबाइल फोन का उपयोग न करने तथा गैलरी में फोटोग्राफी न करने विषयक निर्देश	12-13
प्रश्नोत्तर (क्रमागत)	13-56
सत्र के दौरान मा0 सदस्यों के जन्मदिन पड़ने पर उन्हें बधाई देने की परम्परा की शुरुआत किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था ...	56-57
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-59
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिर्जापुर नगर में शास्त्री सेतु के समानान्तर एक फोर लेन सेतु एवं गोपीगंज तथा रामघाट पर सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थित बन्द पड़ी बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद गाजीपुर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ0 के0 के0 वर्मा द्वारा अपने पद के दुरुपयोग एवं चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में किसान मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा स्थल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61
जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह में ब्लाक-नानोता के ग्राम भोजपुर में कृष्णा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद सहारनपुर में भू-माफियाओं/दबंगों से भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद गोरखपुर के बाढ़ खण्ड-2 के अन्तर्गत श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 रामजीत सिंह द्वारा कराये गये बोल्डर आपूर्ति का लम्बित भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद संतकबीर नगर के निवासी परमवीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह का ग्राम-पंचायत घोरांग को लोक प्रेरणा से जोड़ने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के ग्राम सभा जमुहार, तहसील-चुनार में जरगो नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में सड़कों के मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64-65
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के विकास खण्ड फरीदपुर में ग्राम करपिया से गोसगंज तराई मार्ग एवं नकटिया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रकरण	65
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	65-68
प्रदेश सरकार द्वारा मा0 सदस्यों के प्रोटोकाल के सम्बन्ध में जारी किए गए शासनादेशों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	68-70
नियम-110 के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित विषय को जोड़ने का अनुरोध	70
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	70
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015, तेरहवीं रिपोर्ट 2015-2016, चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 तथा पन्द्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70-71
उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2016-2017	71

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2017-2018	71
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (पारित) ...	71-106
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)...	107-108
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)...	108-109
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित तेरह याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	109-110
डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)... ...	110-111
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित आठ याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	111
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित छः याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	112
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित बाईस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	112-114
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	115
श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	115
श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएँ (व्यपगत)	115-116
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित छः, जनपद लखनऊ से दो याचिकाएँ तथा जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	116-117
श्री दीपक कुमार मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	117-118
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	118
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	118-119

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच एवं लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	119-120
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	120
श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	120-121
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित तेईस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	121-123
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	123
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	123-124
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	124
श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	125
श्री रमापति शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	125-126
श्री रविदास मल्होत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	126
श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)	126
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	127
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	127
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	128
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित सात याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	128-129
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	130
श्री विरेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	130
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित सात याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	130-131
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	131-132
श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	132
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	132
डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	132
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	133
श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	133
श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित छः याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	133
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	134
भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन (अस्वीकृत)	134-135
भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 (पारित) ...	135-176
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन (अस्वीकृत)	176
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित) ...	176-179
संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा (स्थगित)	179-180
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	180-182

विषय	पृष्ठ-संख्या
बांदा वाया कानपुर मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	182-183
जनपद मुरादाबाद के जनपदीय अधिकारियों को आवासीय भवन के सम्बन्ध में मौ0 फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	183-185
जनपद बरेली में दूषित जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	185-186
जनपद सहारनपुर के मेडिकल कालेज में सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	186-187
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु श्री सुरेन्द्र मैथानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	187-188
विधान सभा जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम-कताना से जेड़ा झाल तक खारजा नहर की सफाई कराने विषयक ई0 सचिन यादव द्वारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य ...	188-189
जनपद गाजीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद में नवनिर्मित ट्रॉमा सेण्टर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	189-190
नत्थी क	191

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 27 मई, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-368

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — संतकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल कुमार अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
26. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
27. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
34. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
35. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
36. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
37. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
38. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
39. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
40. अशरफ अली खान, श्री — शामली
41. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
42. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
43. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
44. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
45. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
46. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
47. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
48. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
49. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
50. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
51. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
52. आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", श्री — लखनऊ
53. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव

54. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
55. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
58. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
59. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
60. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
61. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
62. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
63. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
64. ओमकुमार, श्री बिजनौर
65. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
66. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
67. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
68. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
69. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
70. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
71. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
72. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
73. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
74. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
75. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
76. कैलाश, श्री चन्दौली
77. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
78. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
79. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
80. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
81. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
82. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
83. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
84. गुलाम मोहम्मद, श्री मेरठ
85. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
86. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
87. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
88. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
89. चन्द्र प्रकाश, श्री फतेहपुर
90. चेतराम, श्री शाहजहाँपुर
91. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
92. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
93. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
94. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
95. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
98. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
99. जयमंगल, श्री महाराजगंज
100. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
101. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
102. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
103. जाहीद, श्री भदोही
104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
105. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
106. जीत लाल, श्री प्रतापगढ़
107. जैकिशन, श्री गाजीपुर
108. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
109. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
110. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
111. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
112. तूफानी सरोज, श्री जौनपुर
113. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
114. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
115. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
116. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
117. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
118. दिनेश, श्री मेरठ
119. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
120. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
121. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया

122. दुधराम, श्री बस्ती
123. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
124. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
125. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
126. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
127. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
128. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
129. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
130. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
131. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
132. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
133. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
134. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
135. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
136. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
137. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
138. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
139. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
140. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
141. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
142. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
143. पंकज, श्री जौनपुर
144. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
145. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
146. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
147. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
148. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
149. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
150. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
151. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
152. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
153. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
154. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
155. पूनम शंखवार, श्रीमती कानपुर देहात
156. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
157. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
158. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
159. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
160. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
161. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
162. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
163. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
164. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
165. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
166. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
167. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
168. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
169. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
170. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
171. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
172. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
173. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
174. बाबूराम, श्री पीलीभीत
175. बाबूलाल, श्री आगरा
176. बावन सिंह, श्री गोण्डा
177. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
178. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
179. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
180. ब्रिजेश कुमार, श्री उन्नाव
181. बेचई, श्री आजमगढ़
182. बेदी, श्री गाजीपुर
183. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
184. बृजभूषण राजपूत, श्री महोबा
185. बृजेश पाठक, श्री लखनऊ
186. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
187. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर

188. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
189. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
190. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
191. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
192. मनीष रावत, श्री सीतापुर
193. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
194. मनोज कुमार पाण्डेय , श्री रायबरेली
195. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
196. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
197. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
198. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
199. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
200. महबूब अली, श्री अमरोहा
201. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
202. महेन्द्र, श्री अमरोहा
203. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
204. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
205. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
206. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
207. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
208. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, हरदोई
209. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
210. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
211. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
212. मुकेश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
213. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
214. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
215. मेघश्याम, श्री मथुरा
216. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
217. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
218. मोहम्मद हसन रूमी, श्री कानपुर नगर
219. मो0 नासिर, श्री मुरादाबाद
220. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
221. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
222. योगेश वर्मा, श्री खीरी
223. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
224. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
225. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
226. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
227. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
228. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
229. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
230. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
231. रमेश, श्री जौनपुर
232. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
233. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
234. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
235. रवि शर्मा, श्री झांसी
236. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
237. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
238. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
239. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
240. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
241. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
242. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
243. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
244. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
245. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
246. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
247. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
248. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
249. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
250. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
251. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
252. राजमणि, श्री प्रयागराज
253. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
254. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं

255. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
256. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
257. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
258. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
259. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
260. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
261. राजेश चौधरी श्री मथुरा
262. राजेश त्रिपाठी श्री गोरखपुर
263. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
264. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
265. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
266. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
267. रामकेश निषाद, श्री बांदा
268. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
269. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
270. रामदुलार, श्री सोनभद्र
271. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
272. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
273. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
274. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
275. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
276. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
277. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
278. मोहित सोनकर राहुल बच्चा, श्री कानपुर नगर
279. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
280. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
281. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
282. लकी यादव, श्री जौनपुर
283. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
284. लक्ष्मी राज, श्री बुलन्दशहर
285. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
286. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
287. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
288. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
289. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
290. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
291. विनय कुमार, श्री गोण्डा
292. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
293. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
294. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
295. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
296. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
297. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
298. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
299. विपुल दुबे, श्री भदोही
300. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
301. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
302. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
303. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहाँपुर
304. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
305. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
306. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
307. शशांक वर्मा, श्री खीरी
308. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
309. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
310. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
311. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
312. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
313. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
314. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
315. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
316. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
317. संग्राम सिंह, श्री बलिया
318. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
319. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत

320. संजीव कुमार गोंड, श्री — सोनभद्र
321. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
322. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
323. संदीप सिंह, श्री — प्रयागराज
324. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
325. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
326. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
327. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
328. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
329. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा
330. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 — गोरखपुर
331. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
332. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
333. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
334. सर्वेश सिंह, श्री — फिरोजाबाद
335. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहाँपुर
336. साकेन्द्र प्रताप, श्री — बाराबंकी
337. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
338. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
339. सुचि, श्रीमती — बिजनौर
340. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
341. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रूखाबाद
342. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
343. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
344. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
345. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री — देवरिया
346. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
347. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
348. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहाँपुर
349. सुरेश राही, श्री — सीतापुर
350. सुशान्त सिंह, कुँ0 — बिजनौर
351. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
352. सुनील सिंह, श्री — चन्दौली
353. सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, श्री — गाजीपुर
354. सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
355. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 — मेरठ
356. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
357. सौरभ सिंह सोनू, श्री — खीरी
358. स्वामी ओउममेश, श्री — बिजनौर
359. हंसु राम, श्री — बलिया
360. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
361. हरिओम, श्री — कासगंज
362. हरिप्रकाश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
363. हरीश चन्द्र, श्री — बदायूं
364. हरेन्द्र सिंह, श्री — हापुड़
365. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — प्रयागराज
366. हाकिम लाल बिन्द, श्री — प्रयागराज
367. हिमांशु यादव, श्री — बदायूं
368. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़

नोटः- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा एवं0 उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह) तथा आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार (राज्य मंत्री) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित

प्रदेश में पॉलीथीन बैगों के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक

****1-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथीन बैगों से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पॉलीथीन बैग के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (डॉ0 अरुण कुमार)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की इकाई का पंजीकरण नहीं किया गया है। नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1058/9-7-18-29 (लखनऊ)-2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा समस्त प्रकार की निस्तारण योग्य (डिस्पोजल) प्लास्टिक कैरी बैगों एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य (डिस्पोजल आफ्टर वन टाईम यूज) कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, टम्बलर के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री उमाशंकर सिंह जी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि मैंने जो पर्यावरण के सम्बन्ध में प्रश्न लगाया है, उस पर आपने हमें अनुपूरक करने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न पर मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, बैन किया जाना है या हम बैन किये हैं। उन्होंने जी हां लिखा है, लेकिन उसके आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की इकाई का पंजीकरण नहीं किया गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, कहने का मतलब है कि यह शासनादेश वर्ष 2016 में आया है। हम आज भी देख रहे हैं कि इस तरह की सामग्रियां लगातार हमारे यहां उपयोग में आ रही हैं और जब भी अधिकारियों पर सरकार का थोड़ा-बहुत प्रेशर जाता है, तो वे छोटे-छोटे दुकानदारों, जैसे ठेले पर सब्जी बेचने वाले आदि के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, हम इस प्रश्न को पहले भी ला चुके हैं। हालांकि आपने अपने उत्तर में दिया है कि हमने वर्ष 2016 के बाद किसी को लाइसेंस नहीं दिया है, लेकिन क्या वर्ष 2016 के पहले, जिनको आपने पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस दिया था, क्या वे सारे लाइसेंस निरस्त हो गये हैं ?

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वर्ष 2016 के पूर्व कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां इसको बना रही थीं ? क्या उन सभी का लाइसेंस आपने निरस्त कर दिया ? क्या वर्ष 2016 के बाद आपने किसी को लाइसेंस नहीं दिया ? क्या आपने अपने जवाब में लिया है, तो क्या वर्ष 2016 के पूर्व दिये गये लाइसेंस आपने निरस्त कर दिये हैं, जिससे पॉलीथीन बैग का प्रोडक्शन न हो ? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में आयेगा नहीं। महोदय, छोटे लोगों पर कार्रवाई करने से ज्यादा आवश्यक है कि हम उन बड़े लोगों पर कार्रवाई करें, जो पॉलीथीन बैग का निर्माण कर रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में ऐसी कोई कम्पनी है, जो अभी पॉलीथीन बैग का उत्पादन कर रही हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

डॉ0 अरुण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहां जो नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1058/9-7-18-19 (लखनऊ)-2018।

श्री अध्यक्ष-

ये पढ़ा हुआ है। जो मा0 सदस्य ने पूछा है, वह बताइए।

डॉ0 अरुण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 से पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और जो पहले दिये गये थे, उनको भी बैन कर दिया गया है। वर्ष 2018 में यह कानून आया था, इसलिए वर्ष 2018 के बाद किसी को लाइसेंस देने का सवाल ही नहीं उठता है।

दूसरी बात यह है कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए भी एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर (रिस्पांसबिलिटी) लगायी गयी है कि वे जितना प्लास्टिक मार्केट में देंगे, जैसे दूध की थैली या अन्य थैलियां हैं, उनको कलेक्ट करके डिस्पोजल में परिवर्तित करना है, ताकि वे निष्प्रयोज्य हो जायें, ये उनकी रिस्पांसबिलिटी फिक्स की गयी है। वे इसको आमतौर पर सीमेन्ट की फैक्ट्री में करती हैं। जितना प्लास्टिक सॉलिड बेस मैनेजमेन्ट से इकट्ठा करती हैं, नगर निगम से इकट्ठा करती हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, केवल उसका जवाब दीजिए कि वर्ष 2018 से पहले की फैक्ट्रियों को आपने बन्द किया है या नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बता तो दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बात को आपकी पीठ से एडमिट कर लिया जाये। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2016 से सबको बैन कर दिया गया है। तो फिर बाजार में हर जगह जो पॉलीथीन उपलब्ध है, उसका निर्माण कहां से हो रहा है ? या तो कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है या अवैध चल रहा है, इसको मा0 मंत्री जी जरूर देख लें। मा0 अध्यक्ष जी, आप कानपुर से हैं। आप इस बात को भली-भांति जानते भी हैं। मा0 मंत्री जी, जल्दबाजी यह न हो जाये कि क्या आपको यह भी जानकारी है कि हमारे यहां प्लास्टिक मैटीरियल नेपाल से भी आयात होता है।

डॉ0 अरुण कुमार-

जी हां, होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, उधर से भी आता है उसके अलावा और स्टेट से भी आता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

जब इस पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है तो हम उसकी ही बात कर रहे हैं इसमें आप कह रहे हैं कि 2016 से पहले जितने लाइसेंस हमने दिये थे, उसको आपने बन्द कर दिया है। हालांकि यह उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं है, मेरे पास सूचना है इसकी, अभी सबको निरस्त नहीं किया गया है। कुछ इसमें लिटीगेशन्स में है और कुछ अभी चल भी रही है। इसमें अभी आपने एडमिट किया कि नेपाल से भी प्लास्टिक आ रहा है। हम जानते हैं कि हमारे यहां प्लास्टिक नेपाल से आ रहा है, तब क्या हम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे। अगर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो केवल छेले वालों को बन्द करके उनके ऊपर कार्रवाई करके क्या फायदा होगा ? मेरा केवल यही उद्देश्य है कि जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन पर भी प्रतिबन्ध लगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, कल ही जो मेरी विधान सभा में टाउन एरिया है लालगंज, वहां पर एक प्रकरण हुआ कि कल छापा मारने के लिए ई0ओ0 बाजार में गए और उन्होंने वहां छापा मारा, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक बरामद हुई, पॉलीबैग बरामद हुई पर जब अधिकारी वहां पर पहुंचे उन्होंने उसको जब्त किया, तो वहां के कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध करने के साथ-साथ उनको धमकी तक दी कि इस पर वह न तो कार्रवाई करेंगे और न ही इस पर वह कोई जुर्माना जमा करेंगे। मा0 मेरा अनुरोध है कि यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसको तत्काल

दिखवा लें, यह टाउन एरिया लालगंज का मामला है और यह एन0एच0 पर है क्योंकि पॉलीथीन की वजह से दोनों तरफ की नालियां ब्लाक हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इसको दिखवा लें।

नत्थी-(ख)

तारांकित

प्रदेश में शिक्षित नौजवानों को रोजगार देने विषयक

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री अतुल प्रधान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने शिक्षित नौजवानों द्वारा रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन कराया गया, उनमें से कितनों को स्थायी (सरकारी नौकरी) रोजगार से जोड़ा गया है एवं वर्तमान में अभी कितने शेष हैं ? क्या सरकार की शेष बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

सेवायोजन पोर्टल पर विगत पांच वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष 2017-18	-	490474
वर्ष 2018-19	-	935503
वर्ष 2019-20	-	337112
वर्ष 2020-21	-	398326
वर्ष 2021-22	-	305923

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिये जाने के महत्वपूर्ण विषय में था। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। एक गरीब परिवार और मध्यम श्रेणी परिवार का पिता अपने बेटों को यही आशा व अपेक्षा करके पढ़ाता है कि बेटा पढ़-लिखकर के उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, आज उस परिवार के लिए संकट है। हमारा प्रश्न था, और बहुत सीधा-सीधा प्रश्न था, हमने इसमें जानना चाहा था कि 2018 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। उस रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्षवार कितने लोगों को सीधे सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया है। सरकार का जो इसमें उत्तर आया है कि सरकार ने वर्षवार यह तो बता दिया कि बेरोजगारी की संख्या और रजिस्ट्रेशन इतने हुए और फिर उसमें लिख दिया कि विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है और जब इसका सवाल आया कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गयी है। उसमें बता दिया कि हम रोजगार मेला लगवाते हैं और उस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र में लोगों को हम रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यही निवेदन था और यही जानकारी चाहिए। जो हमारा सीधा प्रश्न है कि जो सरकार ने अवगत कराया है कि वर्ष 2017-18 में 490474 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वर्ष 2018-19 में 935503 ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वर्ष 2019-20 में 337112 ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वर्ष 2020-21 में 398326 ने और वर्ष 2021-22 में 305923 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वर्ष वार कितने लोगों को इसमें सीधे-सीधे सरकार ने नौकरी दी, बस इतना जानकारी दे दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आप मा0 सदस्य, मनोज जी का प्रश्न देख लें, इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन बेरोजगारों ने कराये और उसके सापेक्ष सरकार ने कितनी सरकारी नौकरी दी ? विवरण आप पढ़ रहे थे, मैंने वर्षवार उत्तर दिया है। एक चीज स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी हमारा विभाग नहीं देता, उसके लिए बोर्ड बने हुए हैं, सरकारी नौकरियां वहां से मिलती हैं। हमारा विभाग जैसाकि मनोज जी पढ़ रहे थे, 2017 से लेकर 2022 तक का वर्षवार विवरण दिया है कि हमने बेरोजगारों को कितना सेवायोजित किया है ? अगर आप कहें तो मैं उसको फिर दोहरा दूं। आप भी मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार में वर्षवार कितने लोगों को आपने सेवायोजित किया है, श्रम विभाग ने कितना किया है उसका विवरण मेरे पास है वह भी सम्मानित सदन के सामने स्पष्ट कर दूं। लेकिन मनोज जी का जो प्रश्न है कि सरकारी नौकरी कितना दिया तो हमारा विभाग उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। हम निजी क्षेत्र में

रोजगार दिलाने का प्रयास करते हैं। जो कम्पनी और कारखाने वाले लोग हैं हम उनके और बेरोजगारों के बीच सेतु का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय मंत्री जी, आपका जवाब आ गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि मेरे विभाग से मतलब नहीं है, यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। जब यह प्रश्न हमारा लगा और हमने जब इसमें पूछा है कि सरकारी नौकरी कितनी दी ? तो यह मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री अनिल राजभर-

सरकार का कोई भी मंत्री आपके प्रश्न से भाग नहीं सकता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आप यही उत्तर दे दीजिये।

श्री अनिल राजभर-

वह मैं उत्तर अलग से दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपस में सवाल-जवाब न करिये, मुझे बताईये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद इतने विद्वान हैं और आप चीजों को समझ रहे हैं। अगर हमने यह प्रश्न पूछा था, आप मंत्री हैं और मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर यह आपके विभाग से मतलब नहीं था तो आप इस प्रश्न को वापस कर देते और सम्बन्धित विभाग को चला जाता। जब मैंने स्पैसिफिक पूछा है कि सरकारी नौकरी, तो यह जिम्मेदारी सरकार की है।

(सदन में मोबाइल की घण्टी बजने पर)

सत्र के दौरान सदन में मोबाइल फोन का उपयोग न करने तथा गैलरी में फोटोग्राफी न करने विषयक निर्देश

श्री अध्यक्ष-

यह जिसके भी मोबाइल फोन की घण्टी बजी है उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाये। जब बार-बार यह निवेदन किया गया है कि विधान सभा के सत्र के दौरान कोई भी अपना टेलीफोन ले कर नहीं आये और ले करके आये तो साइलेंट मोड पर रखे। अगर मोबाइल की घण्टी बजेगी तो यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह कि मुझे सूचना मिली है कि गैलरी में कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं। कल मुझे एक फोटो आयी है जो किसी पत्रकार मित्र ने प्रेस दीर्घा में अपनी फोटो ली है। तो मैं प्रेस वालों से भी यह निवेदन करूंगा कि गैलरी से किसी भी प्रकार की फोटो न ली जाये। इस प्रकार की अगर कोई फोटो आती है तो मैं तत्काल उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दूंगा और उनको विधान सभा के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्पष्ट रूप से इस बात को सभी लोग नोट कर लें। अभी एक मोबाइल की घण्टी की आवाज आयी थी, अगली बार किसी की घण्टी की आवाज आयी तो सीधे उनका मोबाइल फोन जमा करवा लूंगा। अब मा0 मनोज पाण्डेय जी, अपना प्रश्न पूछें।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आग्रह कर रहा था कि जब हमारा प्रश्न विधान सभा सचिवालय से गया तो उसमें यह स्पष्ट था कि हमने सरकारी नौकरी की संख्या पूछी है। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का आधा उत्तर दे दिया कि इतने-इतने लोगों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया। इससे तो प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होता है। हमने पूछा है कि इन वर्षों में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गयी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अगर विभागवार आपके पास नौकरियों की सूचना हो तो मंगाकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री अनिल राजभर-

अब थोड़ा स्पष्ट आपने कहा कि आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं है और हम यह जानना चाहते हैं कि पिछले पांच वर्षों में कितनी सरकारी नौकरी दी गयी ?

श्री अध्यक्ष-

आप माननीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करा दीजिएगा।

(सदस्य श्री इन्द्रजीत सरोज जी के खड़े होने पर)

कृपया आप बैठिये, पहले श्री अतुल प्रधान पूछ लें, क्योंकि ये प्रश्नकर्ता सदस्य हैं।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने 2467338 की जानकारी दी है कि हमने 5 सालों में कार्यालय में इतने पंजीकरण कराये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप दोबारा जोड़ लें थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 24 लाख नहीं है। एक-एक साल में 30-30 लाख 90-90 लाख है।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वर्ष 2017 से 2022 तक संख्या देखिये घटकर 3 लाख रह गयी है। हम यह भी पूछना चाहते हैं कि अगर मा0 मंत्री जी यह बात नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी दी है तो कम से कम यह बता दें कि प्राइवेट मेलों में बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0टेक0, एम0टेक0 और इससे अन्य-अन्य जो बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर नौजवान घूम रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को नौकरी दी है। यह रोजगारी और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर इस पर सदन को सूचना ठीक ढंग से नहीं दी जायेगी तो उन नौजवानों का क्या होगा, जिनको इस सरकार ने सपने दिखाये हैं ? उनको ऐसा सपना दिखा दिया कि सब कुछ आपके पास है। हम मा0 मंत्री जी से पूछना चाहते हैं सिर्फ यह न बताया जाये कि स्थायी नौकरी कितनी मिल पायी, कम से कम आप यह बता दें कि आप लोगों ने रोजगार मेलों के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां या ऐसे रोजगार किस तरीके से सृजित कराये हैं, जिससे कुछ लोगों को ऐसी नौकरी मिल गयी हो और रोजगार से जुड़ गये हों, जिससे स्पेसिफिक यह पता लग जाये कि आपने स्थायी के अलावा प्राइवेट में कितने रोजगार उपलब्ध कराये हैं। इसके साथ-साथ एक चीज और पूछना चाहता हूँ। इन्होंने रोजगार मेलों के बारे में कहा है। आप किसी जनपद में, किसी तहसील में या पूरे प्रदेश में देख लें, अगर इसका कोई व्यापक प्रचार-प्रसार हो कि इन्होंने रोजगार मेला कहां पर लगाया, उनमें पंजीकरण वाले लोगों को बुलाया या नहीं बुलाया, उसमें किसी आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक या बी0टेक0 कॉलेज से कितने बच्चों को लिया गया या नहीं लिया गया ? आपके सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, आपके आई0टी0आई0 कॉलेज हैं, आपके पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं, उनमें से पंजीकरण हुए कितने लोगों को आपने स्थायी अथवा अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप प्रश्न पूछिये।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार मेलों से सम्बन्धित कितने लोगों को स्थायी या अस्थायी नौकरियां मिली हैं ? यह भी बता दें कि इन मेलों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है ? इन लोगों ने रोजगार मेले के माध्यम से धनौरा मिल में किसी लड़के को भेजा था, वह लड़का जो आई0टी0आई0 किये हुए था, जब वह लड़का वहां नौकरी के लिए पहुंचा तो उसकी हेल्परी में नौकरी लगा दी गयी और कहा गया कि आप सिर्फ सामान ढोने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक व्यक्ति हो तो मा0 मंत्री जी के पास इसकी जानकारी नहीं हो सकती है। आप अलग से पूछियेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारे मुख्य सचेतक माननीय मनोज पाण्डेय जी ने समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरियां दिये जाने के विषय में पूछा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक का उन्होंने सरकार से आंकड़ा मांगा है कि कितने सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण हुए और उसके सापेक्ष कितनी सरकारी नौकरियां मिली हैं ? मा0 मंत्री जी ने अभी जवाब दे दिया कि सरकारी नौकरी देने का मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग केवल पंजीकरण करने का है, जबकि सामूहिक मंत्रिमण्डल का यह उत्तरदायित्व होता है कि सरकार से अगर कोई प्रश्न पूछा जाये तो सरकार उसका जवाब दे, मा0 मंत्री उससे भाग नहीं सकते हैं। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मा0 मंत्री जी के पास उत्तर नहीं है। तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सारे विभागों को देखते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि पिछली बार वर्ष 2017 में जब सरकार बनी तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में यह कहा गया था कि हम 5 साल के अन्दर 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे।

श्री अध्यक्ष-

सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, अब मा0 मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ मा0 मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न जगहों पर यह कहा कि 4 लाख नौकरियां हमने दीं, कभी कहा कि 5 लाख नौकरियां हमने दीं। आपके मंत्री जी को नौकरियों के विषय में पता ही नहीं है। कृपया आप स्पष्ट कर दें कि आपकी सरकार ने इतने वर्षों में कितने बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय इन्द्रजीत जी आपने प्रश्न कर लिया है अब उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, सेवायोजन कार्यालय का जो काम है वह बेरोजगारों का पंजीकरण करना, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी देना तथा उनको इस बात के

लिए फैसिलिटेट करना कि जिस इन्टरप्रिन्योर के पास स्थान हो, उन लोगों के मेले लगाकर और उन रोजगार मेलों के माध्यम से उनको रोजगार दिलाना है। यह सेवायोजन विभाग का काम है। जहां तक आपने पूछा कि कितनी सरकारी नौकरियां दीं तो मैं बता दूं कि पिछले कार्यकाल में साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियां दी गयीं और उसके अलावा जो रोजगार मेले लगाये गये और उन मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को जो फैसिलिटेट किया गया उसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं कि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक 633 रोजगार मेले लगे जिसके माध्यम से 63152 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 685 रोजगार मेले लगे जिसके माध्यम से 1,03,202 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, क्या यह रोजगार निजी क्षेत्र के हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी सरकारी क्षेत्र का तो पहले ही बता चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सरकारी तो मैंने पहले ही बता दिया। दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक 733 रोजगार मेले लगे जिसके माध्यम से 1,43,304 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 869 रोजगार मेले लगे और 1,47,499 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक 822 रोजगार मेले लगे और 1,17,430 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। इस प्रकार कुल 3742 रोजगार मेले लगे और कुल 5,74,587 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य इन्द्रजीत सरोज एवं श्री मनोज कुमार पाण्डेय अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिस कारण व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया है। आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आ गया है। अब अगला प्रश्न मा0 मनोज कुमार पारस जी का है।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य इन्द्रजीत सरोज, श्री मनोज कुमार पाण्डेय एवं श्री अतुल प्रधान के अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी, आप कृपया मा0 मनोज कुमार पारस जी को बोलने दीजिये।

(इसी मध्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पारस जी, अगर आप सदन से वाकआउट नहीं कर रहे हैं तो आप अपना प्रश्न पूछिये। सब लोग वाकआउट नहीं कर रहे हैं।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण करने विषयक

***2-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, आज आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है। जिस कदर आज लोग महंगाई से परेशान हैं मेरे ख्याल से सदन के सभी हमारे सम्मानित सदस्य इस चीज से वाकिफ हैं। आप सभी जानते हैं कि डीजल तथा पेट्रोल आज 89 रुपये तथा 96 रुपये में बिक रहा है। गैस सिलेण्डर आज 987 रुपये में बिक रहा है। इसलिये बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात न करते हुए मैं मा0 मंत्री जी से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में श्रमिकों को प्रतिदिन 259 रुपये मिलता है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को 271 रुपये तथा कुशल श्रमिकों को 276 रुपये प्रतिदिन मिलता है। आज की इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में इतने रुपये में क्या परिवार चलाना आसान है ? इतने रुपये में क्या आज परिवार चलाया जा सकता है ? आम आदमी इतने रुपये में आज एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। इसलिये मा0 मंत्री जी के माध्यम से मैंने सीधा प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर को पुनरीक्षित करने पर विचार करेगी ? इसका उत्तर आया 'हां', लेकिन कब तक करेगी, कितना बढ़ायेगी जिससे कि आम आदमी को रोटी मिल सके, उसका पेट भर सके, उसको इस बढ़ती महंगाई से निजात मिल सके। इसलिये मैं सीधा-सा प्रश्न पूछते हुए आपसे

यही जानना चाहता हूँ कि सरकार कब तक कितना रुपये श्रमिकों का बढ़ायेगी और कब से बढ़ाने पर विचार करगी, यह मा0 मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय एवं कुछ अन्य सदस्य अपने स्थानों पर पुनः वापस आ गये)

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, हां, प्रश्न नहीं उठता, सरकार इसका पुनरीक्षण कराने के लिये तैयार है और समय-समय पर इसका पुनरीक्षण कराया भी जाता है। हम फिर से जल्दी ही इसका पुनरीक्षण करा लेंगे और मा0 सदस्य की जो मांग है उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, पुनरीक्षण हो रहा है उसी पर बात की जा रही है इसके लिये कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है। इसका पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद इस पर कमेटी बैठती है, कमेटी बैठने के बाद यह सरकार में आता है इसके बाद सरकार इस पर निर्णय करती है। ये विषय प्रोसेस में है और यह प्रोसेस कितने दिन में पूरा हो जायेगा यह मंत्री जी नहीं बता पायेंगे। आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आ गया है।

प्रदेश में पात्र गरीबों को मुफ्त राशन/अनाज वितरण विषयक

***3-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के अन्तर्गत गरीबों को कितनी मात्रा में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से आच्छादित लाभार्थियों व अन्य सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहूं व 15 कि0ग्रा0 चावल) एवं 1 कि0ग्रा0 चीनी तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूं व 02 कि0ग्रा0 चावल) के अतिरिक्त उपरोक्त दोनों प्रकार के राशन कार्ड धारकों को 01 कि0ग्रा0 साबुत चना, 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक तथा 01 लीटर रिफाइण्ड ऑयल प्रति राशन कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभार्थियों को 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0), पी0एम0जी0के0ए0वाई0 एवं नेफेड द्वारा आपूर्तित आवश्यक वस्तुओं का माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में वितरित किये गये निःशुल्क खाद्यान्न का विवरण निम्नानुसार है :-

एन0एफ0एस0ए0

क्र0-सं0	माह का नाम	कुल निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण (मी0 टन में)
1	दिसम्बर, 2021	789181.097
2	जनवरी, 2022	789247.885
3	फरवरी, 2022	789912.928
4	मार्च, 2022	780288.340

पी0एम0जी0के0ए0वाई0

क्र0-सं0	माह का नाम	कुल निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण (मी0 टन में)
1	दिसम्बर, 2021	697867.910
2	जनवरी, 2022	703029.519
3	फरवरी, 2022	709034.118
4	मार्च, 2022	705186.976

नेफेड

क्र0-सं0	माह का नाम	साबुत चना (मी0 टन में)	आयोडाइज्ड नमक (मी0 टन में)	रिफाइण्ड ऑयल (ली0 में)
1	दिसम्बर, 2021	33671.998	33672.076	33672118
2	जनवरी, 2022	34079.053	34079.037	34079252
3	फरवरी, 2022	34244.064	34243.789	34243955
4	मार्च, 2022	33304.498	33332.780	33236220

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, प्रदेश के जो गरीब पात्र लोग हैं। उन लोगों को दिसम्बर माह से राशन बंटना शुरू हुआ था। जब कोरोना के दो गम्भीर काल हुए, उस समय किसी भी गरीब को राशन मिलने का काम नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों को राशन मिल रहा है, उनको राशन पूरा नहीं मिल रहा है क्योंकि जो कोटेदार है वह यह कहता है कि

जितना राशन मिलता है उतना अगर हम बांट देंगे तो दुकान कहां से चलेगी ? दुकान का खर्चा कहां से आयेगा ? इसलिए कोटेदार उसी गरीब जनता के कोटे से राशन काटने का काम कर रहा है। हमारा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना है कि इस सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बनायी जाये जो इसकी पूरी जांच करे कि जो राशन आप बांट रहे हैं वह राशन गरीब को मिल रहा है या नहीं ? दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि अगर किसी परिवार में 12 से 15 लोग हैं तब भी आप कह रहे हैं कि उनको 35 किलो राशन देंगे तो मेरा कहना है कि उनको भी प्रति यूनिट से राशन मिलना चाहिए। मुख्य बात यह है कि अभी जानकारी में आया है कि सरकार यह जांच करा रही है कि जिन लोगों को राशन दिया गया था वह पात्र हैं या नहीं ? इस आधार पर लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा गरीब लोगों से राशन की ब्याज सहित वसूली करायी जायेगी। पहली बात यह है कि जो राशन दिया जा रहा है वह पूरा नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कोटेदार को आपकी ओर से कोई राशि देने की व्यवस्था नहीं है तो कोटेदार अपनी दुकान का किराया कहां से निकालेगा ? इसलिए कोटेदार गरीब लोगों से वसूली करने का काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, इसमें कमीशन तय होता है, निर्धारित होता है कि कोटेदार को कितना पैसा मिलेगा।

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, कोरोनाकाल में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो राशन कार्ड फार्मेलिटी से बनाये जाते हैं उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आ रहा है, कोई भी मजदूर बाहर से आ रहा है तो उसे तत्काल राशन कार्ड बनाकर दिया जाय। कोरोनाकाल में वर्ष 2021 में जून से लेकर अगस्त तक 564 करोड़ 23 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया है। मा0 सदस्य ने जो गड़बड़ी की बात कही है इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक 931 राशन की दुकानें निलम्बित की हैं, 1,727 दुकानें निरस्त की गयी हैं और जहां कहीं भी धांधली की शिकायत मिलती है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। जैसा कि आपने कहा है कि जो लोग पात्र हैं या नहीं, जिन्होंने राशन ले लिया है उनसे वसूली की जायेगी ? इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, न किसी से कोई वसूली की जायेगी, जिनको राशन मिल गया है, वह बिल्कुल निश्चिंत रहें और आराम से सोंए, कहीं भी किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जायेगी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कोटेदार है जो राशन बांट रहा है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। आप लाख जांच करते रहिये, आप सस्पेन्ड करते रहिये। कोटेदार अपनी दुकान का किराया कहां से निकालेगा ?

श्री अध्यक्ष-

उसको कुछ न कुछ तो देते होंगे। कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिये। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि जो राशन बांटता है, उसको आप क्या देते हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, उसको कमीशन देते हैं और यह पुरानी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

वे जितना राशन बांटते हैं, उनके लिए निर्धारित है कि इतना पैसा दिया जायेगा, उसी को कमीशन कहते हैं। जो सरकार कह रही है, आप वह सुनें। यह सबको मिलता है, कोई भी फ्री में नहीं बांट रहा है। पहले भी बांट रहा था और आगे भी बंटता रहेगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मेरा एक सवाल है कि जो राशन कार्ड वापसी की बात है। जिन्होंने यह डुगडुगी पीटी थी कि राशन कार्ड वापस होंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है या करेगी ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, इस तरह की कोई जानकारी सरकार के पास, हमारे पास नहीं है कि किसी पर्टिकुलर अधिकारी ने यह काम किया है। इस तरह की कोई जानकारी यदि माननीय सदस्य के पास हो तो वह लिखकर भिजवा दें, उस पर जांच कराकर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

(सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय रविदास जी आप बैठें, यह सब कार्यवाही में नहीं है, आगे आप पूछ लीजिएगा, आपका जवाब आ जायेगा।

प्रदेश में एक्सप्रेस-वे राजमार्गों तथा नेशनल हाई-वे पर हो रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति मानकों का निर्धारण किये जाने विषयक

***4-श्री उमाशंकर सिंह, हाजी इरफान सोलंकी तथा श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे राजमार्गों तथा नेशनल हाई-वे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति मानकों का निर्धारण करते हुए लागू किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

प्रदेश में एक्सप्रेस-वे राजमार्गों तथा नेशनल हाई-वे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-1575/30-3-2014-32एम/2013 टी0सी0, दिनांक 16-06-2014 द्वारा 'राज्य सड़क सुरक्षा नीति' लागू की गयी है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें मुख्य निम्नवत् हैं :-

(1)संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

(2)सुरक्षित सड़क अवस्थापना सुनिश्चित करना।

(3)सुरक्षित वाहन।

(4)सुरक्षित चालक।

(5)यातायात सम्बन्धी कानूनों का प्रवर्तन।

(6)सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु आपात चिकित्सकीय सहायता।

(7)सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता।

(8)सड़क सुरक्षा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

(9)असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा।

(10)सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस की स्थापना।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। इस प्रश्न को लाने की वजह यह है चूंकि हम लोग सुबह उठकर अखबार देखते हैं या न्यूज देखते हैं तो हमें कितनी दुर्घटनायें दिखती हैं कि एक्सीडेण्ट हुआ और इतने लोग मर गये। इसी के सन्दर्भ में मैंने प्रश्न लगाया जिसका उद्देश्य था कि दुर्घटनाओं पर कैसे अंकुश लगायें, कैसे उस पर कमी करें ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सड़क दुर्घटना नीति 16-06-2014 से ही लागू है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पहला सवाल यह करूंगा कि क्या 2014 से जब हमारी सड़क सुरक्षा नीति लागू की गयी है। क्या यह नीति लागू करने के बाद क्या दुर्घटनाओं में कमी आयी है ? अगर कमी नहीं आई है, तो क्या सड़क सुरक्षा नीति प्रभावी है ? तीसरा प्रश्न यह है कि चूंकि कई साथी इस प्रश्न में इनवाल्व हैं और पता नहीं फिर पीठ मुझे बोलने का मौका देगी या नहीं, मैंने जो महसूस किया है जो सूचनायें मिलती हैं कि सबसे अधिक एक्सीडेण्ट हाई-वे पर या एक्सप्रेस-वे पर चाहे राजमार्ग हो या नेशनल हाई-वे हो, उसमें जो गाड़ियां, ट्रकें साइड में लगाकर खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके ड्राइवर बगल में घर में चला जाता हो या जाकर ढाबे पर बैठ गया हो। वहां

अगर फोर व्हीलर जा रहा हो तो जाकर पीछे से गाड़ी ठोकता है। हैड इन्जरी या सबसे ज्यादा डेथ खड़ी गाड़ी में भिड़ने से होती है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कम ऐसे देश हैं जहां आप नहीं गये होंगे। अन्य देशों में हमें भी जाने का अवसर मिला है अगर कोई गाड़ी वहां किसी वजह से सड़क के किनारे खड़ी हो गयी तो उन देशों में ऐसी व्यवस्था है कि उनके पास तुरन्त पूरी उस गाड़ी को पैचप करने के लिए इन्डीकेटर देकर वह सरकारी व्यवस्था में खड़ी कर दी जाती है और जितनी देर खड़ी रहेगी तो वहां की सरकार की गाइड एम्बुलेन्स की व्यवस्था रहती है और प्रति घण्टे के हिसाब से उस गाड़ी वाले से चार्ज करते हैं और इस व्यवस्था से जो अन्य लोग रात के अंधेरे में जा रहा होता है तो वह उस एक्सीडेण्ट से बच जाते हैं तो क्या इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का काम करेंगे जिससे कि खड़ी गाड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

मा0 परिवहन मंत्री उत्तर दें।

श्री दयाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में जो सड़क सुरक्षा नीति बनी थी उसके बाद मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा को कण्ट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनी है और वर्ष में चार बार उसकी मीटिंग होती है। इसमें अभी एक शासनादेश अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 18-05-2022 को जारी हुआ है और एक बैठक मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। इस विषय पर बहुत ही गम्भीर तरीके से बात हुई है। हाई स्पीड में ज्यादा एक्सीडेण्ट होते हैं। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी 100 कि0मी0 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलेगी उसका ऑटोमेटिक चालान काट दिया जायेगा और पेट्रोलिंग सिस्टम हाई-वे पर लगा दिये गये हैं। अब कोई भी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी नहीं मिलेगी।

हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। ये सरकार चालान काटने में तो मास्टर है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जो एक्सप्रेस-वे व नेशनल हाई-वे बनते हैं तो यह किस मानक के आधार पर बनते हैं क्योंकि अगर गाड़ी को 100 कि0मी0 की स्पीड से ऊपर चलाने पर चालान है तो फिर आदमी गाड़ी किस स्पीड से चलायेगा और मैं मंत्री जी को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बस यह इतना और बता दें कि हाई-वे पर एम्बुलेंस कितनी-कितनी दूरी पर खड़े करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष-

नेशनल हाई-वे पर एम्बुलेंस खड़ी करने का जवाब मंत्री जी नहीं दे पायेंगे। इसका जवाब या तो एन0एच0आई0 वाले दे पायेंगे या एक्सप्रेस-वे वाले दे पायेंगे।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से परिवहन मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और ड्राइवर लोग पुरानी गाड़ी के अन्दर गैस की किट जुगाड़ से लगवाते हैं क्या उन पर पाबन्दी लगाने का काम किया जायेगा। क्योंकि ऐसे बहुत हादसे हुए हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी जल गयी है और मासूम बच्चों की इन हादसों में बहुत मौतें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।

श्री दयाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी गाजियाबाद में एक स्कूली बस से दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उसके बाद मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसको बहुत ही गम्भीरता से लिया और एक वीडियो कान्फ्रेंस करके सभी जिलाधिकारी, एस0पी0, डी0आई0जी0, उस वीडियो कान्फ्रेंस में हम सब लोग व कई विभागों के प्रमुख सचिव भी थे। स्कूली बसों के लिए अलग से नीति बनी हुई है। कोई भी गाड़ी बिना फिटनेस के अब सड़क पर नहीं चलेगी। हमने लगभग 80 प्रतिशत गाड़ियों की फिटनेस करा ली है और जो 20 प्रतिशत गाड़ियां बची हैं, उउनके लिए सख्ती से कहा गया है कि तत्काल इनकी फिटनेस करवा लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बसों के लिए जो गाइडलाइन बनाई है, बिना उसके कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

***5-डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0 के0 वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है। जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वाभाविक होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। यदि बाजार भाव के परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों से या जमाखोरी के कारण हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि अधिरोपित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत

प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। माह मार्च, 2022 प्रदेश में कुल 9450 निरीक्षण किये गये, 876 स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी, 38 एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराई गई हैं, 89 लाइसेंस निलम्बित किये गये, कुल 132 उचित दर दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये।

स्वाभाविक कारण यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, मांग एवं आपूर्ति में अन्तर, मौसमी कारण जैसे बाढ़-सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभावित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे मांग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। देश में तिलहन का उत्पादन व उपलब्धता घरेलू मांग से कम रहती है। आलू व प्याज की कीमतों में वृद्धि अधिकांशतः मौसमी कारण से होती है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सम्बन्धित अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि के दृष्टिगत दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट भारत सरकार के आदेशों के क्रम में लागू है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा खाद्य तेलों एवं तिलहन के स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा स्टॉक की घोषणाएं भी की गयी हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी की दुश्वारियों के दृष्टिगत उपभोक्ताओं/राशन कार्डधारकों को सहजता से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए माह दिसम्बर, 2021 से माह जून, 2022 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए, तीन अन्य आवश्यक वस्तुओं यथा आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं खाद्य तेल को भी सम्मिलित कर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कुल 3.59 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक लाभान्वित हुए हैं। डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इनके मूल्यों के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से डीजल, पेट्रोल एवं गैस के मूल्यों को विनियंत्रित कर मूल्य निर्धारित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। राज्य सरकार द्वारा सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के माध्यम से मात्र पेट्रोल पम्पों को लाइसेंस निर्गमित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

एल0पी0जी0 गैस की उपलब्धता आमजन में सामान्य तौर पर बनाये रखने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को

निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इस योजना से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। ऑयल कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 1,46,98,000 (एक करोड़ छियालिस लाख अट्ठानबे हजार) उज्ज्वला के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 10-08-2021 को प्रदेश के महोबा जनपद से किया गया है। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 22,42,000 परिवारों को गैस कनेक्शन निःशुल्क जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्य, अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिये।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से है। महंगाई की वजह से किसान, मजदूर, बी0पी0एल0 और मध्यम परिवार की कमर पूरी तरह से टूट गई है जिसके कारण यह प्रश्न सदन में लाया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। माननीय अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण सदन इस बात से सहमत है लेकिन उसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है। यह सेल प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होता है, प्रत्येक मण्डल में कमिश्नर की अध्यक्षता में होता है और प्रदेश स्तर पर खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में होता है। इससे यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक माननीय सदस्य अवगत है। मान्यवर, मैं खाद्य वस्तुओं की प्राइस के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आज की तारीख में नींबू की कीमत पांच रुपए प्रति पीस है, अपने सीजन में टमाटर तीन रुपए प्रति किलो में बिकता है लेकिन ऑफ सीजन में वही टमाटर 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो में बिकने लगता है। प्याज अपने सीजन में छह रुपए प्रति किलो बिकता है लेकिन ऑफ सीजन में इसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो हो जाती है। इसी तरीके से लहसुन और अन्य खाद्य सामग्रियां भी हैं जिनके रेट ऑफ सीजन में बहुत बढ़ जाते हैं। मान्यवर, यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार का यह मॉनीटरिंग सेल प्राइस की समीक्षा करके केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजने का कार्य करेगा। जो टमाटर तीन रुपए प्रति किलो सीजन में बिकता है और बहुत बार आप देखते हैं कि किसान टमाटर न बिक पाने की वजह से हाई-वे पर ट्रकों-ट्रक टमाटर फेंक कर चला जाता है और बाद में ऑफ

सीजन में टमाटर सौ-डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी समीक्षा करके राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है। मान्यवर, इसकी प्रापर मानीटरिंग होनी चाहिये कि जब कृषि उत्पाद के रूप में किसान के पास वह टमाटर होता है तो उसकी कीमत तीन रुपये होती है लेकिन जब वह बिचौलियों के पास चला जाता है तो वह 80 रुपये और डेढ़ सौ रुपये में बिकने लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मेरे कई अनुपूरक हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक-एक अनुपूरक रख दूं और यदि आप कहें तो एक साथ सारे अनुपूरक प्रश्न उपस्थित कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

आपको दो अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार है। आप दो-दो अनुपूरक करके दो बार में पूछ लीजिये।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज केवल आठ तारांकित प्रश्न निर्धारित हैं। आप आज हमारे ज्यादा अनुपूरक प्रश्न ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप यदि एक बार में दो-दो अनुपूरक प्रश्न करेंगे तो माननीय मंत्री जी को उत्तर देने में आसानी रहेगी। आप एक साथ सारे अनुपूरक प्रश्न रख देंगे तो फिर उसके उत्तर आने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप चाहें तो सारे अनुपूरक प्रश्न एक साथ कर लीजिये और माननीय मंत्री जी उनके उत्तर एक साथ दे देंगे।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसी वस्तुये हैं जिन पर पांच प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक जी0एस0टी0 की दर निर्धारित है। कुछ तो ऐसी भी वस्तुये हैं जिन पर 28 प्रतिशत तक की दर निर्धारित है। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आवश्यक खाद्य अधिनियम से आच्छादित वस्तुओं पर जी0एस0टी0 की दर कम करने पर विचार करेगी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई से हर कोई परिचित है तो क्या सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में जो प्रदेश सरकार का जो हिस्सा होता है, उसमें से किसान और गरीब परिवारों को सब्सिडी देने का काम करेगी। मेरा तीसरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या सरकार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को जी0एस0टी0 के दायरे में लाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मेरा चौथा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या सरकार यह बतायेगी कि भारत सरकार द्वारा नेपाल को पेट्रोल, डीजल किस दर से बेचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इन चार अनुपूरक प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने सभी प्रश्नों के जवाब खुद ही दे दिये हैं। एक तरफ तो डॉक्टर साहब कभी टमाटर को सड़क पर फेंक देते हैं तो दूसरी तरफ वह सौ रुपये किलो की दर से बिकवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्नों के क्या जवाब दूं क्योंकि माननीय सदस्य ने अपने सभी प्रश्नों के जवाब तो खुद ही दे दिये हैं। डॉक्टर साहब की शायद यह भी मंशा है कि जो डीजल और पेट्रोल नेपाल जा रहा है, उसे रुकवा दिया जाये तो माननीय सदस्य बतायें कि क्या यह कार्य यू0पी0 की सरकार के अधीन है। पेट्रोल और डीजल किसी देश को देना हो या किसी देश से लेना हो, इससे राज्य सरकार का कोई मतलब तो होता नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग माननीय मंत्री जी का पूरा उत्तर सुन लीजिये। माननीय सदस्य ने जितने प्यार से अनुपूरक किया है, माननीय मंत्री जी भी उतने ही प्यार से उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग उत्तर को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, जब समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य बोलते हैं तो मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, इसलिये यह लोग हमारी बात भी थोड़ी-बहुत सुन लिया करें। मैं यह अनुरोध कर रहा था कि प्राइस मानीटरिंग सेल जिले लेवल पर भी होता है, मण्डल लेवल पर भी होता है और राज्य लेवल पर भी होता है। इन सबकी सिफारिशें हम केन्द्र को भेजते हैं जिसके बाद इसे तय करना और निर्णय लेना उनका अधिकार है। मैंने कल भी अनुरोध किया था कि जहां तक जी0एस0टी0 का सवाल है तो भारत सरकार के स्तर पर जी0एस0टी0 काउन्सिल बनी हुई है जिसमें देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं और अन्ततः इसमें केन्द्र सरकार ही निर्णय करती है। माननीय सदस्य ने एक बात यह कही है कि बहुत से गरीब लोगों को गैस नहीं मिलती है तो आपको शायद खुद ही मालूम है कि 1.694 करोड़ गैस कनेक्शन और गैस सिलेण्डर हमारी सरकार ने मुफ्त में गरीबों को दिये हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि लोगो को खाद्यान्न नहीं मिल पाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को चना, गेहूं, दाल, तेल, नमक आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्य चीजों की जो आप महंगाई की बात करते हैं वह सब केन्द्र सरकार का काम है, और हम इसे निर्धारित नहीं करते हैं।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्टेट जी0एस0टी0 की दर है

उत्तर प्रदेश सरकार क्या उससे प्राप्त धनराशि में से प्रदेश के किसान और बी0पी0एल0 परिवारों को सब्सिडी देने का काम करेगी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने अभी 10 रुपये पेट्रोल पर और 07 रुपये डीजल पर कम किये हैं और जैसे ही कोई विषय आयेगा तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन बाजपेयी जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में

***6-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत सरकार में श्रम विभाग में मजदूरों का पंजीकरण किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की संख्या तथा पंजीकृत मजदूरों को दी जाने वाली सुविधा का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

श्रम विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों एवं उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितार्थ संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत गत सरकार के कार्यकाल में 31 मार्च, 2022 तक कुल 1,11,40,762 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया गया जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

01-मातृत्व हितलाभ योजना।

02-शिशु हितलाभ योजना।

03-बालिका मदद योजना।

(उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-4902/भ0नि0बो0(1605)/18 दिनांक 28-12-2018 द्वारा क्रमांक-01, 02 एवं 03 पर अंकित तीनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के नाम से अधिसूचित किया गया है।)

04-मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।

05-सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना।

06-कौशल विकास तकनीकी एवं उन्नयन प्रमाणन योजना।

07-विहान आवासीय विद्यालय योजना।

08-निर्माण कामगार आवास सहायता योजना।

09-कन्या विवाह सहायता योजना।

10-चिकित्सा सुविधा योजना।

11-निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना।

12-महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना।

13-मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना।

14-अक्षमता पेंशन योजना।

(उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-4977-83/भ0नि0बो0(486)-18 दिनांक 01-01-2019 द्वारा क्रमांक-13 एवं 14 पर अंकित दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के नाम से अधिसूचित किया गया है।)

15-अन्त्येष्टि सहायता योजना।

16-आपदा राहत सहायता योजना।

उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत गत सरकार के कार्यकाल में 31 मार्च, 2022 तक कुल 8,28,13,431 असंगठित कामगारों का पंजीयन किया गया है। बोर्ड द्वारा उ0प्र0 शासन के निर्देश दिनांक 17-12-2021 एवं 11-02-2022 के अनुपालन में पंजीकृत 80,11,462 कामगारों को कोविड-19 के दृष्टिगत भरण-पोषण भत्ता रु0 एक हजार पांच सौ एवं पांच सौ की तीन किश्तों का भुगतान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकने के लिए रोजगार देने हेतु नीति बनाये जाने विषयक

***7-डॉ0 संग्राम यादव तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकने के लिए क्या सरकार ने उन्हें रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

कामगारों/श्रमिकों हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक सेवायोजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से ''मिशन रोजगार'' अभियान चलाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्य, अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिये।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत ही गम्भीर विषय पर मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया। मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है लगातार बेरोजगारी बढ़ी है। यह हम नहीं कहते हैं, बल्कि बाकायदा यह आंकड़े प्रकाशित हुए हैं जिसमें लिखा है कि 100 में से 68 व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश की वर्किंग पापुलेशन में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होकर इनकी संख्या 17 करोड़ से ज्यादा हो गयी है। नौकरी करने वालों की संख्या घट गई है। मान्यवर, सी0एम0आई0ई0 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मार्च, 2017 में बेरोजगारी दर 2.4 प्रतिशत थी जो कि नवम्बर, 2021 में बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई है। मान्यवर, यदि देखा जाये तो आज बड़े पैमाने पर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बार-बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। यहां से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, बड़े पैमाने पर पढ़ा-लिखा नौजवान आत्महत्या कर रहा है। सेण्टर फॉर मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी (सी0एम0आई0ई0) के बेरोजगारी के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला है कि दिसम्बर,

2021 के आखिरी में नौकरीपेशा लोगों की कुल संख्या पांच साल पहले से भी कम थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उस समय की अगर बात करें तो यहां रोजगार चाहने वालों की कुल आबादी 14.212 करोड़ थी जो आज बढ़कर 17.07 करोड़ पहुंच गयी है। नौकरी कर रहे लोगों की संख्या में 16 लाख से ज्यादा की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, आये दिन आप देखते होंगे कि राज्य के कई हिस्सों में बेरोजगारी को लेकर बड़े-बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। इधर के दिनों में जितनी भी परीक्षायें कराई गई हैं अधिकांश के पेपर आउट हुए हैं और तमाम भर्तियों के रिजल्ट हाई कोर्ट में पेण्डिंग पड़े हुए हैं। माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी छात्र राजनीति से आते हैं और नौजवान हैं। हम लोग साथ में भी बहुत काम किये हैं। मुझे आप सबकी कृपा से विधान सभा की तरफ से बाहर जाने का सुअवसर मिला था। हमारे साथ अलीगढ़ से ठाकुर दलवीर सिंह मा0 एम0एल0ए0 और आदरणीय माता प्रसाद पाण्डेय जी भी थे। जब हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में गये तो हमने वहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवान युवक और युवतियों को काम करते देखा। वहां पर अपने लोगों को इस तरह देखकर हमें बहुत पीड़ा हुई। यदि हम जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं तो हमारा भू-भाग भी तो बड़ा है। हमारे पास अपार सम्भावनाएं हैं, असीमित संसाधन हैं तो क्या हम उन संसाधनों का उपयोग करते हुए ऐसी कोई नीति बनायेंगे जिससे उत्तर प्रदेश से लोगों का बड़े पैमाने पर जो पलायन दूसरे प्रदेशों और विशेषकर मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली की तरफ हो रहा है या देश से बाहर विदेशों में हो रहा है तो उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा गम्भीरता से कोई प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो 63 हजार लोगों को रोजगार देने के आंकड़े दिये हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या के आधार पर वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। हम चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए कोई व्यापक नीति लेकर आये जिससे प्रदेश से लोगों का हो रहा पलायन रुक सके। हम माननीय मंत्री जी से इस पर उत्तर चाहते हैं।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य डॉ0 संग्राम यादव जी ने अभी 'ऊंट के मुंह में जीरा' वाली कहावत कही है। मान्यवर, मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया है और उसका परिणाम आज हम लोगों के सामने है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि साढ़े चार लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में स्थान दिया गया है। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत सरोज जी अभी बोल रहे थे। वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं तो वर्ष 2007 से लेकर 2012 के भी आंकड़े भी मेरे पास हैं। जब उस समय माननीय सदस्य की पुरानी पार्टी की सरकार चल रही थी तो उस समय कितने लोगों को नौकरियां दी गई थीं। तो यह ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है, जबकि अभी 86,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया क्रियाशील है। मान्यवर, हम लोगों ने पिछली बार की तर्ज पर सौ दिन का लक्ष्य निर्धारित किया

है। पिछली बार भी इसके बड़े सार्थक परिणाम आये थे जिसकी सराहना पूरे देश ने की थी। हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बताते हुए और सम्मानित सदन को बताते हुए हमें बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है कि अभी 100 दिन काफी दूर हैं और इसी बीच हमने 18000 लोगों को नौकरियों से जोड़ने का काम किया है। सरकार इसके प्रति कितना संवेदनशील है इसका प्रमाण इससे मिलता है कि हमारी योगी जी की सरकार ने रोजगार आयोग को बनाने का काम किया है जिसका स्वागत आज उत्तर प्रदेश का हर नौजवान कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। जिस विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया करती है तो हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान सरकार पर पूरा यकीन करता है और पूरा विश्वास करता है जिसका परिणाम अभी दो महीने पहले पूरे देश और दुनिया ने देखा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ा जो समूह है वह नौजवानों का समूह है और नौजवानों ने हमारे पक्ष में फैसला किया है। जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचण्ड बहुमत के साथ यहां पर बैठी है। हम अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने पूरा विवरण दिया है। आपके पास जो सी0एम0आई0ई0 की रिपोर्ट है, उसे आप कहां से लाये हैं यह हमें पता नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा अनुपूरक प्रश्न नहीं करूंगा। मैं केवल दो छोटे अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रोजगार सृजन करने के लिए कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया है। यह गठन कब हुआ, इसमें कौन-कौन से लोग हैं और उन्होंने रोजगार के कितने अवसर सृजित किये हैं। आपने उत्तर में लिखा है कि दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से मिशन रोजगार अभियान चलाया जा रहा है तो इस अभियान से रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं और कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ?

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, इस आयोग का गठन दिनांक 16 जून, 2020 को किया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी की देख-रेख में यह आयोग काम करता है। हम रोजगार सेवा का मिशन चला रहे हैं। योगी जी की सरकार ने साढ़े चार लाख रोजगार देने का रिकार्ड बनाने का काम किया है। जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। मिशन रोजगार के अन्तर्गत हम इसमें काम कर रहे हैं। इसका बहुत ही विस्तृत जवाब हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है जिसको हम फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी जब सरकार थी तो आप केवल दो लाख सरकारी नौकरी दे पाये। हमने अपनी पिछली सरकार के दौरान साढ़े चार लाख नौकरियां दी हैं। अभी 86000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। माननीय इन्द्रजीत सरोज जी की सरकार जब वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक रही थी तो इन्होंने सिर्फ 98000 नौकरियां देने का काम किया है।

इसीलिये आज माननीय योगी जी की सरकार की प्रशंसा हो रही है और जनता बार-बार अपनी मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बैठने का सौभाग्य प्रदान कर रही है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर उत्तर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को शायद पता नहीं है जो इन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक कुल 98000 भर्तियां हुई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उस दौरान सवा लाख भर्तिया तो सफाई कर्मियों की ही हो गई थीं। आपके पास सही आंकड़े नहीं हैं। इन्होंने 70 लाख नौकरियां देने का वायदा करके केवल साढ़े चार लाख नौकरियां दी हैं। इन्होंने जो साढ़े चार लाख नौकरियां बताई हैं उनमें से ज्यादातर नौकरियां रेगुलर नहीं हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान सवा लाख रेगुलर नौकरियां केवल सफाई कर्मियों को ही दी गई थीं। माननीय मंत्री जी को आंकड़े की कोई जानकारी नहीं है।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आप बहुत विद्वान हैं। हमने आपको विपक्ष के नेता के तौर पर भी देखा है, माननीय मंत्री जी के तौर पर भी देखा है और आज आप इतने बड़े आसन पर विराजमान हैं। माननीय मंत्री जी का बार-बार यह कहना कि हमको जनादेश मिला है। क्या हम आपके जनादेश का विरोध कर रहे हैं। आपको काम करने के लिए ही तो जनादेश मिला है और आप हमसे कहते हैं कि हम रिपोर्ट कहां से लाये हैं। तो मैंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है वह सी0एम0आई0ए0 की रिपोर्ट है। सेण्टर फॉर मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी ने इन्हें जारी किया है। आप इसको गलत ठहरा सकते हैं लेकिन यदि यह गलत है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपनी बात को सदन में रखना है तो मैं आंकड़े तो कहीं से लाऊंगा ही। आज जो स्थिति है, उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है कि कितनी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं, कितनी परीक्षाओं को रद्द किया गया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह इलाहाबाद से आते हैं। मैंने भी इलाहाबाद में 17 साल तक पढ़ाई की है। अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि पहले भ्रष्टाचार होता था। तो आपने लोक सेवा आयोग पर सी0बी0आई0 जांच बैठाई है, आप लगातार सी0बी0आई0 जांच पर जोर दे रहे थे। पिछले पूरे पांच साल आपके बीच गये आखिर सी0बी0आई0 जांच की प्रगति क्या हुई। क्या आयोग की भर्तियों में कोई भ्रष्टाचार सिद्ध हो पाया है, कितने लोगों के खिलाफ सी0बी0आई0 ने कार्यवाही की है। सी0बी0आई0 कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई है। हम लोग एक शहर से आते हैं। आपकी सरकार में प्रतियोगियों की ना जाने कितनी भर्तियां रद्द हो गईं। बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आपकी सरकार के दौरान नौकरियां न मिलने के कारण बेरोजगार और पढ़े-लिखे युवक दुनिया के हिस्सों में जा रहे हैं। सरकार नौकरियों के प्रति गम्भीर नहीं है और माननीय मंत्री जी तो कतई गम्भीर नहीं हैं। सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है। यह रिपोर्ट कहती है कि वर्ष

2016 में यह दर 2.4 थी और नवम्बर, 2021 में यह दर 4.8 परसेण्ट हो गई। अगर वर्ष 2016 की रफ्तार बरकरार रही होती तो इतनी बड़ी बेरोजगारी आज सुरक्षा की तरह मुंह बाये न खड़ी होती। आपको कम से कम अहंकार तो नहीं करना चाहिये। जिनकी तरफ से सूरज उगता था आज उनके एक ही सदस्य इस सदन में रह गये हैं। आपको सत्ता का इतना बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मेरी ओर इशारा करके बात कही है जिस पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने आपको नहीं कहा है। कृपया आप लोग आपस में बात मत करिये। माननीय वर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। यह आपके पुरानी साथी हैं इसलिये आप इनसे बाहर बातचीत कर लीजियेगा। मैं सदन में आपस में बात करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह परम्परा उचित नहीं है। कृपया आप लोग बैठ जाईये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो केवल यह कह रहा था कि डॉ0 संग्राम यादव जी ने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज का पहला प्रश्न भी इसी विषय से सम्बन्धित था। मान्यवर, बेरोजगारों के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा चिन्ता हमारी योगी जी की सरकार ने की है और सबसे ज्यादा चिन्ता इस बात पर की है कि लोग बेरोजगार ना रहें। आज तक किसी ने चिन्ता नहीं की कि रेहड़ी और पटरी वालों का क्या होगा। हमारी सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को ठीक प्रकार से वेण्डिंग जोन बनाकर बसाने का काम किया है और बिना किसी गारण्टी के उनको दस हजार रुपये का लोन दिलाने का काम किया है।

मान्यवर, हम ठेले वाले, कुल्चे वाले एवं चाट वालों की बात कर रहे हैं, जो महाजन से कर्जा लेकर, (विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान) आप अपनी बात कह रहे हैं लेकिन सरकार के प्रयासों को तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग उत्तर सुन लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी सरकार ने 08 लाख 45 हजार लोगों को बुलाकर लोन दिया है। इसी सरकार ने सबसे ज्यादा लोगों की चिन्ता की है। अगर आप लोगों के पास भी मिलने वाले लोग हों या काम करने वाले लोग हों तो उनको भेज दीजिए। बिना किसी गारण्टी के आधार कार्ड पर 10 हजार रुपये का लोन दिया जा रहा है। अभी 5-6 महीने में ही 08 लाख 45 हजार लोगों को लोन दिया गया है। यह दिखाता है कि हम कितने ज्यादा सम्वेदनशील हैं। आउटसोर्स ऑफ मेन पॉवर जेम के माध्यम से व्यवस्था की गयी है कि जिसको भी रोजगार चाहिये, वह ले सकता है। अभी उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन रोजगार आयोग के बारे में जिक्र किया गया है जिसका गठन वर्ष 2020 में हुआ है। सेवा मित्रों की व्यवस्था की गयी है ताकि वह लोग भी उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें जिनको वास्तव में रोजगार चाहिये। इसके अलावा कल बजट प्रस्तुत किया गया था। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो हमने प्रत्येक परिवार का सर्वे कराया। प्राईवेट नौकरी को लोग ठीक से लेते नहीं हैं और जो लोग प्राईवेट नौकरी करते हैं तो वह छिपाते भी हैं। वह लोग इम्प्लायमेण्ट आफिस में रजिस्ट्रेशन कराये रहते हैं क्योंकि उसका रिकार्ड ज्यादा होता नहीं है। जो लोग हुनरमन्द हैं वह लोग कहीं पर भी बेरोजगार नहीं हैं। जो टाईप जानते हैं वह लोग भी बेरोजगार नहीं हैं, इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं, और यह हो सकता है कि उनको मनचाही सैलरी एवं मनचाहा मानदेय न मिलता हो लेकिन कोई भी हुनरमन्द, कोई भी हाथ का कारीगर बेरोजगार नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हमने कल बजट में इस बात के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि हम हर परिवार का सर्वे कराकर, हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और यह हमने वायदा संकल्प-पत्र में भी किया था और हम इस वायदे को फिर से दोहराते हैं कि हमने बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि सर्वे कराकर जो वास्तव में बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जायेगा। हमारी पूरी हमदर्दी बेरोजगारों के साथ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन एवं पूरे प्रदेश को यही बताना चाहता हूँ कि हर स्तर पर चाहेंगे कि वह रोजगार युक्त हो जायें।

प्रदेश में पंजीकृत सरकारी वाहनों का इन्श्योरेन्स एवं प्रदूषण सर्टिफिकेट का विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में

***8-श्री महबूब अली-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सरकारी वाहन पंजीकृत हैं तथा उक्त में से कितने वाहनों का इन्श्योरेन्स तथा प्रदूषण सर्टिफिकेट दिनांक 31-03-2022 तक वैध था ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश में पंजीकृत कुल सरकारी वाहनों की संख्या-60545 है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-146 की उपधारा (2) में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सरकारी वाहनों को इन्श्योरेन्स से छूट प्रदान की गयी है। पंजीकृत कुल सरकारी वाहनों में से 8091 सरकारी वाहनों का दिनांक 31-03-2022 तक प्रदूषण सर्टिफिकेट वैध था।

जी हां, विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो दो अलग-अलग प्रश्न कर लूं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कर लीजिए, जैसे आपका मन हो।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं पहले मा0 मंत्री जी का ज्ञानवर्धन कर दूं। आपने इन्श्योरेन्स में दिखाया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-146 की उपधारा (2) के अधीन। मैं ज्ञानवर्धन इसलिये कर रहा हूँ कि नियम-146 की उपधारा (2) के (1) और (3) में है। ज्ञानवर्धन कर लें क्योंकि हम भी पढ़कर आते हैं। दूसरा, आज जो हालात प्रदेश के हैं, इन्श्योरेन्स से सम्बन्धित मामला है। आपने कहा कि उसे धारा-146 की उपधारा (2) के (1) में एग्जेम्प्ट कर दिया है। सरकारी वाहन से कोई मर जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्राइवेट वाहन से कोई मर जाये तो क्या स्थितियां हैं उसे भली-भांति पूरा सदन जानता है, इसलिए मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, व्यक्तिगत गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाये, गाड़ी से क्षतिग्रस्तता का एवं गाड़ी से कोई चोट लग जाये, किसी की मृत्यु हो जाये उसका बीमा कराया जाता है। भविष्य अधर में है, अब तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा। एल0आई0सी0 का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। (सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के बैठे-बैठे टोका-टाकी करने पर) मैं तुम्हारा ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ, परेशान मत हो। मान्यवर, क्या मैं बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया शान्ति बनाये रखिये। महबूब अली जी, आप बोलिये।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मेरा सीधा सवाल इसमें यह है (सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के बैठे-बैठे टोका-टाकी करने पर) आप लोग चिन्ता मत करिए, आज मैं आपका ज्ञानवर्धन करूंगा। मैंने नियम का हवाला दिया है उस अधिनियम को निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए।

---

† देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या 191 पर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग सुनिये, अभी माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री महबूब अली-

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी वाहन से होने वाली दुर्घटना में दावा किया जाता है अर्थात् जो दावा करता है, सरकारी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होने वाला अगर दावा करता है तो क्या उसके लिए किसी निधि की व्यवस्था की गयी है ? और दिनांक 31-03-2022 तक कितना धन कितने दावेदारों को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अगर इसकी जानकारी हो तो बताइए।

श्री दयाशंकर सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न नहीं किया है, वे अपने सवाल से अलग जा रहे हैं और माननीय सदस्य ने यह सवाल किया है कि क्या सरकारी गाड़ियों का इन्श्योरेन्स होता है या नहीं होता है, तो भारत सरकार ने हम लोगों को एग्जेम्ट किया है कि कोई भी सरकारी वाहन हो उसके लिए इन्श्योरेन्स की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने अनुपूरक में कहा कि प्राइवेट गाड़ी का इन्श्योरेन्स होता है, सरकारी गाड़ी का इन्श्योरेन्स नहीं होता है। प्राइवेट उसे जितना इन्श्योरेन्स देता है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर उससे ज्यादा इन्श्योरेन्स हमारा परिवहन विभाग देता है। आप कहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उसका पूरा लेखा-जोखा आपको उपलब्ध करा दूंगा। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) जहां तक ज्ञानवर्धन की बात कर रहे हैं तो माननीय सदस्य भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं शायद उस समय इनका ज्ञानवर्धन नहीं रहा होगा, उस समय चाहते तो इसमें संशोधन कर सकते थे।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैंने प्राइवेट पर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया है। मैंने सीधा कहा है कि अगर किसी सरकारी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो अगर वह दावा करता है तो दावा करने वाले के लिए क्या कोई ऐसी निधि की व्यवस्था कर रखी है ? अगर कर रखी है तो दिनांक 31-03-2022 तक उस निधि से कितना धन दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बताया तो कि परिवहन विभाग उसको इन्श्योरेन्स से भी ज्यादा देता है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं उसी की जानकारी चाहता हूँ कि दिनांक 31-03-2022 तक उस निधि से कितना धन दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसकी जानकारी हो तो दे दीजिए, अगर न हो तो बाद में दे दीजियेगा।

श्री दयाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, यह सवाल प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मैं आपका प्रश्न पढ़ देता हूँ। आपका प्रश्न था कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सरकारी वाहन पंजीकृत हैं तथा उक्त में से कितने वाहनों का इन्श्योरेन्स तथा प्रदूषण सर्टिफिकेट दिनांक 31-03-2022 तक वैध था ? ये आपका प्रश्न है। उन्होंने बताया कि इतने पंजीकृत हैं और इन्श्योरेन्स कराने की उनको छूट है। किसी प्राइवेट वाहन के साथ एक्सीडेण्ट होगा, यह उसमें प्रश्न नहीं है, आपके पास होगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास न हो। आप प्रश्न पढ़ दीजिए, हो सकता है कि वह मेरे डिवाइस पर न हो, होगा तो उसको मैं ठीक कर लूंगा।

श्री महबूब अली-

अध्यक्ष जी, इन्श्योरेन्स से सम्बन्धित मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी सरकारी गाड़ी से एक्सीडेण्ट हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया है कि अगर सरकारी गाड़ी से एक्सीडेण्ट होगा तो परिवहन विभाग के पास ऐसा फण्ड है, जो उसकी सहायता के लिए देता है। जो आप पूछ रहे हैं, अगर वह आपका प्रश्न होता तो उसकी भी जानकारी होती, वह प्रश्न नहीं है।

अब सारे प्रश्न उत्तरित हो गये हैं।†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अभी समय है।

श्री अध्यक्ष-

समय है, लेकिन इसके अलावा भी काम है। आप कृपया बैठिये।

नोट- † तारांकित प्रश्न संख्या-08 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने विषयक

1-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवण्टन एवं वितरण को पारदर्शी बनाये जाने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-5/2019/1207/29-06-2019-121सा/98 दिनांक 05-08-2019 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन प्रतिमाह विभागीय वेबसाइट पर प्रचलित राशन कार्ड की संख्या के आधार पर ऑटोमेटिक ऑनलाइन जारी किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। मुख्यालय द्वारा आवंटन जारी किये जाने के पश्चात् जनपद स्तर पर आवंटन जारी किये जाते हैं। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। यदि किसी कारणवश किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण असफल रहता है तो उसे वितरण चक्र के अन्तिम दिवस में ओ0टी0पी0 प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। समस्त ट्रान्जेक्शन ऑनलाइन सम्पादित होते हैं एवं रिपोर्ट रियल टाइम अद्यतन रहती है। इस तकनीक द्वारा मौके पर ही खाद्यान्न प्राप्त करते समय लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित हो जाती है। राशन प्राप्त करने के उपरान्त राशन लिये जाने का विवरण तत्काल ई-पॉस के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट हो जाता है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया से वितरण प्रणाली पूर्णतया पारदर्शी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई को रोके जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

2-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिये सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है। जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वाभाविक होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। यदि बाजार भाव के परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों से या जमाखोरी के कारण हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि अधिरोपित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। माह मार्च, 2022 प्रदेश में कुल 9450 निरीक्षण किये गये, 876 स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी, 38 एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराई गई हैं, 89 लाइसेंस निलम्बित किये गये, कुल 132 उचित दर दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये।

स्वाभाविक कारण यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, मांग एवं आपूर्ति में अन्तर, मौसमी कारण जैसे बाढ़-सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभावित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे मांग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। देश में तिलहन का उत्पादन व उपलब्धता घरेलू मांग से कम रहती है। आलू व प्याज की कीमतों में वृद्धि अधिकांशतः मौसमी कारण से होती है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सम्बन्धित अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि के दृष्टिगत दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट भारत सरकार के आदेशों के क्रम में लागू है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा खाद्य तेलों एवं तिलहन के स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा स्टॉक की घोषणाएं भी की गयी हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी की दुश्वारियों के दृष्टिगत उपभोक्ताओं/राशन कार्डधारकों को सहजता से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए माह दिसम्बर, 2021 से माह जून, 2022 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए, तीन अन्य आवश्यक वस्तुओं यथा आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं खाद्य तेल को भी सम्मिलित कर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कुल 3.59 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक

लाभान्वित हुए हैं। डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इनके मूल्यों के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से डीजल, पेट्रोल एवं गैस के मूल्यों को विनियंत्रित कर मूल्य निर्धारित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। राज्य सरकार द्वारा सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के माध्यम से मात्र पेट्रोल पम्पों को लाइसेंस निर्गमित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

एल0पी0जी0 गैस की उपलब्धता आम जन में सामान्य तौर पर बनाये रखने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इस योजना से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। ऑयल कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 1,46,98,000 (एक करोड़ छियालिस लाख अट्ठानबे हजार) उज्ज्वला के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 10-08-2021 को प्रदेश के महोबा जनपद से किया गया है। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 22,42,000 परिवारों को गैस कनेक्शन निःशुल्क जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन निगम में वाराणसी क्षेत्र के प्रबन्धक कार्यालय में स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

3-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम में स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात कर्मचारियों को चिन्हित कर दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति राज्य सड़क परिवहन निगम के परिपत्र दिनांक 28-06-2019 द्वारा निर्गत की गयी है।

वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण अधिक स्थानान्तरण नहीं किये गये। क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, वाराणसी में 03 वर्ष से अधिक एक ही पटल पर कार्यरत

कर्मचारियों की संख्या-17 है, परन्तु निगम का कार्य/संचालन प्रभावित न हो, इसके दृष्टिगत इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। निगम का उक्त परिपत्र दिनांक 28-06-2019 उ0प्र0 शासन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निर्धारित स्थानान्तरण नीति के आलोक में निर्गत किया गया है और इसके अनुसार स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या-20 प्रतिशत तक ही सीमित रखी जानी है। इस सीमा को ध्यान में रखते हुए भी स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत कार्यालय के उपरोक्तानुसार सभी कर्मचारियों को एक साथ स्थानान्तरित करने पर कार्यालय के संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई को रोके जाने के सम्बन्ध में

4-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई की रोकथाम के लिए सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है। जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वाभाविक होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। यदि बाजार भाव के परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों से या जमाखोरी के कारण हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि अधिरोपित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। माह मार्च, 2022 प्रदेश में कुल 9450 निरीक्षण किये गये, 876 स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी, 38 एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराई गई हैं, 89 लाइसेंस निलम्बित किये गये, कुल 132 उचित दर दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये।

स्वाभाविक कारण यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, मांग एवं आपूर्ति में अन्तर, मौसमी कारण जैसे बाढ़-सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभावित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे मांग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। देश में तिलहन का उत्पादन व उपलब्धता घरेलू मांग से कम रहती है। आलू व प्याज की कीमतों में वृद्धि अधिकांशतः मौसमी कारण से होती है।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सम्बन्धित अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि के दृष्टिगत दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट भारत सरकार के आदेशों के क्रम में लागू है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा खाद्य तेलों एवं तिलहन के स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा स्टॉक की घोषणाएं भी की गयी हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी की दुश्वारियों के दृष्टिगत उपभोक्ताओं/राशन कार्डधारकों को सहजता से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए माह दिसम्बर, 2021 से माह जून, 2022 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए, तीन अन्य आवश्यक वस्तुओं यथा आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं खाद्य तेल को भी सम्मिलित कर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कुल 3.59 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक लाभान्वित हुए हैं।

डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इनके मूल्यों के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से डीजल, पेट्रोल एवं गैस के मूल्यों को विनियंत्रित कर मूल्य निर्धारित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। राज्य सरकार द्वारा सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के माध्यम से मात्र पेट्रोल पम्पों को लाइसेंस निर्गमित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

एल0पी0जी0 गैस की उपलब्धता आमजन में सामान्य तौर पर बनाये रखने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इस योजना से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। ऑयल कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 1,46,98,000 (एक करोड़ छियालिस लाख अट्ठानबे हजार) उज्ज्वला के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 10-08-2021 को प्रदेश के महोबा जनपद से किया गया है। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 22,42,000 परिवारों को गैस कनेक्शन निःशुल्क जारी किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के महराजगंज में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री श्याम सुन्दर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में महराजगंज बस अड्डा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यात्री उपलब्धता के दृष्टिगत रायबरेली से महराजगंज होते हुये विभिन्न स्थानों के लिये 14 बसों का ही संचालन निर्धारित है। महराजगंज में परिवहन निगम की कोई भूमि उपलब्ध न होने के कारण बस अड्डे का निर्माण सम्भव नहीं है।

जनपद झांसी में रोडवेज एवं प्राईवेट बस स्टैण्ड को अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने विषयक

6-श्री रवि शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में रोडवेज व प्राईवेट बसों के लिए वर्तमान बस स्टैण्ड जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

झांसी में स्थित वर्तमान बस स्टैण्ड झांसी नगर निगम, झांसी के स्वामित्व में है। नगर निगम, झांसी द्वारा वर्तमान बस स्टैण्ड को यात्रियों की सुविधा के लिये अत्याधुनिक बनाये जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

यहां से रोडवेज व प्राईवेट बसें झांसी नगर निगम, झांसी को पार्किंग शुल्क देकर संचालित होती हैं।

जनपद झांसी के जिला पूर्ति कार्यालय को झांसी विकास भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में जिला पूर्ति कार्यालय, झांसी नगर के एक छोर पर स्थित होने से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अपनी समस्याओं के

निस्तारण हेतु 15 से 20 कि0मी0 का रास्ता तय करना पड़ता है जिससे श्रम, धन एवं समय अधिक खर्च होता है ? क्या सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत जिला पूर्ति कार्यालय को झांसी विकास भवन में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी झांसी के पत्र दिनांक 12-05-2022 के अनुसार लोक निर्माण विभाग, झांसी के अधिशासी अभियन्ता से जानकारी करने एवं वाहन से दूरी मापने पर जिला पूर्ति कार्यालय, झांसी की विकास भवन, झांसी से वास्तविक दूरी लगभग 04 कि0मी0 पायी गयी। जिला पूर्ति कार्यालय, झांसी में आमजन के आवागमन हेतु 'पब्लिक ट्रान्सपोर्ट' उपलब्ध है, जो राजमार्ग तक सुगम/सुलभ है तथा मुख्य सीपरी बाजार के नजदीक है। कार्यालय में सभी जनोपयोगी एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। कार्यालय के आस-पास अन्य राजकीय कार्यालय भी स्थित हैं। जिला पूर्ति कार्यालय, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा (ए0पी0सी0 विंग) के अन्तर्गत नहीं आता है एवं विकास भवन, झांसी में पर्याप्त स्थान/रिक्त भवन उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान में जिला पूर्ति कार्यालय, विकास भवन में स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कैसरबाग बस स्टैण्ड को शहर से दूर स्थानान्तरित किये जाने विषयक

8-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में जिला कचहरी सेशन कोर्ट के पास संचालित कैसरबाग बस स्टैण्ड से उक्त क्षेत्र में ट्रैफिक जाम रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैसरबाग बस स्टैण्ड को शहर से दूर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

लखनऊ नगर में जिला कचहरी सेशन कोर्ट के पास संचालित कैसरबाग बस स्टैण्ड से संचालित होने वाली निगम की बसों से ट्रैफिक जाम नहीं रहता है, अपितु बस स्टैण्ड की ओर आने एवं जाने वाले टेम्पो-टैक्सी एवं ई-रिक्शा तथा अनाधिकृत पटरी दुकानदारों के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर नियंत्रित की जाती है।

कैसरबाग बस स्टैण्ड से संचालित होने वाली बसों के दबाव को कम करने हेतु जानकीपुरम परिक्षेत्र में एक नवीन बस स्टेशन हेतु स्थान चिन्हित किये जाने की कार्यवाही गतिशील है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

9-श्री मोहम्मद फहीम इरफान-

(01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में कतिपय मार्गों पर परिवहन बसों का संचालन कराये जाने विषयक

10-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत किन-किन मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का वर्तमाान में संचालन हो रहा है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जिन मार्गों पर बसों का संचालन नहीं है, पर जनहित में बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत वर्तमान में निम्न 05 मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है-

1-पड़रौना-नेबुआनौरंगिया-गोरखपुर।

2-पड़रौना-खड्डा-रामपुर-गोन्हा-गोरखपुर।

3-पड़रौना-खड्डा-छितौनी-मदनपुर-गोरखपुर।

4-पड़रौना-खड्डा-मडिहारी-मदनपुर-लखनऊ।

5-पड़रौना-खड्डा-जदहा-गोरखपुर।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत मोटरेबुल मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ओवर लोडेड वाहनों के चालान का विवरण

11-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक कितने ओवर लोडेड वाहनों का चालान किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में ओवर लोडेड वाहनों से जुर्माने की कितनी रकम वसूल की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक कुल 3,38,966 ओवर लोडेड वाहनों को चालान किया गया। उक्त अवधि में ओवर लोडेड वाहनों से जुर्माने के रूप में

कुल रुपये 61669.58 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया। प्रश्नगत अवधि में ओवर लोडेड वाहनों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0 (रु0 लाख)	वित्तीय वर्ष	कुल चालान	कुल बन्द	प्रशमन शुल्क
1	01-04-2017 से 31-03-2018 तक	30349	17149	4820.45
2	01-04-2018 से 31-03-2019 तक	73984	14110	13759.17
3	01-04-2019 से 31-03-2020 तक	72152	28236	14466.02
4	01-04-2020 से 31-03-2021 तक	84926	20131	12768.84
5	01-04-2021 से 31-03-2022 तक	77555	25511	15855.10
कुल योग		**338966**	**105137**	**61669.58**

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ठोस नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 बनायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबेरली के सरेनी विधान सभा में मिट्टी एवं बालू के खनन पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में

13-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबेरली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी का खनन नदियों व गंगा जी में बालू का अनियंत्रित खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अनियंत्रित खनन पर अंकुश लगाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में इंजीनियरिंग कालेज के निकट परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड बनाये जाने विषयक

14-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में इंजीनियरिंग कालेज के निकट उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड बनाये जाने की कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

लखनऊ में इंजीनियरिंग कालेज के निकट नहीं अपितु जानकीपुरम सेक्टर-ई योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बस स्टेशन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने की कार्यवाही परिवहन निगम एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य गतिशील है।

प्रदेश में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के दृष्टिगत न्यूनतम दैनिक मजदूरी दरों को बाजार दरों के अनुरूप करने की मांग

15-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुशल और अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी की वर्तमान दरें क्या हैं ? क्या सरकार श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के दृष्टिगत उक्त न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी दरों को बाजार में प्रचलित दरों के समान करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली प्रमुख आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के मजदूरों हेतु कुल मासिक मजदूरी मूल वेतन एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित वर्तमान में मासिक एवं दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नवत् निर्धारित हैं-

क्र0सं0	**श्रेणी**	**दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 30-09-2022 तक**	
कुल मासिक मजदूरी (रु0 में)		**दैनिक मजदूरी (रु0 में)**	
1	अकुशल	9530.00	366.54
2	अर्द्धकुशल	10483.00	403.19
3	कुशल	11743.00	451.65

जी हां।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मगार अधिनियम, 1979 एवं तद्विषयक राज्य नियमावली में निर्धारित सुविधायें सेवायोजक के द्वारा प्रवासी कर्मकारों को दी जाती हैं। श्रम विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवासी श्रमिकों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मण्डल के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जनपदवार विवरण

16-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 29.43 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करते थे। (डेटा स्रोत-तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12)

जनपदवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रदेश के सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों के विवरण के सम्बन्ध में

17-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सेवायोजन पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में वर्षवार वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सेवायोजन पोर्टल पर दिनांक 17-04-2022 तक बेरोजगारों

की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या निम्नवत् है-

वर्ष 2018-19 - 935503

वर्ष 2019-20 - 337112

वर्ष 2020-21 - 398326

सेवायोजन पोर्टल पर दिनांक 17-04-2022 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 4163341 थी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सरकारी होलसेल कोटेदारों का ब्लाक वार विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में

18-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्तमान समय के सम्बन्ध में कितने सरकारी होलसेल कोटेदारों को लाइसेंस देकर सामग्री का उठान व वितरण कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का ब्लाकवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में जनपद बलिया में कुल 1,417 उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं।

जी हां, जनपद बलिया में ग्रामीण क्षेत्र में 17 ब्लॉक हैं, जिनमें कार्यरत उचित दर दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	ब्लॉक का नाम	उचित दर दुकानों का नाम
01	हनुमानगंज	78
02	गड़वार	71
03	सोहाव	65
04	बेलहरी	63
05	दुबहड़	80
06	रसड़ा	89
07	चिलकहर	79

क्र0सं0	ब्लॉक का नाम	उचित दर दुकानों का नाम
08	नगरा	118
09	सीयर	134
10	नवागर	71
11	पन्दह	60
12	मनियर	58
13	बासडीह	67
14	बेरुआरबारी	57
15	रेवती	57
16	बैरिया	60
17	मुरलीछपरा	66

शेष 134 उचित दर दुकान नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना से खतौली तक रोडवेज बसों का संचालन कराये जाने विषयक

19-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नई रोडवेज बसें संचालन हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोडवेज बस सर्विस से वंचित नगर पालिका परिषद् कैराना से खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर रूट पर रोडवेज बस संचालन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

नगर पालिका परिषद् कैराना से खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर मार्ग पर जनता की सुविधार्थ दो रोडवेज बसों का खतौली डिपो द्वारा गत कई माहों से नियमित संचालन हो रहा है। ये बसें खतौली से बुढ़ाना-कांधला होकर कैराना तक चल रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में खाद्य रसद के उठान एवं वितरण रजिस्टर की जांच विषयक

20-श्री पंकज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में खाद्य रसद के वितरण हेतु कितने लाइसेंस धारक (होलसेलर) वर्तमान में हैं ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 में उठान रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर में अनियमितता किये जाने की शिकायतें संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त वर्ष के उठान व वितरण रजिस्टर की सरकार जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में खाद्य रसद के वितरण हेतु कुल 239 उचित दर विक्रेता/कोटेदार कार्यरत हैं। वर्ष 2019-20 में 23 एवं 2020-21 में 18 उचित दर विक्रेताओं (कोटेदार) की विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभाग द्वारा नियमानुसार शिकायतों की जांच कराई गई। वर्ष 2019-20 में 06 विक्रेताओं की दुकानों का निरस्तीकरण एवं 02 विक्रेताओं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। वर्ष 2019-20 में कुल रु0 28000 का अर्थदण्ड विभाग द्वारा उचित दर विक्रेताओं पर आरोपित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा 02 उचित दर विक्रेताओं की दुकानों का निरस्तीकरण एवं 01 उचित दर विक्रेता पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा कुल रु0 64000 का अर्थदण्ड विधान सभा मुंगराबादशाहपुर के उचित दर विक्रेताओं पर आरोपित किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कारागार भवन विहीन जिलों एवं मुरादाबाद में नये कारागार भवन के निर्माण विषयक

21-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले जिला कारागार भवन से वंचित हैं ? क्या सरकार की प्रदेश के जिला कारागार विहीन जिलों को जिला कारागार भवन से आच्छादित करने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मुरादाबाद में नये कारागार भवन का निर्माण समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं होमगार्डस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-

जी हां।

प्रदेश के 12 जनपद यथा-प्रयागराज, श्रावस्ती, अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, औरैया, हापुड़, चन्दौली, अमरोहा, सम्भल एवं शामली जिला कारागार भवन से वंचित हैं।

जी हां।

प्रदेश के 12 कारागार विहीन जिलों में जिला कारागार का निर्माण कराये जाने की योजना प्रस्तावित है।

जनपद मुरादाबाद में नवीन जिला कारागार, मुरादाबाद के निर्माण हेतु ग्राम सरसखेड़ा, तहसील व जिला मुरादाबाद में कृषकों की भूमि क्रय कर ली गयी है। नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु आगणन तैयार कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डिपो में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

22-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डिपो में जल भराव तथा शौचालय गन्दे हैं एवं बस डिपो में न आकर राष्ट्रीय मार्ग से होकर अपने गन्तव्य को चली जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकोहाबाद डिपो की स्वच्छता कराकर, आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

बस स्टेशन शिकोहाबाद के प्रांगण एवं एप्रोच की मरम्मत तथा जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराया गया है, जिससे इस समस्या का निराकरण हो चुका है।

शिकोहाबाद डिपो की 72 बसें बस स्टैण्ड पर आती हैं तथा ताज डिपो की 03 बसें, फाउण्ड्री नगर डिपो की 03 बसें, मेरठ डिपो की 02 बसें, नोएडा डिपो की 03 बसें, इस प्रकार कुल 83 बसों का आवागमन शिकोहाबाद बस स्टेशन पर होता है। अन्य डिपो एवं अन्य क्षेत्रों की बसों को बस स्टेशन के अन्दर लाने हेतु प्रवर्तन कार्मिकों सहित स्टाफ की तैनाती की गयी है।

शिकोहाबाद डिपो पर आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस स्टेशन पर नेडा का शौचालय निर्मित है, जिसमें महिला एवं पुरुष शौचालय की व्यवस्था है, जिसका रख-रखाव नेडा की अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है। शौचालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

23-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

(01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

24-हाजी इरफान सोलंकी-

(02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में सी0एन0जी0 गैस चलित वाहनों को बढ़ावा दिये जाने विषयक

25-श्रीमती पूजा पाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए डीजल/पेट्रोल वाहन कम करके सी0एन0जी0 गैस चालित वाहनों को बढ़ावा दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

सी0एन0जी0 चलित टैम्पो/टैक्सी/ऑटो रिक्शा के संचालन के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 09/10-11-2004 में निम्न नीति निर्धारित की गयी है-

1-05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में भविष्य में केवल एल0पी0जी0 अथवा सी0एन0जी0 चलित टैम्पो-टैक्सी/ऑटो रिक्शा को ही परमिट निर्गत किये जायेंगे तथा इन महानगरों के लिए निर्धारित आयु सीमा पूरी कर लेने के पश्चात् इस श्रेणी के वाहनों का प्रतिस्थापन भी केवल सी0एन0जी0 एवं एल0पी0जी0 चलित वाहनों से ही किया जायेगा।

2-उक्त श्रेणी के जिन महानगरों में एल0पी0जी0 अथवा सी0एन0जी0 की आपूर्ति नहीं है, उन महानगरों में डीजल/पेट्रोल चलित टैम्पो-टैक्सी/ऑटो रिक्शा को परमिट जारी करते समय यह प्रतिबन्ध लगाया जाये कि सम्बन्धित महानगर में एल0पी0जी0 अथवा सी0एन0जी0 आपूर्ति आरम्भ होने के 06 माह के भीतर परमिट से आच्छादित टैम्पो-टैक्सी/ऑटो रिक्शा को सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 ईंधन से संचालित टैम्पो-टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा से प्रतिस्थापित करा लिया जाये।

प्रश्न नहीं उठता है।

26-श्री मोहम्मद फहीम इरफान-

(एक से अधिक विभाग से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

प्रदेश में एन0जी0टी0 के लागू नियम एवं कानून की समीक्षा कर ठोस कदम उठाने की मांग

27-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन0जी0टी0 के लागू नियम व अधिनियम खनन के क्षेत्र में पुश्तैनी कार्य कर रहे निषाद समुदाय के लोगों को खनन कार्य में क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि एन0जी0टी0 के कतिपय नियम एवं कानून से इस समुदाय द्वारा खनन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की समीक्षा कर ठोस उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गयी है। मा0 अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित

मामलों के, जिनके अन्तर्गत पर्यावरण से सम्बन्धित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों और सम्पत्ति को नुकसानियों के लिए अनुतोष और प्रतिकर देना भी है, प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है। निषाद समुदाय के लोगों को खनन कार्य में सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई अधिनियम व नियम लागू नहीं होते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:16] सत्र के दौरान मा0 सदस्यों के जन्मदिन पड़ने पर उन्हें बधाई देने की परम्परा की शुरुआत किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

आज मैंने एक नई सोच के साथ इस बात पर विचार किया, जिस दिन से यह डिवाइस लगी, मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों के हर सन्देश जनता के बीच में जाते हैं। मैंने आज इस बात के लिए विचार किया कि हम सारे माननीय सदस्य, यहां से लेकर, वहां तक, सब लोगों का सम्मान है, एक अच्छे भाव के अन्तर्गत हम सब यहां बैठते हैं। मेरे विचार में आया कि जिस भी माननीय सदस्य का, जिस दिन विधान सभा चल रही होगी, अगर किसी भी माननीय सदस्य का उस दिनजन्म दिन होगा तो हम सब लोग मिलकर उनको बधाई देंगे। इसकी शुरुआत मैं कल से ही करना चाहता था, लेकिन कल की तारीख में किसी का जन्मदिन नहीं था। अगर किसी का था, वह बता देगा तो मैं उसको संशोधित कर लूंगा, क्योंकि हमारी विधान सभा के पास जो सूचना है, उसके हिसाब से रोज, जिस दिन भी विधान सभा चलेगी, उस दिन भी माननीय सदस्यों का जन्मदिन होगा, तो यह विधान सभा उनको बधाई देगी।

आज हमारे में से हमारे एक वरिष्ठ सदस्य, श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी का जन्मदिन है। (सदस्यों ने मेजें थपथपा कर श्री राम नरेश अग्निहोत्री का स्वागत किया) श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी का जन्म 27 मई, 1957 में हुआ था। आप का जन्म स्थान मैनपुरी है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और एल0एल0बी0 शिक्षा प्राप्त की है। इनकी विवाह की तिथि भी है, वह अभी नहीं बोलेंगे, कहीं आप मैरेज एनिवर्सरी यहां मनाना न शुरू कर दें। 26 जून, 1986 है, श्रीमती कल्पना अग्निहोत्री इनकी पत्नी हैं। इनके 02 पुत्र और 04 पुत्रियां हैं। इनका व्यवसाय उद्योग है। जुलाई, 2002 से 2005 तक आप सदस्य विधान परिषद रहे। मार्च, 2017 में 17वीं विधान सभा के लिए प्रथम बार निर्वाचित हुए। आप 2017 और 2019 के बीच में सदस्य, लोक लेखा समिति रहे, 2019 और 2022 के बीच में माननीय योगी जी के मंत्रि-मण्डल में आप मंत्री रहे। मार्च, 2022 में 18वीं विधान सभा के लिए दोबारा चुने गये। हम सब आपकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जिस दिन विधान सभा की बैठक

होगी, उस दिन जिन माननीय सदस्य का जन्मदिन होगा, उस दिन भी और बाईचान्स अगर सटरडे, सन्डे बीच में पड़ जायेगा, तब भी उसको हम अगले मन्डे को ले लेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह विधान सत्र के दौरान ही होगा। तो आज मेरे को यह सूचना देनी थी और एक नई परम्परा की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इससे प्रसन्नता हुई।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं मा0 योगी जी को बधाई देता हूँ, मा0 अग्निहोत्री जी को बधाई देता हूँ और सभी सदस्यों की तरफ से आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि इतनी अच्छी पहल के साथ क्या आगे केक या मिठाई खिलवाने का भी इन्तजाम होगा।

संसदीय कार्य मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपने एक नई परम्परा सदन में डालने की जो आज यहां पर घोषणा की है उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। मा0 राम नरेश जी को उनके जन्मदिन के लिए बधाई भी देता हूँ। जहां तक मा0 असीजा जी की बात है, आज भी भोजन की व्यवस्था है। आप भोजन भी करिए और मिठाई भी खाईये। सभी मा0 सदस्य आमंत्रित हैं।

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आपका अभिनन्दन भी करना चाहता हूँ कि ऐसी अनूठी परम्परा पहली बार आपने सदन में प्रारम्भ की है। मैं अपने सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ कि तालियां बजाकर हमारे लिए जोरदार अभिनन्दन हो। दूसरी बात मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस नई परम्परा की शुरुआत सबसे पहले मेरे नाम से शुरू हुई। हमारे सभी मा0 सदस्यों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद इस जन्मदिन के मौके पर मिल रही है। आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं।

[12:20] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री रत्नाकर मिश्रा की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिर्जापुर नगर में शास्त्री सेतु के समानान्तर एक फोर लेन सेतु एवं गोपीगंज तथा रामघाट पर सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थित बन्द पड़ी बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मुकेश वर्मा की जनपद गाजीपुर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

के पद पर कार्यरत डॉ0 के0 के0 वर्मा द्वारा अपने पद के दुरुपयोग एवं चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में किसान मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा स्थल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री किरत सिंह की जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह में ब्लाक-नानोता के ग्राम भोजपुर में कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद सहारनपुर में भू-माफियाओं/दबंगों से भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, नौवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना इंजी0 सरवन कुमार निषाद की जनपद गोरखपुर के बाढ़ खण्ड-2 के अन्तर्गत श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 रामजीत सिंह द्वारा कराये गये बोल्डर आपूर्ति का लम्बित भुगतान कराये जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद संतकबीर नगर के निवासी परमवीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह की ग्राम पंचायत घोरांग को लोक प्रेरणा से जोड़ने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के ग्राम सभा जमुहार, तहसील-चुनार में जरगो नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में सड़कों के मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है, तथा पन्द्रहवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के विकास खण्ड फरीदपुर में ग्राम करपिया से गोसगंज तराई मार्ग एवं नकटिया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री अरविन्द गिरी, श्री अजय सिंह, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री भूपेश चौबे, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री बाबूलाल, श्रीमती राजबाला सिंह, श्री प्रेम नारायन पाण्डेय, श्री अंकुर तिवारी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री रामपाल वर्मा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', श्री पल्टूराम, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री ओम प्रकाश, श्री बेचई सरोज, श्री जियाउर्रहमान, श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स', डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, श्री अभिजीत सिंह सांगा, श्री तेजपाल सिंह नागर, श्री तसलीम अहमद, श्री बम्बालाल दिवाकर, श्री अब्बास अंसारी, श्री रमेश सिंह, श्री अतुल प्रधान, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री अनिल प्रधान, श्री जय प्रकाश अंचल,

श्री कमाल अख्तर, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री अजय, श्री प्रसन्न चौधरी, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री बाबूराम, स्वामी ओउमवेश, श्री अभय सिंह, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री शशांक वर्मा, मो0 हसन 'रूमी', श्री राम अचल राजभर, श्री धर्मराज यादव ''सुरेश यादव'', मो0 फहीम इरफान तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय।

सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिर्जापुर नगर में शास्त्री सेतु के समानान्तर एक फोर लेन सेतु एवं गोपीगंज तथा रामघाट पर सेतु बनवाये जाने के सम्बन्ध में है नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मिर्जापुर नगर के पास शास्त्री सेतु जीर्ण हो चुका है। मां विन्ध्यवासिनी के दरबार में आने वाले दर्शनार्थियों को काफी असुविधा होती है। इसलिए उसके समानान्तर माँ गंगा पर एक फोर लेन सेतु की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक गोपीगंज और रामपुर घाट पर भी गंगा सेतु अति आवश्यक है। इससे अन्य प्रान्तों को भी जोड़ने में सहूलियत होगी। उक्त निर्माण होने से मिर्जापुर के जाम की समस्या भी समाप्त हो जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य कराये जाने की सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थित बन्द पड़ी बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर स्थापित है, जो कि विगत कई वर्षों से बन्द पड़ी है, जिस कारण दोनों शुगर मिलों के किसानों को गन्ना सप्लाई करने में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं जिन मिलों में मेरे क्षेत्र के उक्त दोनों मिलों को गन्ना सप्लाई होता है, वर्तमान समय में वह दोनों चीनी मिलें हमारे किसानों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार अपनाते हैं, जैसे क्रय केन्द्रों से गन्ने की सप्लाई व उठान कम करना, जिससे किसानों को समय से पर्ची नहीं मिलती और गेहूँ बुवाई की समस्या उत्पन्न होती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ0 के0 के0 वर्मा द्वारा अपने पद के दुरुपयोग एवं चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मुकेश वर्मा-

[महोदय, डॉ0 के0 के0 वर्मा ने पिछले दो वर्षों में बिना किसी अनुमोदन के एवं किसी भी कमेटी के संज्ञान में लाये बिना आशा एवं आशा संगनीय का चयन किया उनके द्वारा एन0एच0एम0 मध्य में अपने चहेते फर्मों से सांठ-गांठ कर फर्जी बिल तैयार कराए एवं स्वास्थ्य विभाग में बिना सामग्री लिए बिल का भुगतान किया गया। इनके द्वारा क्षय रोग विभाग का चार्ज रहते हुए वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तक में रहते हुए इसके लाखों रुपये का फर्जी बिल भुगतान किया गया। इन पर कुछ सन्देह होने के कारण टी0बी0 यूनिट एवं एन0एच0एम0 का चार्ज हटा दिया गया था एवं जांच बैठाई गई थी इसको मोटी रकम के लेन-देन कर जांच समाप्त कराई गई।

मा0 अध्यक्ष जी से ऐसे भ्रष्ट अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 के0 के0 वर्मा अपने पद पर लगातार 14 वर्षों से एक ही जनपद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जांच कराकर कार्रवाई करवाने का कष्ट करें।

अतः मैं मा0 अध्यक्ष महोदय उपरोक्त विषयक पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में किसान मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-152, सिधौली, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सीतापुर व लखनऊ आना-जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और आने-जाने में समय, किराया व कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है। किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए किसान मण्डी का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा स्थल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-94, बाह, आगरा ने पूर्व काल से देश को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व सेना में जवान तथा अधिकारी दिये हैं, किन्तु इस क्षेत्र में अभी तक कोई क्रीड़ा

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थल स्वीकृत नहीं है। जिस कारण युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, इस वजह से न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि आने एवं जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिससे आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना भी होती है। प्रशिक्षण के अभाव में प्रतिभा होते हुए भी युवा लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार क्रीड़ा स्थल न होने के कारण युवा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं उन्हें मजबूरन सड़क पर दौड़ना पड़ता है, जिससे वे यदा-कदा हादसे/दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह में ब्लाक-नानोता के ग्राम भोजपुर में कृष्णा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरत सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-07, गंगोह, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर पुल नहीं है। जिससे जनता को अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है और काफी दूरी से घूमकर जाना पड़ता है, जनहित में उपरोक्त पुल का नवनिर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर नवनिर्माण पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में भू-माफियाओं/दबंगों से भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद सहारनपुर के निवासी अनिल कुमार पुत्र श्री जनकराज ग्राम पंजौरा बैरून, परगना, तहसील, थाना कोतवाली देहात नं0-257, रकबई 1.8180 हे0 का 1/8 भाग यानि 0.227 हे0 की भूमि है, जिसमें निगम सहारनपुर का वर्तमान पार्षद है तथा रमेश चन्द्र कश्यप जो रिटायर्ड सब इन्स्पेक्टर है, जो मृत विहार कालोनी, मल्लीपुरा रोड, सहारनपुर का निवासी है तथा इन दोनों ने अपने साथ सरदार को भी शामिल कर रखा है, उपरोक्त तीनों दबंगों/भू-माफिया प्रवृत्ति के हैं तथा पीड़ित के हिस्से की 0.227 हे0 भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, एवं पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित भय व डर के

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण एवं अपनी जान बचाने के लिए ग्राम शुक्रतारी, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर में रह रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त भूमि को भू-माफियाओं/दबंगों से मुक्त कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, बलिया जनपद के विधान सभा सिकन्दरपुर के सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी पर बिहार एवं उ0प्र0 को जोड़ने के लिए पीपे के पुल की जगह वर्ष 2016 में पक्का पुल स्वीकृत हुआ था, जिस पर सरकार ने 17 करोड़ रुपया पुल बनाने के लिए स्वीकृत किया था, जिसका कार्य राज्य सेतु निगम कर रहा है। उक्त धनराशि का प्रयोग नदी में पिलर बनाने में खर्च किया गया है अभी तक थोड़ा-थोड़ा पिलर खड़ा किया गया है। अभी 21 पिलर बनाना है। धन के अभाव में कार्य रुका हुआ हुआ है। इस पिलर में 2 पिलर बालू में टेढ़े भी हो गये हैं। पिछली सरकार के पांच साल में इस पक्के पुल पर एक पैसा स्वीकृत नहीं किया गया, जिससे निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। यह पुल अति महत्वपूर्ण है जो बिहार एवं उ0प्र0 को जोड़ता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि तत्काल अति महत्वपूर्ण उक्त पुल पर तत्काल इसी बजट में धन उपलब्ध कराया जाय ताकि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके। इस पुल के न बनने से दोनों प्रदेश के जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।]

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। सरकारी अस्पतालों में ना दवा मिल रही है ना जांच हो रही है। करोड़ों रुपए की दवाएं जो जनता को बांटी जानी थी, उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल गई और जनता को वह दवाएं नहीं मिलीं। कई लोगों की दवा के अभाव में मौत हो गई। जनता को अस्पतालों में ना दवा मिल रही है, ना जांच हो रही है, ना आई0सी0यू0 में बेड मिल रहा है, ना वेण्टीलेटर मिल रहा है। दवा और वेण्टीलेटर के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं जिससे जनमानस में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। यह जनता से जुड़ा हुआ जनहित का गम्भीर विषय है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के अति गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए सभी सरकारी असपतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेण्टीलेटर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[महोदय,

1-मनिहारी मोड़ से जखनियां तहसील मुख्यालय होते हुए फद्दोपुर तक सड़क काफी क्षतिग्रस्त है।

2-शादियाबाद से मौधिया होते हुए सैदपुर भीतरी मार्ग तक।

3-शादियाबाद से जखनियां तक रोड (सड़क) काफी क्षतिग्रस्त है।

4-मजुई से जखनियां तहसील मुख्यालय तक।

5-सादाट से टियरां तक रोड पर काफी बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं।

6-गोदसईया रेलवे फाटक से धामपुर वीर अब्दुल हमीद पार्क तक।

7-दुल्लहपुर अमारी गेट से रेवरिया बाजार वीर अब्दुल हमीद पार्क तक।

8-सिखड़ी बाजार से रमसिंहपुर बाजार तक।

9-धामूपुर से मगई नदी के पुल से रमसिंहपुर तिराहा तक।

10-रायपुर से जखनियां तहसील मार्ग क्षतिग्रस्त है।

11-बहरियाबाद पानी टंकी से आजमगढ़ बार्डर तक सड़कें बनवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के बाढ़ खण्ड-2 के अन्तर्गत श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 रामजीत सिंह द्वारा कराये गये बोल्डर आपूर्ति का लम्बित भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 रामजीत सिंह निवासी जनपद गोरखपुर के बाढ़ खण्ड-2 में सेमरा नवलपुर तटबन्ध की सुरक्षा हेतु कि0मी0 2.600 से 3.050 के मध्य अच्छे डीह कटान स्थल के समीप स्र्टेक यार्ड में मिर्जापुर स्टोर वेल्डर आपूर्ति का कार्य कराया गया था जिसका रु0 08.00 लाख का बीजक भुगतान हेतु लम्बित है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त लम्बित बिल के भुगतान कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सन्तकबीरनगर के निवासी परमवीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह का ग्राम-पंचायत घोरांग को लोक प्रेरणा से जोड़ने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि सन्तकबीरनगर के एक मात्र परमवीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह के नाम से सन्तकबीरनगर में कोई प्रेरणा का केन्द्र नहीं है, जिसके कारण परमवीर चक्र विजेता के परिवार व क्षेत्र नौजवानों में एक चिन्ता का विषय बना रहता है जो कि शहीद के नाम से गेट, गांव में पार्क, सड़कों का सौन्दर्यीकरण, मूर्ति तथा स्टेडियम या स्मारक निर्माण करके क्षेत्र में एक मिसाल उदाहरण करना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के ग्राम सभा जमुहार, तहसील-चुनार में जरगों नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के ग्राम सभा जमुहार, तहसील चुनार में जरगों नदी पर पुल न होने से क्षेत्रवासियों एवं किसानों को 15 कि0मी0 चक्कर काटकर आना-जाना पड़ता है जिससे समय एवं धन की बर्बादी होने के साथ-साथ काफी कठिनाई होती है। काफी समय से जरगों नदी पर एक छोल पुल बनाये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम सभा जमुहार, तहसील चुनार में जरगों नदी पर एक छोटा पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में सड़को के मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ में शहर बाईपास बवाली मोड़ से बन्धा होते हुए भवरनाथ होते हुए बैठौली मार्ग रोड अत्याधिक सकरा एवं क्षतिग्रस्त है जो

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0डब्लू0डी0 की सड़कें हैं। शहर का एक ही बाईपास है जिस पर अत्यधिक यातायात होने के कारण सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इस सड़क पर अत्यधिक भार होने के कारण चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण न होने के कारण आम जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर उपरोक्त पी0डब्लू0डी0 की सड़क को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के विकास खण्ड फरीदपुर में ग्राम करपिया से गोसगंज तराई मार्ग एवं नकटिया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, सूच्य है कि विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर में ग्राम करपिया से गोसगंज तराई मार्ग एवं नकटिया नदी पर पुल जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मार्ग एवं पुल के निर्माण से बाढ़ प्रभावित लगभग एक दर्जन गांव के लोगों को आने-जाने में बहुत सुविधा हो जायेगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने आपसे यह उम्मीद रखी थी और आपने यह घोषणा करके हमारा मनोबल भी बढ़ाया। इससे हमारे दिलों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। लेकिन मैं एक बात व्यवस्था के प्रश्न के रूप में कह रहा हूँ कि विधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समय प्रश्न काल का समय होता है, जब सरकार को घेरा जाता है और प्रश्न काल का समय पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:20 तक होता है।

श्री अध्यक्ष-

जब सभी प्रश्न पूरे हो गये थे, उसके बाद मैंने इसको लिया था।

श्री इकबाल महमूद-

लेकिन आज आपने प्रश्न काल 12:15 बजे तक ही चलाया और उसमें आपने अपनी इस नई व्यवस्था की बात बताई जिसकी हमें खुशी हुई। मगर ये जो प्रश्न काल के 05 मिनट रह गए।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

आपका बर्थ-डे कब है ?

श्री इकबाल महमूद-

जब वह होगा तो मैं आपको पहले से बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

बता दीजिये, हम उसी हिसाब से विधान सभा बुलाएंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मैं यह कह रहा था कि प्रश्न काल में आपने हमारे साथ ज्यादती कर दी। इस वक्त आपने हमारे साथ थोड़ी सी ज्यादती कर दी है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन है कि उस समय प्रश्न पूरे हो गये थे, अब आप अपनी बात कल कर लीजिएगा।

श्री इकबाल महमूद-

आप मेरी पूरी बात सुन तो लें। इस वक्त आपने हमारे साथ थोड़ी ज्यादती कर दी और आपने मंत्री जी को बचा लिया।

श्री अध्यक्ष-

मैं कोई ज्यादती नहीं करता, मैंने कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन आप कल इसको दे देना, मैं इसको कल किसी दूसरे नियम में ले लूंगा। मा0 जगदीश नारायण राय जी।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मेरी बात अतारांकित प्रश्न सं0-16 से सम्बन्धित है। प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है ? जवाब आया कि वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 29.43 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। (डेटा स्रोत-तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12) दसरा प्रश्न था कि क्या सरकार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? लेकिन इसका जवाब बड़ा आश्चर्यजनक आया कि जनपदवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, अब अतारांकित प्रश्न पर तो यहां पर चर्चा नहीं हो सकती। अगर आपको यह लगता है कि प्रश्न का जवाब गलत है तो आप नियमों के अन्तर्गत उसको दे सकते हैं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, गरीबों का आंकड़ा क्या है ? यह बहुत अहम सवाल है, इस पर आपकी ओर से व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, आप बहुत वरिष्ठ मा0 सदस्य हैं। आप पहले भी कई बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। यहां पर अतारांकित प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता, यह सम्भव नहीं है। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि किसी भी प्रश्न के अन्तर्गत कोई जवाब किसी मा0 मंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा गलत आया है तो इसके लिए आपके पास संगत नियम हैं, आप उस नियम के अन्तर्गत प्रश्न को अपने प्रमाण के साथ दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-300 के अन्तर्गत लाल जी वर्मा जी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, 24 मई तारांकित प्रश्न संख्या-3 में मैंने एक प्रश्न किया था जल जीवन मिशन में और आपका आदेश था कि कम्पनी का नाम बताइये।

श्री अध्यक्ष-

आप इतना पीछे चल रहे हो, मैंने तो सोचा था कि आप थोड़ा-बहुत पीछे हो। अब तो वह खत्म हो गया, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो इतने सीनियर मेम्बर हो।

(सदस्य श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 लाल जी वर्मा जी। मोना जी आप बैठ जाइये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, आपने आदेश किया था कि आप कम्पनी का नाम बताइए, ठेकेदार का नाम बताइए।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे कम्पनी का नाम बता दीजिएगा, मैं उसे मा0 मंत्री जी को भेज दूंगा। आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। इस बात को आप भी सुन लें और सारे मा0 सदस्य भी सुन लें। आप लोग मेरा निवेदन सुन लीजिए कि आप यहां पर किसी भी प्राइवेट कम्पनी का नाम विधान सभा के अन्दर नहीं ले सकते। अगर आपको जानकारी है तो आप मा0 मंत्री जी को लिखकर दीजिए, वे उसका जवाब देंगे। विधान सभा का सदन किसी प्राइवेट कम्पनी को महिमा

मण्डित करने के लिए नहीं है। यह गलत बात है। अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप बैठ जाइये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दीजिए, यह बहुत गम्भीर विषय है। इस सदन में हमेशा जो भी बात रखी जाती है, वह पूरी सत्यता से रखी जाती है। आपकी अनुमति से मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि मैं एक जिम्मेदार सदस्य हूँ और एक बड़ी विरासत लेकर यहां पर बैठी हुई हूँ। मैंने मा0 मंत्री जी से पूछा था और जवाब आया था कि जो राशन कार्ड की वापसी के आदेश थे, वे सरकार द्वारा निर्गत नहीं किये गये थे। लेकिन मेरे पास विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के ऐसे 08 पत्र हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा न कि उनको जानकारी दे दीजिए, हो जायेगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि अगर यह सरकार के कहने से नहीं था तो फिर ये पत्र किसके आदेश से जारी हुए ?

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, अब वह नहीं हो सकता, नहीं लिया जा सकता, अब वह खत्म हो गया। आपको भी यह मालूम है, आप यह मुझे भेज दीजियेगा। मा0 मंत्री जी ने बोला था कि अगर कोई जानकारी हो तो दे दीजियेगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 मई, 2022 को नियम-300 के अन्तर्गत 01 सूचना प्राप्त हुई।

प्रदेश सरकार द्वारा मा0 सदस्यों के प्रोटोकाल के सम्बन्ध में जारी किए गए शासनादेशों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर शासन ने विभिन्न अवसर पर मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किए हैं, और उस शासनादेश में मा0 सदस्यों को अधिकारियों से मिलने के सम्बन्ध में, टेलीफोन से वार्ता के सम्बन्ध में गाइडलाइन बनायी गयी है और निर्देश दिये गये हैं कि उनके फोन को रिसीव करें। यदि ऐसी स्थिति हो कि फोन न रिसीव कर पायें तो उनको बाद में रिप्लाई करें। मा0 विधायकों के मिलने जाने पर उनके साथ कैसा व्यवहार करें, इन सबके लिए शासनादेश जारी हैं परन्तु आज भी उस शासनादेश का एक प्रतिशत भी अनुपालन

नहीं होता है। मान्यवर, हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, मंत्रियों के लिए भी कभी-कभी इस तरह की स्थिति आती होगी कि बहुत से अधिकारियों से फोन पर जल्दी बात नहीं हो पाती। मान्यवर, मा0 खन्ना जी अभी कल जो चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि पहले एक प्रश्न लगता था तो अधिकारी हमारे घर पर पहले से मौजूद रहता था। इसमें गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आपका शासनादेश है और अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो निश्चित रूप से वह निरंकुश होता जा रहा है जिस कारण लोकतंत्र की जो अवधारणा है, उसके अनुसार लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर कोई व्यवस्था देने का काम करें, ऐसा मेरा आग्रह है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्मा जी ने मा0 जन प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में, अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में, जो प्रश्न नियम-300 के माध्यम से उठाया है, यद्यपि हम अपने प्रयासों का जिक्र करते, इससे पहले उन्होंने इस बात के लिए इंगित भी किया कि समय-समय पर शासनादेश जारी किए और मेरे पास भी ऐसे 5 शासनादेश हैं जो हमारी सरकार में, मैं जब संसदीय कार्य मंत्री बना तो उसके तुरन्त बाद हमने एक शासनादेश चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जारी किया था। उस शासनादेश में इसी बात के लिए इंगित किया गया था कि आप टेलीफोन कॉल रिसीव करें और अगर किसी वजह से उस समय किसी मीटिंग में हों या किसी जरूरी दौरे पर हों तो उसके बाद मिस कॉल मिलने पर भी उसको रिस्पॉन्स किया जाये। यह शिष्टाचार है और करना चाहिए। यह सही है कि उसका कड़ाई से पालन अधिकारियों को जरूर करना चाहिए। आपकी पीड़ा सही है कि यह नहीं हो पा रहा है। इसमें आज ही फिर से ऐसे निर्देश दिये जायेंगे कि इस बात का कड़ाई से पालन हो। मा0 जनप्रतिनिधियों का अपना सम्मान है, वह कभी टेलीफोन करें और बात करना चाहें तो लौटकर उनको जवाब मिलना चाहिए, चाहे मा0 विधायक हों या सांसद हों, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हम इस बात को आज ही फिर से सुनिश्चित करेंगे कि वह प्रॉपर्ली बिहेव भी करें।

(कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सुन लें। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है, उसको भी आप नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप ही के सदस्य ने विषय उठाया है, हम उनकी पीड़ा से अपने आप को सम्बद्ध भी करते हैं और शेयर भी कर रहे हैं। यह सही है कि आपने जो बात उठायी, हम उसका बहुत कड़ाई से पालन करने के लिए फिर से निर्देश भी जारी करेंगे और व्यक्तिगत रूप से मुख्य सचिव से इस बात को कह भी देंगे कि खास तौर से इसका पालन सभी लोगों से करवाना सुनिश्चित हो। मान्यवर, यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 वर्मा जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-300 में नहीं आता इसीलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूँ, लेकिन मा0 वर्मा जी आपको यह बात मालूम है कि इस सन्दर्भ में एक कमेटी, 'अनुश्रवण समिति' बनायी गयी थी जिसके आप भी मा0 सदस्य हैं। अब नयी विधान सभा गठित हुई है, उसमें जो मा0 सदस्य होंगे वह उसके बारे में भी कोई राय देंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बताया, वह अपने आप में पर्याप्त उत्तर है, उसको मंत्री जी देख लेंगे। अब हम नयी मद लेते हैं।

नियम-110 के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित विषय को जोड़ने का अनुरोध

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-110 में मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक विषय छूट गया है, उसी को जोड़ने के सम्बन्ध में है। यह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश की तरफ से है, दिनांक 24-05-2022, विषय-68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षित पिछड़ी जाति को आरक्षण न देने के सम्बन्ध।

श्री अध्यक्ष-

अब आज आप बोल रहे हैं, वह तो जब जुड़वाना था, तब आपने लिख कर नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको दे दीजिये।

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016†

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015, तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016, चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 तथा पन्द्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 ††

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015, तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016, चौदहवीं वार्षिक

---

†छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

रिपोर्ट 2016-2017 तथा पन्द्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2016-2017†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2016-2017, जो दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) के अधीन दिनांक 01 मार्च, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2017-2018†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2017-2018, को दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची मेरे पास आज नहीं आयी है। वो सूची मुझे उपलब्ध करा देंगे तो मैं इधर से भी बुला लूंगा उधर से भी बुला लूंगा। मेरे पास श्री राजपाल सिंह बालियान जी की तरफ से आया है, मैं श्री गुलाम मौहम्मद जी से कहूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें, तब तक आप सूची भिजवा दीजिये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने पढ़ा इसको और ये पाया कि ईज ऑफ लिविंग को आधार बनाया गया है कि किस तरह से लोगों की जिन्दगियां आसान हों, एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जिसमें सर्वहारा अच्छी फिजाओं में सांस ले सके। ऐसा कहा गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग किसके लिए ? गरीब लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, सिलेण्डर 1000 रुपए का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये का हो रहा है, इसी तरह से डीजल की कीमतें, सब्जी की

---

† छापा नहीं गया

† दिनांक 24 मई, 2022 की कार्यवाही से।

कीमतें, दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या ईज ऑफ लिविंग उन गरीब लोगों के लिए है जो इस देश में मेहनतकश हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इतनी महंगाई और ये सब चीजें हैं तो फिर ये ईज ऑफ लिविंग गरीब लोगों के लिए नहीं है। दूसरा तबका जिससे 70 प्रतिशत आजीविका इस देश को मिलती है वह किसान वर्ग है। मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ कि मैं गन्ने के क्षेत्र से आता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि से आता हूँ, मेरे क्षेत्र में बजाज वालों की एक किनौनी मिल है, वह पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई और इस साल का कोई सवाल नहीं उठता, 15 दिसम्बर तक का पेमेण्ट हुआ है, लगभग 01 महीने का।

(इसी मध्य 12 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय गन्ना मंत्री जी इसका संज्ञान लें, वहां के किसान अपनी आजीविका को चला नहीं पा रहे हैं। वहां के किसान अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। खाद, पानी और बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मेरे क्षेत्र में जो चीनी मिल स्थापित है, उसका अब तक का पेमेण्ट कराया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे किसानों ने 13 महीने तक आन्दोलन चलाया और 700 किसानों की शहादत हुई। लेकिन आज भी किसान को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उस अन्नदाता को, उस वर्ग को, जो इस देश के लिए 70 फीसदी आजीविका उपलब्ध करा रहा है, उसका ख्याल रखा जाये और आगे जो भी नीतियां बनें, उसको ख्याल में रखकर ही बननी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूँ, जो शिक्षा का विषय आता है, अभी डॉ0 मन्जू शिवाच साहिबा ने जो समर्थन में अपनी बात कही थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बेसिक शिक्षा में उनको सिफारिश करनी पड़ रही है। सच्चाई यह है कि इस सरकार में बेसिक शिक्षा में यह स्थिति है कि जहां बच्चे हैं, वहां शिक्षक नहीं हैं और जहां शिक्षक हैं, वहां बच्चे नहीं हैं। सिफारिश की बात तो बहुत दूर हुई, इस तरह से बातें करना, मैं समझता हूँ कि हमारे सदस्यों को और हमारे जिम्मेदारों को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है ?

मैं इस बीच में यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र का एक कस्बा खिवाई है, उसमें सिर्फ दो प्राइमरी पाठशालायें हैं, बच्चों को मीलों दूर से आना पड़ता है, वहां दो प्राइमरी पाठशालायें और दे दी जायें। पी0एच0सी0 को भी चालू करा दिया जाये। इसके साथ मैं यह भी रखना चाहता हूँ, लड़कियों का मामला है, हमारी बच्चियों का मामला है, 2012 से 2017 तक दो इण्टर कालेज बनने शुरू हुए थे, एक नानू में और एक धौलड़ी में था, लेकिन दोनों के दोनों अधूरे पड़े हुए हैं, पांच साल गुजर गये, लेकिन उनमें एक ईंट भी आगे नहीं लगी। इस तरह से तो हम विकास का सिर्फ ढिंढोरा ही पीट रहे हैं। जब हम शिक्षा का इन्तजाम नहीं कर सकते, बच्चियों की शिक्षा का इन्तजाम नहीं कर सकते तो फिर कैसे ईज ऑफ लिविंग आ सकती है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सिवाल खास में 2012 से 2017 तक जब

माननीय अखिलेश यादव साहब की सरकार थी तो वहां पर हमने एक महिला डिग्री कालेज बनवाया, वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यह जो डिग्री कालेज अधूरा पड़ा हुआ है और यह महिलाओं की शिक्षा का मामला है, इसके लिए भी कोशिश की जानी चाहिए कि वह जल्द से जल्द शुरू हो।

श्री अधिष्ठाता-

श्री गुलाम मौहम्मद जी, अब कनक्लूड करिये।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, बस एक मिनट में अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमने अखिलेश यादव जी की सरकार में एक राजकीय पॉलीटेक्निक बनवाया था, उसकी बात चल रही है कि उसे पी0पी0पी0 के मोड में दे दिया जायेगा। उसे मोड में न देकर के राजकीय ही चलना चाहिए, ताकि वहां सरकारी, सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके।

श्री अधिष्ठाता-

श्री गुलाम मौहम्मद जी, अब आपका समय पूरा हो गया है। सभी लोगों को बोलना है।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, बस एक मिनट और लूंगा। मैं मेरठ के नगर पंचायत हर्रा में स्टेडियम और अस्पताल की मांग करता हूँ। इसी तरह से रोहटा और किनौनी में इण्टर कालेज और ग्राम रोहटा को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग करता हूँ। मेरठ में हवाई अड्डा चालू कराये जाने की मांग भी मैं आपके माध्यम से करता हूँ। साथ ही मेरठ में एक एम्स की स्थापना की भी मांग करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज 18वीं विधान सभा के लोकतंत्र के इस पावन और पवित्र मन्दिर के बीच में प्रथम बार जीतकर आया हूँ। यहां पर सभी सम्मानित माननीय सदस्यगण को एवं इस सदन को मैं नतमस्तक हो करके प्रणाम करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर समर्थन देने के लिए मौका दिया। महोदय, उत्तर प्रदेश की विवेकशील जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा तथा विकास पर विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अवसर किसी सरकार को 37 वर्ष के बाद प्राप्त हो पाया है। इसलिए यह सिद्ध करता है कि सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दूरदर्शी योजनाओं को तैयार कर उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया गया है। जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाये जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये हैं। इज-लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का केन्द्र-बिन्दु है।

सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की चार दर्जन योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है जो सुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देश और प्रदेश में जो सपना था उस सपने का सही मायने में साकार करने के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, एक नारा लेकर चले हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। विगत 5 वर्षों में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42.5 लाख आवास स्वीकृत किये गये हैं, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1.67 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किये गये, सौभाग्य योजना के माध्यम से 1.41 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये गये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 2.55 करोड़ किसानों को 42565 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये गये तथा 86 लाख किसानों का फसली ऋण माफ किया गया और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपना कर प्रदेश में अपराधमुक्त, भयमुक्त व अन्यायमुक्त वातावरण में कानून का राज स्थापित किया गया। हमारी सरकार के कार्यकाल में सभी पर्व एवं त्योहार शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त होने से नागरिकों में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है और प्रदेश में विकास का माहौल बना है।

(इसी मध्य 12 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित की जा रही है, अब तक 12 लाख 68 हजार से अधिक बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित कराया जा चुका है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 1 लाख 74 हजार 326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए भी योजना को संचालित किया गया है। कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत लगभग 94 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है, यह कन्या विवाह अनुदान योजना है, माननीय मुख्य मंत्री जी की समग्र योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय क्षेत्र पर स्थित दूरस्थ ग्रामों, अति पिछड़े तथा देश की रक्षा में शहीदों के राजस्व ग्रामों का सर्वांगीण किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवास योजना, शौचालय योजना जिसके तहत मेरी विधान सभा 128-बरखेड़ा के अन्तर्गत मरौड़ी ब्लाक में 32 हजार 865 शौचालय बनाये गये हैं और 4757 आवास बनाये गये हैं। बरखेड़ा ब्लाक में 2962 आवास बनाये गये हैं जोकि माननीय मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आते हैं। बरखेड़ा ब्लाक में 28633 शौचालय

बनाये गये हैं। हमारे ब्लाक में 350 गरीब बच्चों के लिए साइकिलों का भी वितरण किया गया है। इसके सात्थ ही प्राकृतिक आपदा, काला बाजार, जे0ई0, ऐ0ई0एस0 एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू वर्ग तथा नट, अनुसूचित जाति एवं चेरो जनजातियों के आवास विहीन या कच्चे, जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित कराई जा रही है। मान्यवर, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मन्दिर के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से श्री काशी विश्वनाथ धाम निर्मित कराया गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अयोध्या में भव्य राम मन्दिर का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार एक जनपद एक मेडिकल कालेज के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं जिनमें से 35 राज्य सरकार द्वारा और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हमारे विधान सभा बरखेड़ा-128, जनपद पीलीभीत की पावन और पवित्र भूमि पर एक मेडिकल कालेज देने की कृपा की जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। महोदय, वहां के मरीजों को काफी असुविधा उठानी पड़ती थी, जब किसी व्यक्ति को गम्भीर रोग होता था तो दिल्ली या एम्स या फिर लखनऊ पी0जी0आई0 लाना पड़ता था, बहुत से गरीब परिवार दिल्ली या लखनऊ नहीं ले जा पाते थे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद माननीय जयद्रथ जी, आपका समय पूरा हो गया है, कृपया समाप्त करें।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द-

लम्बी यात्रा तय करते-करते सफर में ही उस मरीज का देहान्त हो जाता था इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा पीलीभीत में मेडिकल कालेज बनने का निर्णय जनहित में उचित निर्णय रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रवक्तानन्द जी, आपका समय पूरा हो गया है, कृपया बैठ जायें।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, भारत माता की जय।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के द्वारा 23 मई को समवेत् सदन में दिये गये अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रस्ताव को

प्रस्तुत करने वाली इस सदन की वरिष्ठ सदस्य डॉ0 मन्जू शिवाच जी को और इसका अनुमोदन करने वाले माननीय सदस्य श्री साकेन्द्र प्रताप जी को, जिन्होंने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को यहां इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों को और खास तौर पर माननीय अध्यक्ष जी आपको क्योंकि अभिभाषण के दौरान जब महामहिम राज्यपाल जी यहां पर थीं उस एक घण्टे की अवधि को अगर हम तात्कालिक रूप से भूल जायें तो शेष सदन में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। कुल 117 सदस्य अब तक इस चर्चा में भाग लिये हैं जिसमें सत्तापक्ष के 67 माननीय सदस्यों ने और विपक्ष के भी हमारे 50 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग ले करके लोकतन्त्र के इस पवित्र मन्दिर की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इन सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 23 मई को इस सदन में आ करके अपने अभिभाषण के माध्यम से सभी निर्वाचित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया, अपनी शुभेच्छा दी। सरकार ने चूंकि अपना दूसरा कार्यकाल प्रारम्भ किया है तो पहले कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उन्होंने उल्लेख किया, भावी कार्ययोजना के बारे में भी सदन के समवेत् सदन के माननीय सदस्यों को अवगत भी कराया। महोदय, ये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मा0 सदस्यों ने यहां पर बहुत सारी चीजें रखीं। मैं खास तौर पर धन्यवाद दूंगा, जो यहां पर अभी नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी और विपक्ष के अन्य सभी मा0 सदस्यों का, जिन्होंने इस सदन में अपनी बातों को रखा।

मान्यवर, स्वाभाविक रूप से विपक्ष अपनी बात बोलेगा, सत्तापक्ष के मा0 सदस्य अपनी बात को रखेंगे और इन दोनों के बीच से ही हमें एक रास्ता निकालना है। मुझे यहां पर कुछ मा0 सदस्यों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण को मैंने यहां पर पूरी शालीनता के साथ सुना। एक घण्टे का जो उनका भाषण महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर था, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों और अपनी बातों को ज्यादा कहा। स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें अपनी बातों को कहना था, लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। एक होता है कि व्यक्ति अपनी चुनावी सभाओं में बात करता है। वहां पर वह अपनी मीठी-मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य प्रदेश के अलग-अलग भागों से चुनकर आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। मुझे उनके भाषण पर एक बात कहनी है कि

'नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीं पर चांद-सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।' (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं और जय श्री राम के नारे लगाये)

पूरा भाषण अगर एक घण्टे का आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं, तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर

ही करते हैं आर मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है, जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है और सम्मान तब मिलता है, जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता-जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में पूरे देश के अन्दर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं और उसमें हमें जनता-जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। कार्यों का ही उल्लेख यहां पर महामहिम राज्यपाल जी ने किया था। और उन कार्यों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। हम उस पर भी थोड़ी-थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता-जनार्दन के द्वारा प्राप्त हुए जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता-जनार्दन का आशीर्वाद है। हम ढिंढोरा पीट-पीटकर यह नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेस-वे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी।

जनता जानती थी कि कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है। कौन निवेश को ला रहा है और कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। यह जनता-जनार्दन जानती थी इसीलिए जनता-जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दर किनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया और 37 वर्षों के बाद सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आयी है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारम्भ भी कर रही है। ये चीजें सरकार के जनादेश को बताती है और महामहिम राज्यपाल जी ने भी यही कहा। मैं यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है लगभग 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की और इतनी बड़ी आबादी का राज्य, हर सरकार से अपने समय में जरूर कुछ प्रयास किया होगा लेकिन हम उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक क्यों नहीं बन पा रहे थे, जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। राज्यपाल महोदया जी ने इसी बात का उल्लेख किया है कि 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना वह कोई सामान्य बात नहीं असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है और बीजेपी जीत जाये तो ई0वी0एम0 में गड़बड़ी कर दी गयी है। यह आप कब तक करेंगे यह तो जनता-जनार्दन का अनादर है और महोदय यही नहीं इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव सम्पन्न किये, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गये थे, शान्तिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शान्तिपूर्ण तरीके से विधान सभा चुनाव भी सम्पन्न हुए, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं है। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था। लेकिन चुनाव शान्तिपूर्ण तरीके से हुए लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी

एक दीदी आयी थीं और क्या स्थिति थी बंगाल में विधान सभा चुनाव के बाद जो टोटल इन्सीडेन्ट हुए थे वहां पर (पोस्ट पोल वायलेंस) 12000 घटनाएं घटित हुई थीं, 294 विधान सभा सीटों में से 142 पर हिंसक घटनाएं घटित हुई थीं और यही नहीं 25 हजार बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10 हजार से भी ज्यादा कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने को मजबूर हुए थे। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। (शेम, शेम की आवाजें आयीं) 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए थे और 7000 से भी अधिक कम्पलेन भी रजिस्टर्ड हुई थीं। यह स्थिति वहां की थी। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई, यह उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था का एक उदाहरण है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

लेकिन क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार न होती तो तब भी क्या ऐसे ही रहता ? हमें हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए आगाह करता है कि हमारा मिशन केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हमारा मिशन देश होना चाहिए, देश के हित के लिए कार्य करना और देश के हित के लिये कार्य करने के लिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है तो संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान भी हमें करना होगा। उन संसदीय भावनाओं का सम्मान करके हमें आगे बढ़ना होगा और उन भावनाओं को ले करके लगातार यहां पर कार्य हो रहा है। उन्हीं मुद्दों को ले करके हम लोग चलते हैं, उन्हीं भावनाओं को ले करके सम्मान दिया जाता है, वही कार्य होते हैं। यही कारण था मार्च, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारम्भ हुए। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल और ट्रिपल स्पीड से काम किया। उसके परिणाम भी आये। 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। 'ईज ऑफ लिविंग' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया। यहां पर उंगली उठायी गयी, खासतौर पर पुलिस के बारे में। क्या यह सच नहीं है कि 2016-2017 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है, उसमें एक लाख से भी अधिक पुलिस के विभिन्न पद रिक्त थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया। बल्कि उसके बाद भी, जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी, वे रिटायर भी हुए होंगे। अब तक 1 लाख 54 हजार पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न भी किया गया, जिस पर पहले मा0 सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी थी। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार आयी तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शान्तिपूर्ण तरीके से, पूरी शुचिता और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया। 1 लाख 54 हजार से अधिक पुलिस की भर्ती को सम्पन्न किया गया, भर्ती को सम्पन्न करने के बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग की क्षमता को तीन गुना किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

पुलिस भर्ती में केवल भर्ती ही नहीं होनी है, भर्ती होने वाले रिक्रूट में, अब उनकी ट्रेनिंग को भी उसी क्षमता के साथ आगे बढ़ाना था। अब ट्रेनिंग क्षमता तीन गुनी की गयी है। पैरा मिलिट्री और मिलिट्री के ट्रेनिंग सेण्टर भी लिये गये और फिर ट्रेनिंग सेण्टर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया, व्यापक रिफार्म किये गये। पहली बार प्रदेश में 04 पुलिस कमिश्नरेट बने। उत्तर प्रदेश के अन्दर एस0टी0आर0एफ0 का, एस0एस0एफ0 (स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स) का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में मात्र दो साइबर थाने थे। अब हर एक रेंज में एक साइबर थाने का गठन हुआ है। सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत सभी स्थानों पर जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, 17 नगर निगम हैं, इन सभी 17 नगर निगमों को आई0टी0एम0एस0 के साथ जोड़ते हुए सेफ सिटी की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पी0ए0सी0 बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कम्पनियां समाप्त कर दी गयी थीं। उसका गठन ही नहीं होने दिया, पी0ए0सी0 होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों-महीनों तक कर्फ्यू रहता, पी0ए0सी0 होती, क्या बरेली में कर्फ्यू रहता ? पी0ए0सी0 की जितनी कम्पनियां थीं, उनको एक-एक करके बन्द किया जा रहा है। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थीं। भाई-भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। परिणाम यह होता था कि यू0पी0 का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, उसने एल0एल0बी0 किया था, एल0एल0बी0 करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया। उसने घर में जाकर सुसाइड कर लिया।

वर्ष 2017 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है और 1 लाख 54,000 पुलिस की भर्ती को सम्पन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पी0ए0सी0 की कम्पनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है। पी0ए0सी0 की 3 महिला बटालियन भी गठित की गयी हैं। तीनों के गठन हम लोग कर चुके हैं, उनकी अवस्थापना, सुविधाओं के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब मातृ शक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। यही नहीं, हमने जो पुलिस बल की भर्ती की है, उसमें 20 फीसदी बेटियों को भी हम लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। वह अपनी सेवायें भी दे रहे हैं, लेकिन साथ-साथ पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा के लिए भी आजादी के बाद जो कार्य होना चाहिए था, पहली बार 2017 से 2022 के बीच में वह

कार्य होते हुए दिखाई दिये हैं। पुलिस सुधार का व्यापक परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने रिफार्म ही नहीं किया, हमने इसमें हर एक स्तर पर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है और आज पुलिस की छवि पर इसका असर पड़ा है। जब हमें अहंकार होता है तो हम कहते हैं कि हमने यह काम कर लिया, लेकिन जब दुनिया कहती है कि आपने कुछ किया है तब सम्मान पाते हैं। आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक कहीं जाता है तो दुनिया के अन्दर सम्मान पाता है। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है।

उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परम्परागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है। यह सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यू0पी0 के बारे में क्या धारणा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बात करने के लिये आये हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के इस कार्यक्रम के साथ पुलिस रिफार्म के साथ, पुलिस को टेक्नोलॉजी से वेल इक्युप्ड करने के बाद जिस कार्यवाही को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने है और हर एक क्षेत्र में इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पहले हमारे युवाओं की क्या स्थिति थी ? वर्ष 2015-16 मे टैबलेट बांटने के लिए कहा गया था। क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था ? आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं और स्मार्ट फोन भी दे रहे हैं। मैं सभी पक्षों के मा0 सदस्यों से कहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधान सभा सीट पर जाकर युवाओं को स्मार्ट फोन का वितरण किया था और अन्य मा0 सदस्यों ने भी वितरित किया है। अन्य मा0 सदस्य भी वितरित करें। सभी जगह वितरित किये गये हैं। पहल करनी पड़ेगी। एक करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक, परास्नातक युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है और साढ़े बारह लाख युवाओं को अभी तक यह दिया जा चुका है। सेमी कण्डक्टर की कमी के नाते जो प्रोडक्शन या मैन्यूफैक्चरिंग होनी चाहिये उसमें अब थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ रहा है, यू0पी0 उसको ले करके अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अन्दर पांच लाख सरकारी नौकरियां भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी गयीं और कोई यह नहीं कह सकता कि इसमें कोई भाई-भतीजावाद हुआ है, कोई नहीं कह सकता। विभागों ने उन्हें नियुक्ति-पत्र सौंपे हैं। हमने पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 01 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया है और केन्द्र तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्दर 60 लाख स्वरोजगार का भी सृजन हुआ है। इन

सबके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आज पहचान का कोई संकट नहीं है। वह कहीं जाता है दुनिया उन्हें सम्मान के साथ देखती है कि कहां से है, उत्तर प्रदेश से है।

नये भारत का नया उत्तर प्रदेश और नये भारत के इस नये उत्तर प्रदेश के लिये ही यह जनादेश प्राप्त हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन अच्छा भाषण दिया और मुझे लगता अगर उस भाषण में वह उन बातों का थोड़ा उल्लेख कर देते। खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुयी थीं। क्या यह सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेद-भाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था। चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत न आयी हो। यह उत्तर प्रदेश के अन्दर भर्ती घोटाले की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाले की चर्चा भी कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाले की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रन्ट की भी चर्चा हो जाती, कैसे 147 करोड़ के पी0पी0आर0 को बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपये से भी अधिक पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। यह खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में हैं। यानी यह स्थितियां थीं। खाद्यान्न घोटाला है। घोटालों की जो श्रृंखला प्रारम्भ हुयी थी, यह सभी क्या थी, लेकिन 'मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू', यह जो प्रवृत्ति है, यह बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देती है और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि यह भी हमने किया वह भी हमने किया, वह भी हमने किया, हमने कहा कि इसीलिये तो जनता ने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं इसलिये समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिये। (सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) सरकार युवाओं के लिये और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। आज वह जहां कहीं भी जायेगा, अब उसके सामने कोई संकट नहीं है। यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। कल बजट में उसकी चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी। (सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) मंत्रि-मण्डल में इस पर चर्चा हो चुकी है। यू0पी0 के इस युवा की ऊर्जा का लाभ यू0पी0 लेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना करके देश की अग्रणी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का काम वह करेगा।

महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गयी हैं। इतनी बातें कही गयीं, इतनी गुमराह करने वाली बातें होती थीं, ऐसी बातें होती थीं। किसानों ने सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार के समय की थी ? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर

प्रदेश के अन्दर सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या वर्ष 2004 से लेकर 2016 के बीच में हुई है। हम लोग वर्ष 2017 में आये थे, उस समय प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी लेकिन तब भी हम लोगों ने 86 लाख किसानों के कर्जमाफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया था। धान और गेहूं क्रय की एक पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2012 से लेकर 2017 के बीच में किसानों से धान का जो कुल क्रय किया गया, पिछली सरकारों में क्रय केन्द्र नहीं चलते थे आढ़तियों के माध्यम से क्रय किया जाता था, एम0एस0पी0 का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और उसका परिणाम था कि जितना लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता था। अगर मैं धान की ही बात करूं तो वर्ष 2012 से 2017 के बीच में आढ़तियों के माध्यम से 1 हजार 42 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेन्ट हुआ लेकिन वर्ष 2017 से 2022 के बीच में 1,214 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया गया, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई आढ़ती नहीं था, कोई एजेण्ट नहीं था। समाजवादी पार्टी की सकार के समय धान का जो कुल भुगतान किसानों को किया गया वह उस समय 5 वर्ष के कालखण्ड में 12 हजार 804 करोड़ रुपये और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में वर्ष 2017 से 2022 के बीच में 40,158 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। ये गेहूं के प्रोक्योरमेन्ट की मैं बात कर रहा हूँ और धान के प्रोक्योरमेन्ट में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में 17,190 करोड़ रुपये भुगतान किये गये, जबकि पांच वर्ष के अपने कालखण्ड के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 42,244.17 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। हमने डी0बी0टी0 के माध्यम से पैसा किसान के खाते तक पहुंचाने का काम किया है। महोदय, ये एक किसान की तस्वीर है। पिछली सरकारों के समय चीनी मिलें बन्द होती थीं, औने-पौने दाम पे बेच दी जाती थीं। हमारी सरकार में कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं हुई, बेची नहीं गयी।

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल रमाला वर्षों से आस जोत रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार होगा, किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने वहां पर एक नई चीनी मिल लगा दी है, उस चीनी मिल का संचालन भी हो गया है। मुण्डेरवा में किसानों पर गोलियां चलायी गयीं थीं, वहां पर एक नई चीनी मिल आ गयी है, संचालन हो चुका है। पिपराईच में नई चीनी मिल का संचालन हो चुका है जो चीनी मिलें बन्द थीं, उन चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है तो हम लोगों ने उसको चलाने का कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना कालखण्ड में 119 चीनी मिलें चलायी और अब तक उत्तर प्रदेश के अन्दर 1 लाख 73 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है और अगर मैं इसकी बात करूं तो यह 2012 से 2017 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का जो भुगतान हुआ है उससे 78 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि है। अब गन्ना किसानों के हित में कौन

काम कर रहा है ? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है या जो चीनी मिलों को बेंच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। यही होता था। पहले फेज का चुनाव हुआ था, लोग बड़ी नारेबाजी करते थे, कहते थे कि फर्स्ट फेज में देख लेंगे। 58 सीटों पर चुनाव हुए थे, 58 में से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी क्योंकि अन्नदाता किसान जानता है कि उनके हितों का समर्थन करने वाली सरकार कौन है। एम0एस0पी0 की घोषणा 1967 में हुई लेकिन लागत का डेढ़ गुना दाम 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। यह पहली बार किसानों को मिल पाया और उसका लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। गोरखपुर का कारखाना 1990 में बन्द हो गया था। किसी को फुरसत नहीं थी। कमोबेश हमारे विपक्ष में बैठे हुए सभी मित्रगण, ये सभी केन्द्र की सरकार में 1990 के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं। 1990 के बाद से इन लोगों ने गोरखपुर के बन्द कारखानों के बारे में कभी नहीं सोचा। महोदय, आज गोरखपुर का कारखाना फिर से प्रारम्भ हो चुका है। वहां की चिमनी फिर से धुआं उगलने लग गयी है और बेहतरीन खाद का उत्पादन फिर से हो रहा है। यह सरकार की कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, सरकार ने और भी काम किये हैं। जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र, किसान को तकनीकी देने के लिए, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। उन्हें उत्तम बीज मिल सके। उत्तम तकनीकी मिल सके।

भारत सरकार, 2014 में आने के बाद लगातार प्रदेश सरकार को कह रही थी कि हम कृषि विज्ञान केन्द्र देना चाहते हैं, आप लीजिए। यहां पर पहले से 69 कृषि विज्ञान केन्द्र थे, उनकी हालत अत्यन्त खराब थी, बहुत खराब स्थिति थी। कोई पूछने वाला नहीं था। 20 कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश को मिल रहे थे, नहीं लिये गये। 2017 में हम लोग आये, हमारे कृषि मंत्री जी गये और एक ही बार में 20 कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गये। आज 89 कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ उत्तर प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है और सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी हुई है। किसानों के प्रशिक्षण, किसानों को उत्तम बीज देना, किसानों को अच्छी तकनीक देना। किसान खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ देश के अन्दर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्य के रूप में हमारे अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश को फिर से लेकर आये हैं। सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश फिर से स्थापित हो गया है, नहीं तो पिछड़ता जा रहा था। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को पिछड़ाते जा रहे थे। आज प्रदेश में सभी कृषि विज्ञान केन्द्र फिर से काम करने प्रारम्भ हो गये हैं। ई-नाम के साथ प्रदेश के मण्डियों की आधुनिकीकरण के साथ-साथ उनके विस्तारीकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाना और इस दौरान 125 मण्डियों को प्रदेश के अन्दर ई-नाम के साथ जोड़ने की कार्यवाही भी हुई। यही नहीं, प्रदेश के अन्दर किसानों के अलावा गन्ना किसानों की अन्य समस्यायें थीं। महोदय, चीनी बन्द मिलें होती थीं, उन पर शिकन्जा कसा हुआ था। बन्द करने की साजिश होती थी फिर उनको औने-पौने दामों पर बेचने

की साजिश होती थी। हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को शुगर प्रोडक्शन के साथ-साथ एथेनाल प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ा जाये। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे देश के अन्दर परमिशन दी और इसके माध्यम से देश के अन्दर आज सर्वाधिक एथनॉल का उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादन हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में एथेनॉल का उत्पादन 107.21 करोड़ लीटर हो गया है और उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा एथेनॉल आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में भी स्थापित हुआ है। यानि वह पैसा जो पहले पैट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाता था। अब वह पैसा बाहर नहीं जायेगा बल्कि एथेनॉल के रूप में उसका इस्तेमाल यहां के वाहनों के उपयोग में लाया जायेगा। अभी एथेनॉल को दस प्रतिशत से बीस प्रतिशत बढ़ाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है लेकिन जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो यह पैसा भी किसान के खाते में जा रहा है। जो पैसा पहले बाहर गल्फ कंट्रीज को जाता था वह अब वहां न जाकर अन्नदाता किसान के जेब में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इस तरह से किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाया है।

महोदय, यही नहीं उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। दुनिया की सबसे फरटाइल लैण्ड हमारे पास है। सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। पिछली सरकारों में होड़ लगी रहती थी कि कितने ब्लॉकों को हम डार्क जोन घोषित कर लें और हमने उन ब्लाकों को डार्क जोन से उभारने का काम किया है। सिंचाई की योजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भारत सरकार बार-बार राज्य सरकार को कहती थी कि हम आपकी पुरानी लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं जिससे अन्नदाता किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके और वह अधिक उत्पादन कर सके और लागत कम लगे। लेकिन पिछली सरकारों को फुरसत नहीं थी इन सब चीजों को करने की। आज हम लोगों ने बाव सागर परियोजना पूरी कर ली, अर्जुन सहायक परियोजना पूरी कर ली व सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी कर ली और ऐसी बीस से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को सरकार ने पूरा किया। वर्तमान में लगभग 21 लाख हेक्टेयर से अधिक लैण्ड की सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता पिछले पांच वर्षों के अन्दर प्रदेश में उपलब्ध कराने का काम किया है जिसमें महोदय, 45 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत भी बुन्देलखण्ड में तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट लगाये गये और भी अन्य कार्यक्रम प्रदेश के अन्दर हुए हैं। यही नहीं प्रदेश के अन्दर हमारे श्रमिकों के लिए पिछली सरकार ने आखिर क्या कार्य योजना बनाई थी जो कार्य योजना बनाई थी उसे समस्या मानते थे लोग और जब समस्या आती है तो अन्तर यही होता है कि आप समस्या पर चर्चा करते हैं और चिन्तन करते हैं और हम लोग समाधान पर चिन्तन करते हैं। महोदय, समस्या के दो ही समाधान होते हैं और दोनों का नाम एक ही भाग लो, भाग लो यानि एक भाग लो का मतलब हम उस चैलेंज को स्वीकार करें और समस्या का समाधान निकाल लें और एक पलायन कर लो। आपने पलायन का रास्ता अपनाया तो जनता ने आपका पलायन कर दिया। हमने चैलेंज को स्वीकार किया तो हमारा

श्रमिक हमें सम्मान देने के हमारे साथ खड़ा हो गया। आज उत्तर प्रदेश में प्रवासी हो या निवासी हर श्रमिक को दो लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की उत्तर प्रदेश सरकार गारण्टी दे रही है और पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर भी हर एक श्रमिक के लिए उत्तर प्रदेश के अन्दर अनिवार्य कर दिया है। उनको बीमारी के लिए कोई पैसा नहीं देना है। यह सुविधा भी सरकार उपलब्ध करा रही है। बटाईदार जितने भी थे जो खेती-किसानी के साथ जुड़े होते थे उनको भी पांच लाख की मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत उसे कवर करने की गारण्टी भी सरकार ने उन्हें उपलब्ध करा दी है और यही नहीं प्रत्येक श्रमिक को कोविड महामारी के दौरान भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का कार्य सरकार ने किया है। संकट का साथी कौन यह कोरोना महामारी ने बता दिया है क्योंकि सरकार उनके दरवाजे थी। राशन कार्ड की सुविधा हर एक श्रमिक को दी है और यही नहीं नेशनल पोर्टेबिलटी के माध्यम से अगर यू0पी0 का कोई श्रमिक भाई। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक अगर किसी अन्य राज्य में कार्य कर रहा है और उसका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का बना हुआ है तो उसे मा0 प्रधानमंत्री जी ने सुविधा दी है कि वह महाराष्ट्र के अन्दर, दिल्ली के अन्दर एवं अन्य राज्यों में राशन ले सकता है। उसको यह सुविधा नेशनल पोर्टेबिलटी उपलब्ध करा रही है।

उत्तर प्रदेश को 'वन नेशन, वन राशन' की सुविधा प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश का हर श्रमिक इस सुविधा का लाभ ले रहा है या दूसरे राज्यों के जो श्रमिक उत्तर प्रदेश के अन्दर है उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का शुभारम्भ किया गया है। श्रमिक ने दो महीने लखनऊ में कार्य किया और प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उसे आगरा कार्य करने जाना पड़ा, उसके बाद किसी तीसरी जगह कार्य करने चला गया। बच्चे भी श्रमिक के साथ ही घूमते रहते थे और वह स्कूल नहीं जा पाते थे। हम लोगों ने मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं जिसमें श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के साथ ही उन्हें हर प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का काम भी होगा। सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम प्रारम्भ किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में मातृ शक्ति को बहुत सम्मान दिया गया है और हमारी संस्कृति में जो कुछ भी है वह सुन्दर है, अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना मातृ शक्ति के रूप में ही की गयी है और हमारी सरकार ने उस परिकल्पना को क्रियान्वित करने का काम भी किया है। हमारी सरकार वर्ष 2017 में आयी थी और सरकार आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन किया था। उन सभी शोहदों पर शिकन्जा कसा था जो बेटियों एवं बहनों के बाहर जाने पर बाधक बने हुए थे और उन्हें परेशान करते थे, बहुत ही सख्ती से शिकन्जा कसा गया था। प्रदेश के अन्दर उन सभी योजनाओं को लागू किया गया जो भारत सरकार की थीं। चाहे वह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना को लागू किया। हम लोग मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत छः चरणों में बेटी को शासन की ओर से एक

मानदेय उपलब्ध करवाते हैं, बालिका के जन्म होने पर 02 हजार रुपये, बालिका एक वर्ष की हो और टीकाकरण पूर्ण होने पर 01 हजार रुपये, कक्षा-01 में प्रवेश पर 01 हजार रुपये, कक्षा-06 में प्रवेश होने पर 02 हजार रुपये, कक्षा-09 में प्रवेश होने पर 03 हजार रुपये और 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त या स्नातक में प्रवेश करने पर 05 हजार रुपये दिया जाता है। कुल 15 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार के स्तर पर बेटी को मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है और अब तक प्रदेश की 12 लाख 67 हजार से अधिक बेटियां इससे आच्छादित हो चुकी हैं। मैंने पुलिस भर्ती की बात पहले ही की कि हम लोगों ने 20 प्रतिशत बेटियों को पुलिस की भर्ती में स्थान दिया है। वह आज महिला सुरक्षा के साथ-साथ मिशन शक्ति के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, आशा वर्कर हैं या फिर रसोईयां हैं। इन सभी के मानदेय को भी बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार ने किया है।

आज आप देखते होंगे कि वह आन्दोलन नहीं बल्कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने 25 करोड़ जनता को बचाने का काम किया है। उनका काम अभिनन्दनीय है। ए0एन0एम0 है, संगिनी है, आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, उन सभी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदेश के एक-एक नागरिक को बचाने का काम किया है और हेल्थ वर्कर के साथ कदम-से-कदम मिलाकर उस संकट के दौर से प्रदेश को उबारा है, सबके सामने प्रदेश का मॉडल प्रस्तुत किया है तो प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार ने भी उनके सम्मान का संवर्द्धन करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। प्रदेश ने विगत पांच वर्ष के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम चलाये हैं जिससे भारत सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार का लाभ वास्तव में प्रदेश की जनता को प्राप्त हो सके। हो सकता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को डबल इंजन से परहेज हो लेकिन डबल इंजन का लाभ किस रूप में प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है मैं उसकी एक छोटी-सी झांकी भी यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे यह किया गया, यह भी बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि योजनाएं सिर्फ हमारे आने के बाद प्रारम्भ हुई हों, समस्या थी लेकिन समस्या का समाधान भी था। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। आपने बहाना ज्यादा बनाया था रास्ता नहीं निकाला था, रास्ता निकालने का प्रयास भी नहीं किया। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हां, क्यों नहीं, ये महारथ हम लोगों को हासिल है और हम लोगों ने किया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) क्योंकि शौचालय केवल हमारे लिए एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का माध्यम नहीं बना था बल्कि बहन-बेटियों की सुरक्षा का माध्यम एवं उनके गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम बना था। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) 02 करोड़ 61 लाख शौचालय प्रदेश के अन्दर बने थे। जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था तो सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ा बैरियर

यू0पी0 माना जा रहा था कि यू0पी0 इसे प्राप्त कर पायेगा या नहीं कर पायेगा। ढाई साल का समय समाजवादी पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ था और हमें केवल डेढ़ साल का समय मिला था क्योंकि अक्टूबर, 2018 में ही इस लक्ष्य को पूरा करना था। हम लोगों ने कहा कि हम इसे करेंगे। पिछले पांच साल में बहुत कम शौचालय बन पाये थे, इसमें रुचि नहीं थी, पिक एण्ड चूज होता था, हम लोग सत्ता में आये, हमने राज मिस्त्रियों की ट्रेनिंग कराई, युद्धस्तर पर कार्य आगे बढ़ाया और अगले डेढ़ वर्ष के अन्दर हम लोगों ने लक्ष्य को पूरा किया और सबने उत्तर प्रदेश के मॉडल को सराहा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया, इसलिए उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना भी हुई। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) ये लोग पूछते हैं कि इसका लाभ क्या हुआ है, मैं इसका लाभ भी बताता हूँ। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे जन-प्रतिनिधि यहां पर होंगे, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, सहारनपुर तक ये पूरी बेल्ट जाती थी। हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत इन्सेफलाइटिस से होती थी। इन्सेफलाइटिस हमारी लम्बी लड़ाई चली थी। मैं वर्ष 1998 में पहली बार सांसद बना था और तब से हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस समस्या को केवल उपचारात्मक ढंग से हल करने का प्रयास किया गया, यह नहीं हो सकता था। उसके समाधान के लिए हमें क्या तरीके अपनाये जाने चाहिए थे उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा उपचारात्मक पक्ष भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ हमें उस पक्ष की तरफ भी जाना चाहिए जो पक्ष एक लोक जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष होता है। प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। स्वच्छ भारत मिशन एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इस कार्य में सहायक हो सकती है और मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है कि इन्सेफलाइटिस जिसके कारण पिछले 40 वर्ष में पचास हजार बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई और ये पचास हजार बच्चे कौन थे या तो ये दलित संवर्ग से मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे थे या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे थे। पचास हजार से अधिक बच्चे मरे थे लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2017 में हमारी सरकार आई और हमने अंतरविभागीय समन्वय समिति बनाई और फिर इस पर कार्य प्रारम्भ हुआ, केन्द्र और प्रदेश सरकार ने सामूहिक रूप से इसके लिए कार्य किया।

यहां पर हमने हॉस्पिटल भी दिये, पीको बनाये, मिनी पीको का निर्माण किया, हमने आई0टी0सी0 का निर्माण किया, इन्सेफलाइटिस ट्रीटमेण्ट सेण्टर जगह-जगह स्थापित किये और शौचालय बनाने के साथ-साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी उन क्षेत्रों में करने का कार्य किया। आज परिणाम क्या है ? इन्सेफलाइटिस से 95 फीसदी मौतें कण्ट्रोल हो चुकी हैं। इन्सेफलाइटिस से जो बच्चे मरते थे, आज नहीं मर रहे हैं। क्या यह शौचालय निर्माण का परिणाम नहीं आया है ? वह बच्चे अगर आपका वोट बैंक नहीं थे तो क्या आप उनके लिए कोई कार्य योजना नहीं

बनायेंगे ? वह चौराहे पर भाषण नहीं दे सकते थे, क्या आप उसके बारे में बोलेंगे नहीं ? उन बच्चों की ही गलती थी जो देश या प्रदेश उनकी प्रतिभा से वंचित रहा, जो असमय काल-कवलित हुए, अन्यथा उनकी ऊर्जा हमें मिली होती, उनकी प्रतिभा का लाभ हमें मिला होता। हमारा तो एक-एक किसान, हमारा एक-एक श्रमिक, हमारा एक-एक नौजवान हमारी ऊर्जा का प्रतीक है और हमें इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन उसकी उपेक्षा इसलिए होती थी, क्योंकि वह मलिन बस्ती में रहता था, क्योंकि वह अल्पसंख्यक बस्तियों में रहता था और उस स्थिति से उसे उबारने का कभी प्रयास नहीं हुआ और इसीलिए खिल्ली उड़ायी जाती है कि आप तो शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। भाई, हमारी तो योग्यता वही है, हम लोग तो वहीं से निकले हैं, इसलिए हम लोग उस समस्या के समाधान का रास्ता भी निकालेंगे और पूरा देश आभारी है, 10 करोड़ लोगों को देश के अन्दर एक-एक शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।

महोदय, यही नहीं, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध करायी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी मिलाकर अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विगत 05 वर्ष के अन्दर 42 लाख 50 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्रदेश के अन्दर एक-एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार ने किया है और मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भी 01 लाख 08 हजार से अधिक गरीबों को एक-एक आवास उपलब्ध हुआ है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) महोदय, यानी साढ़े तैंतालीस लाख गरीबों को आवास की सुविधा डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवायी है। यह तैंतालीस लाख गरीब पहले भी आवास प्राप्त कर सकने के हकदार थे, पहले भी उन्हें दिया जा सकता था। उनके जीवन को हम सरलीकृत कर सकते थे, आसान कर सकते थे। हम जब एक योजना को जोड़ते हैं, वह योजना उसके जीवन में परिवर्तन का कारक बनती है। एक-एक योजना, एक-एक व्यक्ति को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि उन्होंने एक-एक योजना को केवल रेवड़ी बांटने का नहीं, बल्कि स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनाया और स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के माध्यम से सभी योजनाएं बन सकती थीं, बनायी जा सकती थीं, पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार लिखती थी, गरीबों को आवास मिलना चाहिए, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। हमें अवसर मिला, हम लोगों को सौभाग्य मिला कि हम लोग उन गरीबों की सेवा कर सकें। वनटांगिया गांव, आजादी के बाद वोटिंग का अधिकार नहीं था, गोण्डा, बलरामपुर, गोरखपुर, महराजगंज, बहराइच, लखीमपुरखीरी, पीलीभीत, इन जनपदों के लोगों से पूछो ना, जनप्रतिनिधियों से पूछो ना ? वह लोग यहां के नागरिक हैं, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं। उनके यहां सड़क नहीं, उनके लिए बिजली नहीं, उनके लिए पानी नहीं, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, उनके लिए राशन नहीं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। 50 से 60 हजार की आबादी वंचित रखी गयी थी, आखिर पिछली सरकारों का ध्यान

उनकी तरफ क्यों नहीं गया ? हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया और सभी प्रकार की सुविधाओं से आज पूरा करने का काम हो रहा है। कुछ हो चुके हैं। पहली बार उन्होंने पक्के मकान देखे हैं। वनटांगिया है, मुसहर है। मुसहर को हम लोग आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। सहेरिया है बुन्देलखण्ड में, थारू है नेपाल की तराई के क्षेत्रों में, चेरो है, कोल है, इनका इतिहास उतना ही पुराना है, जितना इस धरती माता का इतिहास है। लेकिन उनके साथ कभी न्याय नहीं हो पाया, उन्हें इन लोगों ने सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवायीं। लेकिन आज उन सबको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। एक-एक आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली का कनेक्शन फ्री में, उज्ज्वला गैस का सिलेण्डर फ्री में, राशन फ्री में, इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है और इस सुविधा की उपलब्धता करवाने के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास आगे बढ़ाये हैं आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। उन क्षेत्रों में लोगों के मन में एक विश्वास जगा है वह यह है कि मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूँ।

सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे कार्य किये जाने चाहिए, इसके बारे में भी उनके मन में विश्वास जगा हुआ है और उसने अपने विश्वास की अभिव्यक्ति भी की है। यह पिछली सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन यह करने का काम भी नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में क्या किया था और बेसिक शिक्षा की स्थिति क्या थी। वर्ष 2017 के पहले बच्चों की स्थिति क्या थी। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही थी। आप कह रहे थे कि पांच लाख भर्ती कहां की है। एक लाख 26 हजार बेसिक शिक्षा परिषद् के ही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2017 में पूरी की गई। श्रावस्ती एक जिला है, नीति आयोग आकांक्षात्मक जनपद यानि एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रावस्ती को भी चिन्हित किया गया। देश के अन्दर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, जल संसाधन, रोजगार सृजन इन सभी मामलों में जो जिले पिछड़े रह गये थे और जो सामान्य जनपदों से पीछे रह गये थे। ऐसे 112 एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने चिन्हित किये और उसमें से उत्तर प्रदेश के आठ जिले थे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चन्दौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। श्रावस्ती उनमें से एक था। मैं श्रावस्ती जिले की वर्ष 2017 में समीक्षा कर रहा था कि इसकी स्थिति क्या है। बेसिक शिक्षा परिषद् के 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। आप एजुकेशन इण्डेक्स की बात कर रहे हैं। आखिर पांच साल तक क्या कर रहे थे। पांच सालों तक क्या हो रहा था, क्यों नहीं हम पांच वर्षों से 120 विद्यालयों की सुध ले पाये थे और मैं अभिनन्दन करूंगा अपने उन सभी जन-प्रतिनिधियों का जिन्होंने आपरेशन कायाकल्प में प्रादेशिक शिक्षा परिषद् के एक-एक विद्यालय को गोद ले करके उनका कायाकल्प कर दिया। विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए सैपरेट टॉयलेट, सैपरेट पेयजल की व्यवस्था, फ्लोरिंग की व्यवस्था की गई। अच्छी मैटिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था एक लाख तीस हजार विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के

ऐसे हैं, जिन विद्यालयों का आपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अब तक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हुआ। मैं चित्रकूट गया था, चित्रकूट में कोल जाति से जुड़ी हुई एक बस्ती थी। मैंने वहां पर पूछा क्या कोई यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल गया था। मैंने कहा कि क्या यह स्मार्ट क्लास जो यहां लगी है, क्या यह वैसी ही लगी है कि इसका उपयोग भी होता है। शिक्षक चुप थे, विद्यालय में मैं अचानक गया था, तब तक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा मैं जानती हूँ और वह गई उसने प्लग ऑन किया, फटाफट स्मार्ट क्लास का कैसे उपयोग किया जा सकता है, वह तत्काल उसको संचालन करने में लग गई। आज अवसर मिल रहा है तो अब वह भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है और वह काम मैंने चित्रकूट में अपनी आंखों से देखा है। यही स्थिति प्रदेश के अन्दर अन्य जनपदों में भी है। हर जगह कार्य हुआ है। नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया है।

प्रदेश के अन्दर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ठीक करने की व्यवस्था हुई, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से ऐसे कोई भी बच्चे न हों, जो स्कूली व्यवस्था में आने से वंचित रह जायें। बच्चों को दो यूनीफॉर्म देना, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर की सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, मिड-डे मील जैसी व्यवस्था को और अच्छा करने की व्यवस्था करना, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ना ताकि उन बच्चों को क्वालिटी फूड मिल सके, उन बच्चों को प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो सके, उनको गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इस पर ध्यान दिया गया, इसके लिए यह व्यवस्था यहां पर लागू की गई। आज उच्च शिक्षा में भी व्यापक सुधार हुए हैं। यहां पर मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोगों ने ऐसे कौन से विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान खोल दिये। हमारे संस्थान वही हैं, आपने कुछ की चर्चा स्वयं ही की थी। बजट में उसकी कुछ बात यहां पर आई है। हम कार्य पहले ही प्रारम्भ कर चुके हैं। प्रदेश में पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है और वह कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस साल के अन्त तक उसका अपना भवन बनकर तैयार हो जायेगा, कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पहली बार प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजेज उस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होंगे। प्रदेश के अन्दर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी जी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इस सत्र में हम लोग एफिलिएशन की कार्यवाही को आगे बढ़ा चुके हैं। जितने भी महाविद्यालय उसके कमाण्ड एरिया में आयेंगे, वे उससे जुड़ेंगे। साथ ही आजमगढ़ में, नेता प्रतिपक्ष तो आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, विधान सभा का सदस्य बनने से पहले आप आजमगढ़ से ही सांसद थे तो कम से कम आपने अपने ही समय में वहां विश्वविद्यालय खोल लिया होता, पर फुरसत नहीं मिली। लेकिन हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं सोच रहा था कि नेता प्रतिपक्ष यह भी

कह देंगे कि विश्वविद्यालय तो हमने भी सोचा था, लेकिन बना हमने दिया और बनना भी चाहिए, आवश्यकता है तो बनना भी चाहिए। वहां की आवश्यकता थी तो हम लोगों ने बना दिया है, एफिलिएशन की कार्यवाही चल रही है और उसके भवन का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी के नाम पर बनाया जा रहा है और मेरठ में मेजर ध्यान चन्द जी के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की जा रही है। राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी एक ऐक्ट ला करके पिक ऐण्ड चूज नहीं बल्कि एक पॉलिसी बनेगी और उसी पॉलिसी के माध्यम से काम होगा। पहले तो ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए लैण्ड की रिक्वायरमेण्ट कम कर दो। बाकी कोई और आयेगा तो उसके लिए ज्यादा बढ़ा दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, हमने एक पॉलिसी बनाई, उसको हर व्यक्ति फॉलो करे और पॉलिसी को फॉलो करते हुए फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करे। एक व्यवस्था बनाई गई, एक यूनिफार्म व्यवस्था और उस यूनिफार्म व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर आज ये कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के अन्दर उच्च शिक्षा नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है। टेक्निकल एजुकेशन में पहली बार ऑन-लाइन इग्जामिनेशन की कार्यवाही भी सम्पन्न हुई।

हालांकि कोविड काल खण्ड में हमारे सामने तमाम चैलेंज आये, लेकिन उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ और अन्य तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही के साथ ही प्रदेश में यहां पर अन्य बातों के अलावा मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने कुछ अन्य मुद्दों की चर्चा भी कर ली होती तो अच्छा रहता। जैसे समाजवादी पेंशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला चल रहा था ? उस घोटाले की भी चर्चा कर लेते। हमने तो कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम पेन्शन देंगे या भारतीय जनता पार्टी पेन्शन। पार्टी के नाम पर पेन्शन नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपको तो कम से कम यह देखना चाहिए कि नेता जी ने तो एक बार कहा था कि भई, अगर कार्यकर्ता देखने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को देखो।

(मेजों की थपथपाहट)

आपने यहां पर उस दिन चर्चा की कि रामपुर के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थाने में गये थे, लेकिन वह घटना सच नहीं थी परन्तु हां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूंगा। यहां पर एक पर्चा लहराया गया था और कहा जा रहा था कि जो बेसहारा गौ-वंश हैं, उसको कैसे प्रदेश में मारा जा रहा है, उसका उल्लेख है। महोदय, वह चित्र कहां का था ? तमिलनाडु का था। तमिलनाडु में जल्लीकुट्टू एक खेल होता है और उस खेल में

लोग बैलों की रेस लगाते हैं और उसके बाद कुछ खेलते हैं, उसी में बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जानलेवा हो जाता है। वह चित्र वहीं का है, लेकिन यहां पर लहराया गया सिर्फ प्रदेश को बदनाम करने के लिए यानि राज्य का अपमान कैसे हो। यह चीजें मैं देखकर ताज्जुब करता हूँ कि इसको यहां पर कैसे दिखाया जाता है। सम्भवतः उन्नाव की घटना हम अभी भूले नहीं होंगे, 'सपा नेता के प्लाट में गड़ी मिली दलित लड़की की लाश', यह सच था न ? उन्नाव तो यहीं बगल में है।

यह उन्नाव के अन्दर समाजवादी पार्टी के नेता के प्लॉट में हुआ। उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आयी थी। ललितपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ एस0पी0 नेता के द्वारा दुष्कर्म की बात सामने आने पर फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, यह बात भी सबके सामने है। यही नहीं, मेरे सामने तो बहुत बड़ी लिस्ट है, यदि मैं उसको पढ़ने लग जाऊँगा तो अनावश्यक रूप से एक वैसी स्थिति पैदा हो जायेगी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़े बहुत विषय देख लेंगे। यहां पर 'चोरी के वाहन के साथ एस0पी0 नेता गिरफ्तार, 12 इंजन, 10 गेयर बॉक्स, 2 स्कार्पियो, टाटा, फॉर्च्यूनर समेत कई वाहन सामान बरामद किये गये'। अब यह लोग कानून व्यवस्था के बारे में हमसे प्रश्न करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि पिछली सरकारों के समय में थाना और तहसीलें गिरवी रख दी जाती थीं।

भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी थाने में नहीं जाता है, किसी तहसील में नहीं जाता है और अनावश्यक सिफारिश करने नहीं जाता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रान्सफर-पोस्टिंग में सौदेबाजी नहीं करता है, उसको उद्योग नहीं बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहां कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। हम सच्चाई को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते हैं ? मुझे लगता है कि जिस दिन व्यक्ति सच स्वीकार कर लेगा तो बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होता हुआ दिखायी देगा, लेकिन सच न स्वीकार करना ही, मुझे लगता है कि जनता-जनार्दन के द्वारा यह जो जनादेश दिया गया है, उसी का एक परिणाम भी है। जनता जानती है कि कितना सच बोलेंगे आप लोग, इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करती है और आप लोगों को बार-बार उधर की ओर करने का काम भी कर रही है। मेडिकल कॉलेजेज की स्थिति क्या थी ? महोदय, प्रदेश के अन्दर अगर हम इसकी चर्चा कर ही लें तो कैसे यहां की व्यवस्था को बदनाम करने का काम किया गया है, कैसे यू0पी0 को बदनाम करने का काम किया गया है। और कैसे वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य की सुविधायें बदहाल थीं ? भारत सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहती थी। लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स पिछली सरकार ने नहीं ली। फ्री में मिल रही थी, नहीं ली। मार्च, 2017 में जब मैं मुख्य मंत्री बना तो मुझे पता लगा कि हमें लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स मिल रही है तो मैंने उस समय के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा कि इसकी क्या शर्त है ? उन्होंने कहा कि कोई शर्त नहीं है, केवल एक पत्र

हमारा जाना है, वो उसको स्वीकार करेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री गये और ये सभी लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स यू0पी0 को प्राप्त हुईं। आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े जनपद में 04 से 05 और छोटे जनपद में 02 से 03 लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स हमारे पास मौजूद हैं। उनकी कीमत को हम लोगों ने कोविड काल खण्ड में पहचाना है कि उसकी क्या कीमत है, उसका महत्व क्या होता है वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर देखा। दूसरा इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है कि प्रदेश ने अपने यहां लक्ष्य इस दिशा में प्राप्त किया है। मैं अभी भारत सरकार के कुछ डाटा देख रहा था और मैं इस चीज को देख रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सूचकांक में एक बेहतर स्थान प्राप्त किया है। खास तौर पर एन0एफ0एच0एस0-4 की तुलना में एन0एफ0एच0एस0-5 में जो संस्थागत प्रसव की संख्या है वह 67.80 प्रतिशत से बढ़ करके 83.4 प्रतिशत हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में मात्र 9.67 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसमें सर्वाधिक बढ़ोत्तरी उत्तर प्रदेश के अन्दर हुई है। टीकाकरण में बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से पूरा किया। हमेशा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात को ले करके हमारे तमाम जनपदों में आरोप-प्रत्यारोप लगते थे, उसको भी बेहतर करने का कार्य किया गया। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर मैटरनल एनीमिया में, संस्थागत प्रसव में, शिशु मृत्यु दर में और सभी अन्य मानकों में विगत 05 वर्ष के अन्दर अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आजादी के वर्ष 1947 से ले करके वर्ष 2017 तक 70 वर्षों में प्रदेश में राज्य सरकार के स्तर पर मात्र 12 गवर्नमेण्ट मेडिकल कालेज खुल पाये थे। वर्ष 2017 से लेकर अब तक हम लोग 33 नये मेडिकल कालेज का निर्माण या तो प्रारम्भ कर चुके हैं या प्रारम्भ कर रहे हैं या उसमें कार्य चल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कालेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अन्दर एम्बुलेन्स के बेड़े को बढ़ाने, उसकी स्ट्रैन्थनिंग करने, उसको डिसैन्ट्रलाईज करने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर वर्तमान में चल रही है, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है ?

महोदय, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था और कोरोना काल खण्ड में हर व्यक्ति परेशान था, नई बीमारी थी कोई उपचार नहीं था, क्या होना है ? उस समय विपक्ष ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया था ? क्या स्थिति थी ? अरे कोरोना एक अदृश्य शत्रु था। होना यह चाहिये कि हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिल करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए था। पहली बार हुआ है जब किसी देश का कोई प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहा हो, देश को लीड कर रहा हो, फ्रण्ट फुट पर आकर लोगों को नेतृत्व दे रहा हो। लेकिन विपक्ष उसमें भी राजनीति करने से नहीं चूका। आपने देखा होगा, कहां थे ये लोग ? लॉकडाउन के दौरान जरूरतमन्दों को भोजन देने में किसी का पता नहीं था। राजनीतिक विपक्षी दलों के नेता और उनके कार्यकर्ता गायब थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर उस समय एक अभियान छेड़ा, 'सेवा ही संगठन है'। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) यानी सेवा को संगठन मान करके हम सेवा करेंगे, अपनी जान

की परवाह नहीं करेंगे और सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता, एक-एक घर में गया और एक-एक व्यक्ति को सहायता देने में उसने किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, कोई भेदभाव नहीं किया और हर एक घर तक पहुंचा था। सरकार भी उसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, महोदय, परिणाम आये। मैं कुछ डाटा दे रहा हूँ अैर नेता प्रतिपक्ष अगर उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा, यह चीजें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप प्रोसीडिंग का हिस्सा भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि नोट करेंगे तो गम्भीरता बनेगी और लोगों को सुनने में अच्छा भी लगेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। आज कोविड के कुल एक्टिव केस 127 आये हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल रिकवरी 20 लाख 54 हजार 9 सौ 35 की हुई है, यानी इतने लोग ठीक हो करके कोविड से मुक्त हो चुके हैं और उनको कोरोना नहीं है। हमारा रिकवरी रेट 98.8 प्रतिशत है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। पिछले दो साल से अधिक समय में, मार्च, 2020 से लेकर अब तक कुल 23 हजार 5 सौ 19 हुई है। हम लोगों ने कुल टेस्ट 11 करोड़ 40 लाख 53 हजार 9 सौ 68 किये हैं। इस दौरान हम लोगों ने कुल टीकाकरण 32 करोड़ 55 लाख 73 हजार 4 सौ 42 किये हैं। वैक्सीन भी उपलब्ध करायी है। हम लोगों ने आर0टी0पी0सी0आर0 की 209 लैब्स इस दौरान प्रदेश के अन्दर स्थापित की हैं। आज हम 4 लाख टेसट पर-डे करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास 1 लाख 61 हजार से अधिक बेड्स मौजूद हैं, जो कोविड के लेविल-1, लेविल-2, लेविल-3 के हैं, जिसमें हम कोविड के पेशेन्ट्स को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। महोदय, अगर मैं इसकी तुलना अन्य राज्यों से करूं, यद्यपि यह बेमानी होगी। लेकिन फिर भी यहां पर जो ये कहते हैं कि यू0पी0 में बदहाल स्थिति है, बदहाल स्थिति है, क्योंकि विरासत में हमें बदहाल स्थिति मिली थी। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) अगर हमें अच्छी स्थिति मिली होती तो हम उसको और अच्छा करते। हमें बदहाल स्थिति मिली थी, उस बदहाली से उबरने में कुछ तो समय लगता है। हमने 5 साल में उसे बदहाली की स्थिति से ऊपर किया है। ठीक कहा हमारे डिप्टी सी0एम0 श्री ब्रजेश पाठक जी ने कि जो हमें बदहाल स्थिति मिली थी, उस पर हमें शर्म आती है, क्योंकि 2017 में जो बदहाल स्थिति मिली थी, उस समय क्या स्थिति थी ? उस समय की स्थिति बदहाल थी और उसी स्थिति पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि हमें विरासत में विपरीत परिस्थितियां मिली थीं। उस बदहाल स्थिति से उबरने में हमें मात्र 3 वर्ष का कार्यकाल मिला, क्योंकि 2 साल तो कोविड प्रबन्धन में हमारी पूरी ताकत खर्च हुई, हमें उसमें पूरे संसाधन झोंकने पड़े।

मान्यवर, अगर मैं महाराष्ट्र की तुलना करूं, क्योंकि महाराष्ट्र के इनके मित्र कभी-कभी यहां आते हैं, चुनाव में भी सहयोग करने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 12 करोड़ 57 लाख है, यानि यू0पी0 की आबादी की आधी। वहां पर कुल पॉजिटिव केस 78 लाख 83 हजार 8 सौ 18 आये थे, नोट कर लें। हमारे यहां 20 लाख 54 हजार 9 सौ 35 की

रिकवरी हुई है और प्लस इसमें आज के जो एक्टिव केस होंगे, उस एक्टिव केस को जोड़ेंगे, आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस केवल 878 के आस-पास बचे हैं, इसको जोड़ लेंगे, कुल हमारे पास इतने पॉजिटिव केस हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 78 लाख 83 हजार 8 सौ 18 पॉजिटिव केस हुए थे और 1 लाख 47 हजार 8 सौ 57 की मृत्यु हुई। वहां यू0पी0 की आधी आबादी है, लेकिन मृत्यु यू0पी0 से कई गुने ज्यादा हुई, यू0पी0 में 23 हजार 5 सौ 19 लोगों की मृत्यु हुई है। वहां कुल टीकाकरण 16 करोड़ 65 लाख हुआ है। दूसरे इनके मित्र दिल्ली में हैं, जिन्होंने यू0पी0 और बिहार के श्रमिकों को और नौजवानों को दिल्ली से बाहर कर दिया था। कुल आबादी है 3 करोड़, वहां पर कुल पॉजिटिव केस हुये थे 1868550, वहां पर मौतों की संख्या थी 26107 और टीकाकरण 3 करोड़ 41 लाख 60 हजार है। अब दुनिया में भी इनको बता दें, जहां से हमारे नेता प्रतिपक्ष आ करके इन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर को पहली बार देखा है, एक्सप्रेस-वे कैसे बननी चाहिए, इनको जहां लगता था कि वहां ज्यादा बेहतर है, वहां का प्रबन्धन भी देख लें। यू0एस0 में कुल आबादी थी 33 करोड़ और वहां पर पॉजिटिव केस हुए थे उनकी संख्या थी 8 करोड़ 37 लाख 62 हजार और वहां पर मृत्यु हुई थी 102524, ब्राजील की आबादी है 21 करोड़ 28 लाख, वहां पर कुल पॉजिटिव केस हुए हैं 3 करोड़ 2 लाख 53 हजार 618 और मृत्यु हुई है 6 लाख 62 हजार 11 की। कोविड प्रबन्धन में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपने सभी संसाधनों को लगा करके पूरा करने का काम किया है। जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, जीवन और जीविका को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी टीम ने उस समय जो परिणाम दिये सब तरफ उसकी सराहना हुई है। हमारे पास जो संसाधन थे, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया, हम लोगों ने अपने स्तर पर पूरे प्रयास किये, हर स्तर पर एक-एक व्यक्ति हमारे लिए अमूल्य था। आवश्यकता पड़ी हम फील्ड में निकले। कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उस दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में खाद्यान्न यह सभी सुविधायें हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कार्य भी पूरे देश के अन्दर हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी उसका पालन किया गया है। अगर इसमें विपक्ष के मित्रगण भी सहभागी बन करके इस कार्यक्रम में और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान देते तो जनता-जनार्दन के सामने भी इसका अच्छा मैसेज जाता। उनके मन में भी यह बात जाती कि देखिये इनके मन में एक रुचि है। यह लोग कार्य करना चाहते हैं एक बहुत अच्छा भाव होता, लेकिन हमारे मित्रगण को इस बारे में सोचने की फुरसत ही नहीं थी और उन्होंने अपने स्तर पर यह कार्य हल्केपन से लेने का काम किया था, बहुत सारे लोगों ने तो वैक्सीन भी नहीं ली। कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, कितने लोग गुमराह हुये। वैक्सीन कोई ले या न ले, आप सार्वजनिक रूप से क्यों बोल रहे हैं। वैक्सीन कोई बीजेपी की नहीं होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं होती, वैक्सीन देश की वैक्सीन थी। हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिये। कैसे आप कह सकते हैं कि यह बीजेपी वैक्सीन है, कैसे आप कह सकते हैं कि यह मोदी

वैक्सीन है। प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन दिया है, सच यह है कि कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने कोविड दौर में उन लैब्स का दौरा किया और सरकार की तरफ से उन्हें इन्सेन्टिव दिया, सहयोग किया, प्रोत्साहित किया और पहली बार इतिहास में भारत ने किसी महामारी के रहते हुए अपने यहां वैक्सीन बनायी। एक नहीं 6-6 वैक्सीन भारत के अन्दर बनी हैं और दो वैक्सीन भारत के नागरिकों को भी लगीं। 100 से अधिक देशों को भारत ने वैक्सीन की पूर्ति की और आज वही तो कारण है कि वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। कहीं भी कोई बात होती है, भारत के प्रति लोगों के मन में भाव पैदा होता है, सम्मान का भाव पैदा होता है, भारत लीड करेगा दुनिया को। यही कारण है क्योंकि उस प्रकार के कार्यक्रम किये गये हैं। जहां पर देश के सम्मान की बात आयेगी, मुझे लगता है दलीय भावना से ऊपर उठकर देश के साथ खड़ा होना होगा, क्या यह बड़ा काम अटल जी ने नहीं किया था। अटल जी ने वर्ष 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस समय देश अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और अटल जी ने उस समय मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार का समर्थन किया था। क्या यह सच नहीं कि जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था तब भारतीय जनसंघ ने अपने आपको विसर्जित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र को पहले बचाओ, देश को पहले बचाओ, पार्टियां बचती रहेंगी। क्या हम इन दलीय सीमाओं से उठकर देश के बारे में सोच पायेंगे, अपने नागरिकों के बारे में सोच पायेंगे। मुझे लगता है कि अगर यह सोच होती तो इस प्रकार के प्रश्न यहां नहीं खड़े होते।

ऐसे ही निराश्रित गौ-वंश की स्थिति भी थी। यह सच है कि 2017 में हम लोगों ने अवैध बूचड़खानों को प्रतिबन्धित किया, पूरी सख्ती के साथ तस्करी पर रोक लगायी। गौ-वंश सड़कों पर आया, हमने निराश्रित गौ-आश्रय स्थल खोले और गौ-आश्रित स्थलों पर सरकार ने तीन प्रकार की योजनाएं लागू कीं। पहली योजना कि सरकार अपने स्तर पर गौ-वंश के संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगी। 9 लाख से अधिक गौ-वंश का इस योजना के अन्तर्गत गौ-आश्रय स्थलों पर पालन-पोषण हो रहा है। सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं, अच्छी मंशा से सरकार काम कर रही है। हो सकता है कि कहीं लापरवाही की भी शिकायत हो, लापरवाही की शिकायत वहीं होगी, जहां काम भी हो रहा होगा, जहां काम ही नहीं होना है, वहां लापरवाही कहां से होगी। हो सकता है हो, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन सरकार ने उस गौ-वंश को जो किसान की फसल को नुकसान कर रहा था, उसको संरक्षण गृह में रख करके उसकी व्यवस्था की। यही नहीं, हमने सहभागिता योजना के अन्तर्गत भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अगर कोई किसान निराश्रित गौ-आश्रय स्थल से लाकर गौ-वंश को अपने घर में रखेगा तो हम उसे 9 सौ रुपये हर गौ-वंश के लिये हर महीने उपलब्ध करायेंगे। इसमें भी बड़ी संख्या में किसानों ने सहयोग दिया है, लगभग 1 लाख 10 हजार किसानों के घर में इस प्रकार का गौ-वंश है, वह उसकी देखभाल कर रहा है, हर महीने सत्यापन होता है और उसके घर में पैसा जाता है। तीसरी योजना हम लोगों ने पोषण मिशन के साथ जोड़ी, हमारे गौ-आश्रय सथलों पर तमाम गायों के बच्चे हो जाते थे, यदि उन गायों को हम किसी कुपोषित

परिवार को देंगे तो कुपोषित परिवार को दूध मिलेगा और साथ-साथ उस गाय का भी पालन-पोषण होगा और हमने उसे 9 सौ रुपये हर महीने उस गौ-वंश की सेवा के बदले भी देना प्रारम्भ किया, यह व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित है, पहले से संचालित है। गोवर्धन योजना के अन्तर्गत आपने देखा होगा, वाराणसी में गोबर गैस प्लाण्ट बनाकर उससे सी0एन0जी0 के प्रोडक्शन की कार्यवाही काशी में प्रारम्भ हो चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से हमने निजी संस्थाओं को भी पी0पी0पी0 मोड पर आगे बढ़ाया है। एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत एक नया प्लाण्ट प्रयागराज में स्थापित हो रहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, आपके कन्नौज में भी एक प्लाण्ट हम प्रारम्भ कर रहे हैं और पी0पी0पी0 मोड पर वह भी आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है आप उसे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कन्नौज में भी कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यह कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है।

मिल्कीपुर से हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी बोल रहे थे, वह वहीं का था। हमने कुछ और योजनाएं प्रारम्भ कीं, आपकी जानकारी में आवश्यक है, हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप समय निकाल कर सदन में आये और यहां पर जब सदन को ई-विधान के साथ जोड़ने का काम हुआ तो देश के अन्दर बहुत अच्छा मैसेज गया जब एक मंच पर एक कार्यक्रम में लोक सभा के अध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष, नेता सदन, नेता प्रतिपख सब एक साथ उस अभियान के साथ जुड़े। यह अवसर राजनीति करने के लिए नहीं होते हैं, राजनीति करने के लिए आपके पास भी ढेर सारे अवसर हैं, हमारे पास भी ढेर सारे अवसर हैं। यह अवसर होते हैं जब हम लोग मिल करके प्रदेश की छवि को देश के अन्दर अच्छी बना सकते हैं। इससे मैसेज देश के अन्दर जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं कि देखिये साहब किस रूप में काम हो रहा है। क्या प्रदेश में पुलिस रिफार्म का परिणाम नहीं आया। यहां इन्वेस्टमेण्ट हुआ। रोजगार के अवसर सृजित हुए, प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अन्दर कार्य मिला। प्रदेश के अन्दर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया, यानि प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने जब फरवरी, 2018 में अपना पहला 'इन्वेस्टर्स समिट' किया था, यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, उसमें 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आये थे। 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया था। उनमें से कई यूनिट ने प्रोडक्शन भी शुरू किया है। प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरियां मिलीं, उसके साथ जुड़ने का उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश में एक नयी स्थिति, लोगों के मन में एक नया विश्वास जुड़ा है। क्या ये सच नहीं है कि आज प्रदेश में दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है। आज देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अन्दर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखायी देता है।

अभी 03 जून, 2022 को मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव को

फिर से हम 'ग्राउण्ड ब्रेकिंग' करने जा रहे हैं। यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रदेश के विकास में सहभागी नहीं हैं ? क्या विपक्ष को एक साथ सत्ता पक्ष के सथ मिलकर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनना चाहिए। आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आयेगी, तो हम दोनों को मिल करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा।

अगर आज हर एक निवेशक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हर उत्तर प्रदेश वासी को करनी चाहिए। प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं है, उत्तर प्रदेश के अन्दर का ही है, तो कम से कम उसको तो बोलना ही चाहिये कि हमारा उत्तर प्रदेश अब दंगा विहीन है, दंगा मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में शान्ति है, सौहार्द है। अच्छा मैसेज देना चाहिये। आप लोग अगर बाहर जाकर उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करेंगे और उसके बाद फिर टिप्पणी करेंगे कि साहब नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे काम चल सकता है ? एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं ?

महोदय, यही नहीं, बिजली उत्पादन की बात भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर बड़ी जोर-शोर से कही गयी, तो अच्छा है उनको कहना भी चाहिए। यह भी सच है कि बहुत सारे पी0पी0ए0 उनके और उनके पहले के सरकार के समय में ऐसे हुए थे, जो बहुत महंगे-महंगे दाम पर हुए थे। सवाल यह है कि आपने प्रोडक्शन करके किया क्या ? आपके समय में प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी ? वर्ष 2017 के पहले छवि यह थी, जहां प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे शुरू हो जायें, तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गयी। जहां सायंकाल होते ही अन्धेरा प्रारम्भ हो जाये, उत्तर प्रदेश आ गया, यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी हों। .....

डॉ0 संग्राम यादव-

चाचा यहीं पर बैठे हैं।

श्री आदित्यनाथ योगी-

आ रहा हूँ, चाचा पर भी आ रहा हूँ (सदन में हंसी का माहौल)। चाचा के नाम पर लोग आज भी इतना कुछ कर रहे हैं। 'इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी', 'फोर लेन' की कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर एक्सप्रेस-वे हाई-वे, मैं उस पर बहुत नहीं आना चाहता हूँ। अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे के रूप में जाना जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से पहले यमुना एक्सप्रेस-वे बन चुका था और यमुना एक्सप्रेस-वे के पहले मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस-वे बन चुका था। उसके पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मानक के हाई-वे यहां बनाये और इस प्रकार

के कार्य आजादी के बाद पहली बार हुए थे और मा0 अटल जी ने जो उस समय निर्णय लिया था, लोग बोलते थे कि क्या यह हो पायेगा, आखिर हुआ ना। और यह कार्य यू0पी0 के अन्दर पिछले 5 सालों के दौरान हुआ। कनेक्टिविटी बेहतर हुई, एक्सप्रेस हाई-वे बने, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे मा0 प्रधानमंत्री जी ने नवम्बर में राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे जून के महीने में पूरा हो जायेगा इसके लोकार्पण की तैयारी हमारी चल रही है इसका उद्घाटन उसी भव्यता के साथ करेंगे जिस प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का किया था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर भी हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे में आपने खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान किया होता। आप एक दिन नारा लगा रहे थे फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेस-वे ले गये खन्ना। मुझे लगा खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया है, लेकिन साथ-साथ फर्रूखाबाद को भी हम लिंक-वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेस-वे और दूसरी एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिये, उसके विकास के लिये सरकार कार्य कर रही है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए, वरिष्ठों का भी सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यह वरिष्ठता अनुभव पर आधारित होती है और महोदय हम लोग इस वर्ष के अन्त तक जो हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थिति है अभी ओबरा सोनभद्र की, जवाहरपुर ऐटा की, पनकी कानपुर नगर, घाटमपुर कानपुर देहात, ये सभी यूनिट जब प्रारम्भ होंगी तब हम लोग प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को 2016 की तुलना में दोगुना करने की क्षमता उत्तर प्रदेश अर्जित करने वाला है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना उत्पादन किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। आज प्रदेश के अन्दर हर एक जिला मुख्यालय को 24 घण्टे की बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हमारा ऊर्जा विभाग कर रहा है। तहसील मुख्यालयों को भी 20 से 22 घण्टे करने का प्रयास कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति की है, इसमें कोई भेद नहीं जो गोरखपुर में मिलेगा वही लखनऊ में मिलेगा, जो लखनऊ में मिलेगा, वही हरदोई में भी मिलेगा और वही इटावा और मैनपुरी में भी मिलेगा, वही रामपुर में भी मिलेगा। अब पिक एण्ड चूज नहीं है। सबको एक समान भाव से बिजली वितरण हो रही है। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सम्मान सबका लेकिन तुष्टीकरण नहीं, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इन्हीं मूल्यों के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।

हम लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में काम किया है। प्रदेश के अन्दर युवाओं के बारे में मैं पहले भी बोल चुका था, सेण्टर फॉर मॉनीटरिंग इण्डियन इकोनामी (सी0एम0एम0आई0) के

द्वारा जो ताजा आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 फीसदी थी और अप्रैल, 2022 में यह 2.9 प्रतिशत रह गयी है।

यह उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर क्या कुछ हुआ है। ये हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर किया है। मेट्रो की जहां तक बात है, पिछली सरकार ने कुछ काम किये होंगे, 18 कि0मी0 का कुल काम हुआ था, लेकिन आज 90 कि0मी0 मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अन्दर हो रहा है (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। **एअर-कनेक्टिविटी**-चार एअरपोर्ट क्रियाशील थे लेकिन यदि सही रूप से कहें तो केवल दो एअरपोर्ट सही रूप से क्रियाशील थे, राजधानी लखनऊ का और वाराणसी का। गोरखपुर और आगरा में कभी-कभी फ्लाइट आती थी। आज हमारे 09 एअरपोर्ट क्रियाशील हैं। 05 नये इण्टरनेशनल एअरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जेवर में हम लोग एअरपोर्ट वहीं पर बना रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा वहां के मा0 विधायक और मा0 सांसद और अपने जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने सहयोग किया और वहां पर सभी किसानों के विश्वास को ले करके जहां पर पहले भट्ठा परसौल की घटना घटित हुई, गोली चली थी। आज वहां पर वहां के अन्नदाता किसानों ने विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इण्टरनेशनल ग्रीन-फील्ड एअरपोर्ट के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और वहां पर आज एक इण्टरनेशनल एअरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं जिन कार्यक्रमों को ले करके देश और दुनिया के बीच में एक उत्सुकता है। 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' का कार्यक्रम है, अपने परम्परागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिये। आखिर हमारी कोई जिम्मेदारी बनती थी। आज जब मैं मुरादाबाद जाता हूँ तो मुरादाबाद का हमारा जो हस्तशिल्पी/कारीगर है उसके चेहरे पर खुशी दिखायी देती है क्योंकि सरकार ने उसको तकनीक दी, सरकार ने उसे पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड के शिकंजे से मुक्त करने का काम किया। सरकार ने उसे एक अवसर दिया और मेरे पास मुरादाबाद, भदोही के हस्तशिल्पी/कारीगर आये थे, उन्होंने कोरोना कालखण्ड में कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। हमने कहा कि हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, हमने उसे सपोर्ट किया। आज उत्तर प्रदेश 01 लाख 56 हजार करोड़ रुपये के अपने उत्पपाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट स्टेट बन सकता है। ओ0डी0ओ0पी0 की ताकत है, हमारे परम्परागत उद्यम की ताकत है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है। कम लागत में ज्यादा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बेहतर प्रयास प्रदेश के द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से हुआ है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-16 ऐसे हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, प्रशिक्षण के दौरान सरकार उसे मानदेय देगी, टूल किट उपलब्ध करायेगी, बैंकों से लोन उपलब्ध करवायेगी और फिर सब्सिडी दे करके उन्हें आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करेगी। इस

पर युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। टूल किट उपलब्ध कराये गये, चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो या अन्य तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से। ये चीजें दिखाती हैं कि ये नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारे पास पोटेन्शियल है, उस पोटेन्शियल को कभी मंच नहीं मिल पाया था। उसे सम्मान देने का काम नहीं हुआ था। उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अन्दर किया और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। मुझे नये भारत के नये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मुझे आप सबसे यही कहना है कि कुछ चीजे हैं जिसको ले करके अक्सर लोग बहुत बात करते हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से एक बात और कहूंगा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। आपकी कार्य-पद्धति आपकी पहचान दिलायेगी, नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली है। आप कितना भी बोल लें कि फलांना समाजवादी। समाजवाद को आप लोगों ने मृततृष्णा बना दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉ0 लोहिया की चर्चा होती थी, जय प्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में डॉ0 लोहिया पर लेखनी कभी-कभी मैं केवल शिवपाल जी को देखता हूँ, कभी-कभी उनका आर्टिकिल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिये। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थीं, लेकिन आज जब आप समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की स्थिति देखते हैं तो लोगों को लगता है कि यह अस्वाभाविक, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और सही कहूं तो पूरा प्रदेश रामराज्य का पक्षधर बन चुका है। रामराज्य कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। रामराज्य सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है, जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आये या जाये, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पर राष्ट्रवादी लेबल लगता है। ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है, जब हम पर राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिये। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत होना चाहिये। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति तो आप देखते ही हैं, जिस घर में रहेगा, उस घर का अन्न भी खायेगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। चूहा बनने के बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। मुझे लगता है कि इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में एक लम्बी यात्रा प्रदेश के अन्दर आगे बढ़ानी है।

25 करोड़ लोगों की आकांक्षायें आपसे भी हैं, इस पक्ष से भी हैं, हर जनप्रतिनिधि से हैं। हर जिले में, हर विधान सभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल या निषाद पार्टी नहीं है। अलग-अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गये हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं कांग्रेस पार्टी है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं जनसत्ता पार्टी है, कहीं पर कोई अन्य जीते हैं। अलग-अलग दल अलग-अलग विधान सभा सीट पर जीते हैं। हर एक की अपनी अपेक्षायें हैं, विकास की अपनी आकांक्षायें हैं, उस विकास की यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधान सभा और एक दल की बात नहीं की, उन्होंने पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ-साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, विकास की यात्रा लम्बी यात्रा है, रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा, तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। यह यात्रा साथ-साथ आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, अन्तर यही है, हम साथ-साथ भी हैं और पास-पास भी हैं, लेकिन आप पास-पास तो हैं, लेकिन साथ-साथ नहीं हैं। हममें और आपमें यही अन्तर है, हम पास-पास भी हैं और साथ-साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास-पास होते हुए भी साथ-साथ नहीं हैं और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के अभिभाषण का अगर आपने सम्मान किया होता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता।

आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बात का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया। राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके मा0 सदस्य जो नारेबाजी कर रहे थे 'राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गो बैक' के नारे लगाये जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाये जा रहे थे। यह कोई मंच नहीं था। हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पर क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अन्तर होना चाहिए। यह मंच व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक-दूसरे का सम्मान करके मिल करके आगे बढ़ें। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास के लिये है और अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं, हम प्रदेश के विकास का बैरियर बनना चाहते हैं। क्या प्रदेश की जनता इसको देख नहीं रही है और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने मा0 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश देश के अन्दर बहुत कुछ कर

सकने की क्षमता रखता है। देखिये, इतनी रोचक बातें आयी हैं, हर एक मा0 सदस्य ने कुद न कुछ नया कहा है और जो नया कहा है उन सब पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

मैं एक बार फिर से सभी मा0 सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष का और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी और हमारे सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ ही अपन दल (एस) और अन्य जितने भी हमारे मा0 सदस्य हैं, उन सभी ने जिसने भी चर्चा में भाग लिया उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम सब मिल करके समवेत् स्वर में समवेत् सदन को सम्बोधित करने के लिए राज्यपाल महोदया आयी थीं तो समवेत् स्वर से राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके राजभवन में हम राज्यपाल महोदया के समक्ष भेजें कि उत्तर प्रदेश का यह सदन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपका आभार व्यक्त करता है और सदन की ओर से हम सभी महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित कर सकें, मैं इसका अनुरोध भी मा0 सदन से करूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने इतनी शालीनता के साथ इस सदन को चलाया। बहुत अच्छे ढंग से सदन चल रहा है। अधिक से अधिक सदस्य बोल रहे हैं और 167 सदस्य किसी चर्चा में भाग लें यह अपने आप में एक बहुत नया प्रयोग है। मान्यवर, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसके साथ ही बजट की जो चर्चा अभी आगे बढ़ेगी, उसकी भी प्रोसीडिंग बना करके हिन्दी तथा इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हुए प्रत्येक विधान सभा को तथा संसद की लाइब्रेरी को भी भेजना चाहिए, क्योंकि यह जो चीज आ रही है और मैंने पहले ही कहा था कि जो चर्चा हमारे मा0 सदस्य करते हैं हो सकता है कि भाषा में कोई टूट-फूट हो सकती हो लेकिन उसके भाव में कहीं किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है, बहुत पवित्र भाव है। बहुत पवित्र भाव के साथ वह काम करता है, विपरीत परिस्थितियों में वह काम करता है। कोई अधिकार न होते हुए भी जनता की जलालत को झेलता है और फिर वहां काम करता है फिर अपनी बात को रखने के लिए आता है। उन परिस्थितियों में भी वह जिस बात को बोलता है, तो उसका सम्मान भी हो और फिर उसको हम भेजें। सरकार के स्तर पर भी मैं इस बात को कहूंगा कि अलग-अलग विभाग उन बातों को नोट करके उस पर कार्यवाही को आगे बढ़ायेंगे, जिन विभागों से सम्बन्धित वह मुद्दे हैं और जिनको ले करके मा0 सदस्य ने उनको आगे बढ़ाया है। (सदन में मेजें थपथपाई गईं) मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से इस सदन को इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 नेता प्रतिपक्ष को तथा अपने सभी दलीय नेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि सदन की गरिमा को हम इसी रूप में बनाकर रखेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 मन्जू शिवाच जी।

(इसी मध्य नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव के अपने स्थान पर बोलने के लिए खड़े होने पर)

यह कोई डिबेट तो हो नहीं रही है।

नेता विरोधी दल, (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, स्पष्टीकरण तो होगा।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई डिबेट तो हो नहीं रही है। बजट भाषण पर स्पष्टीकरण तो हो सकता है लेकिन राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, स्पष्टीकरण होना चाहिए और संशोधन के साथ होना चाहिए, यही परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

ये परम्परा बजट भाषण पर है, राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने बहुत लम्बा भाषण दिया है और बहुत सारी बातें उसमें आ गयी हैं लेकिन जो संशोधन मैंने अपने भाषण में कहा, उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिन्ता की है। अभी तक तो ये मेरे चाचा थे लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जो आंकड़े दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष कोई एक अलग स्पष्टीकरण पूछिये, चर्चा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछिये कि किसके हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर मुझे आंकड़े दिये गये हैं, लेकिन नेता सदन ने एक भी आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ। मैंने टीका नहीं लगवाया लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवायी, उसके बावजूद उन्हें कोरोना हो गया।

श्री अध्यक्ष-

कोई स्पष्टीकरण कर लीजिए, यह डिबेट नहीं हो रही है।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, सवाल यह है कि मैंने बी0जे0पी0 की वैक्सीन क्यों कहा ? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गयी, हर जगह वैक्सीन लगी, अमरीका के राष्ट्रपति जी को देख लीजिए उन्होंने सर्टिफिकेट पर तस्वीर नहीं लगवायी।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष डिबेट बहुत लम्बी है।

श्री अखिलेश यादव-

यूरोप में किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसीडेण्ट ने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगायी, हमारे पड़ोसी देश चीन ने नहीं लगायी।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष को भाषण देने का अधिकार है लेकिन भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता है।

श्री अखिलेश यादव-

लेकिन हमारे देश में सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगायी गयी है। यदि सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़े होकर वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी भी देश ने तस्वीर लगवायी, और जो तस्वीरें आई थीं, शायद नेता सदन हमारे बॉर्डर सिंह से नहीं मिले होंगे। एक गर्भवती माँ जो नेपाल से चली और भारत में लॉकडाउन लग गया। वह भारत नहीं आ पायी और जब वह पीछे नेपाल जाना चाहती थी तो वह नेपाल नहीं पहुंच पायी। गर्भवती थी उसके बेटा पैदा हुआ जहां पर बेटा पैदा हुआ सब लोगों ने मिल कर उसका नाम बॉर्डर रख दिया। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने जा करके उस बेटे की मदद की थी। एक गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी चलते-चलते ललितपुर पहुंची।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष ये तो नेवर एन्डिंग है, इसका कोई जवाब नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी तक और संशोधन में ये सूची भी आ जाय कि किसी भी मजदूर की, मरने वालों की सरकार ने मदद नहीं की है, अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। चीनी मिलों को लेकर जो यह कह रहे हैं कि भुगतान हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण होगा उस समय डिबेट कर लीजिएगा।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अखिलेश यादव तथा डॉ0 मन्जू शिवाच द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, मवाना चीनी मिल का बकाया है। मोड़ना का 68 करोड़ बकाया है। महसाना का 300 करोड़ बकाया है। घोटाले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यू0पी0पी0सी0एल0 पेपर लीक, यू0पी0पी0एस0सी0 सबॉर्डिनेट पेपर लीक, यू0पी0 आरक्षी पर्चे गलत कटे, रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप। यू0पी0टी0ई0टी0 पेपर लीक। जिन्हें आप कोरोना वॉरियर बोलते हैं, जिन्होंने कोरोना के समय काम किया, उनको नौकरी से निकाल दिया। जो डॉक्टर अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहे थे उन डॉक्टरों को नौकरी से निकाल दिया। आखिर यह सरकार कैसी सरकार है ?

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब बजट भाषण पर चर्चा होगी, उस पर डिबेट कर लीजिएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मानयवर, यह स्पष्टीकरण नहीं है, यह गलत परम्परा है। बजट में चर्चा होनी है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है और उस पर माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को, जो संशोधन प्रस्ताव उन्होंने दिये हैं, मैं उन संशोधन प्रस्तावों को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है। प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने दिया, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव जो उपस्थित किये गये थे, वे अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मई, 2022 को दिया गया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-08 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-09

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकाएँ†

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में पश्चिम की ओर कुल्ली नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद गंगवार, निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम तातारपुर (समस्तपुर) में दक्षिण की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द मोहन लोधी, निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम खमरिया आजमपुर में दक्षिण की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेतराम, निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम धनतिया व मलेडा दुर्गा प्रसाद के बीच नाले पर पुलिया व रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गनपत राय व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंथरा में पश्चिम की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम रफियाबाद में उत्तर की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवन चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम डकियाडाम में कुल्ली नदी पर बने डैम का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम ठिरिया कल्यानपुर में गोपाल चक्की के सामने पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिल्लापुर में शिव मन्दिर के पीछे, श्मशान वाले रास्ते पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधारी यशवन्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दाड़ लालपुर के बीच नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सोरहा की गौटिया के सामने नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पस्तौर और नहर के बीच पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री ममता गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम अगरास महापुरुष बाबा मन्दिर के पीछे नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित साहू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम आनन्दपुर में सत्संग भवन के सामने नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

15-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सैजना में श्मशान जाने वाले मार्ग के नाले पर पुलियों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुरदास गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद लखनऊ में गोमती नदी के झूलेलाल घाट, संझिया घाट समेत गोमती तट स्थित अन्य प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मूर्ति विसर्जन स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के आई0टी0 चौराहा से डालीगंज पुल तक सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कुर्सी रोड पर एक नये वाटर वर्क्स की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के राम राम बैंक चौराहा के निकट स्थित महादेव होटल से सब्जी मण्डी होते हुए कुर्सी रोड तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवराम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के अलीगंज में स्थित केन्द्रीय विद्यालय तिराहे से रिंग रोड स्थित पेट्रोल पम्प तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपाली गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री मुकेश वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित तेरह याचिकाएँ †

श्री मुकेश वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद के वार्ड संख्या-18, प्रेमपुर रैपुरा मुस्तफाबाद में त्रिलोकी के घर से राजेश के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री त्रिलोकी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद के वार्ड संख्या-18, प्रेमपुर रैपुरा मुस्तफाबाद में गोरेलाल के मकान से रामवीर के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गोरेलाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद के वार्ड संख्या-18, प्रेमपुर रैपुरा मुस्तफाबाद में राकेश के घर से राजू के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के वार्ड नं0-18, प्रेमपुर, रैपुरा मुस्तफाबाद में शैलेन्द्र पुत्र पौप सिंह, राजेश पुत्र मुन्नालाल, तुफान सिंह पुत्र कितराम के घर तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला हसमत नगर में काली रेमी के घर से बेलुआ वालों के घर तक का सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काली रेमी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला अब्बास नगर में साहबुद्दीन के घर से फौजी के घर तक का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहबुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के वार्ड नं0-18, प्रेमपुरा, रैपुरा मुस्तफाबाद में विनेश पुत्र भगवान सिंह, शिवयाल सिंह, भजन लाल पुत्र बाबू राम के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के वार्ड नं0-18, प्रेमपुरा, रैपुरा मुस्तफाबाद में सुजान सिंह पुत्र कितराम, सुनपत पुत्र प्यारे लाल के घर तक का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला अब्बास नगर में पप्पू जगईया के घर से बहादुर खां के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू जगईया व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला अब्बास नगर में गुड्डू अलवीर के घर से डॉक्टर आकाश के घर तक सॉथी रोड तक का सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू अलवीर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला अब्बास नगर में अकील के घर से बहादुर खां के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अकील व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला अब्बास नगर में आमना के घर से रवि जाटव के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आमना व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

13-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा एवं नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला अब्बास नगर में वली मोहम्मद के घर से नसीर मिस्त्री के घर तक का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वली मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत बालापुर बाजार, विकास खण्ड गैसड़ी से ग्राम पंचायत रनियापुर होते हुए जरवा-चितौड़गढ़ बांध मार्ग तक जर्जर सड़क

† छापी नहीं गयी।

की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी अब्दुल करीम खां व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

2-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत एन0एच0-730 से ग्राम पंचायत विशुनरपुर टनटनवा, विकास खण्ड पचपेड़वा से होते हुए ग्राम पंचायत मदरहवां एवं भग्गौर बसन्तपुर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित आठ याचिकाए†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के गांव गडीना-पिनाई मार्ग से मोजीपुरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतबीर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ की नगर पंचायत फलावदा में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सैनी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के कस्बा सरधना में स्थित माता मरियम के चर्च के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में श्री मंजूर मलिक व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-मेरठ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सन्दर्भ में श्री संजय विकल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

5-जनपद मेरठ के अन्तर्गत कंकरखेड़ा-जगेठी-सरधना मार्ग से अलीपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

6-जनपद मेरठ के जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप कुमार गौतम व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

7-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के कस्बा लावड में मण्डी निर्माण के सम्बन्ध में श्री पिन्टू सैनी, निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

8-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में देदूपुर पुलिया से खालिदपुर रजवाहा पटरी मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबर रिजवी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित छः याचिकाएँ†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद चित्रकूट में उद्यान विभाग द्वारा बागवानी पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र कछवाह, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट की परिसीमा में स्थित मंदाकिनी नदी एवं अन्य नदियों पर लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराकर पाइप लाइन अथवा स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन सिंह पटेल, निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री अनुज सिंह यादव, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी के ग्राम मुकुन्दपुर में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामफल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

5-उ0प्र0 में 97000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

6-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड करवी में मंदाकिनी नदी की सहायक नदियों में छोड़े गये सीवर नालों को बन्द कराने एवं मंदाकिनी नदी की सफाई कराने हेतु कतिपय कार्यों के सम्बन्ध में श्री अभिमन्यू सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित बाइस याचिकाएँ †

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम वनीपुरा में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीराम, निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के एका, फरिहा एवं जसराना कस्बों में पानी की टंकियों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू खान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के कस्बा मुस्तफाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम कटैना हर्षा में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम जहानपुर में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम वकील प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के कस्बा एका में बीज गोदाम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में मुस्तफाबाद-अवागढ़ रोड पर पॉलीटेक्निक संस्थान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम पंचायत थरौआ के ग्राम रुद्रपुर में कुठीला के समीप सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन सेवक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम पैंढत स्थित ग्रामीण स्टेडियम में रनिंग ट्रैक के निर्माण एवं स्टेडियम में खिलाड़ियों के खेलने के लिये उचित उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम सुनारी में यात्री प्रतीक्षालय एवं रोडवेज बस स्टाप बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के कस्बा एका, मुस्तफाबाद एवं खैरगढ़ कस्बों में मेन चौराहों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू खान निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना की तहसील जसराना के परिसर में वकीलों के लिए पीने का पानी हेतु वाटर कूलर एवं आर0ओ0 सिस्टम लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू खान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के कस्बा खैरगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान दास चक व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम नगला बबूल में बम्बे पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के मेसर्स नारायन सिंह कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किये गये कार्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

16-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में मेसर्स के0पी0 कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा किये गये कार्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुंवर पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

17-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम पैढ़त स्थित जखईया महाराज मन्दिर एवं चकलेश्वर महादेव मन्दिर, ग्राम सांथी स्थित महादेव मन्दिर, राजा परीक्षत की नगरी पाढम में स्थित कुण्ड एवं टीले वाली माता का मन्दिर एवं जसराना स्थित मां कामाख्या मन्दिर, प्रमुख तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

18-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम हाथवन्त व उसके आस-पास के क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की सुविधा के लिए हाथवन्त के ग्राम नगला हरी सिंह में जेडाझाल परियोजना की नहर के फाटक से भीकनपुर सांखिनी तक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

19-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में ग्राम झपारा में अधिग्रहण भूमि पर फायर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

20-जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड एका के ग्राम महाराजपुर व इसके आस-पास के ग्रामों में फसलों की सिंचाई के लिए ग्राम भडेरा से महाराजपुर तक भडेरा नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

21-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में प्रस्तावित जमीन पर सरकारी बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

22-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत आने वाली सभी नहरों एवं बम्बों के विकास कार्यों को कराने के लिए विभिन्न जिलों जैसे इटावा, मैनपुरी, एटा, हाथरस में डिवीजनल ऑफिस बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गई :-

1-जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर ग्राम बेला कोड़री में पीपे का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम मनोहर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत महादेव हरिहरनगर, हड़पुर, जनकपुर, ओजाहवा आदि आधा दर्जन ग्रामों को जल भराव से बचाने के लिए बूढ़ी राप्ती की खुदाई एवं सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद एवं तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत मथुरा बाजार के लिए पूर्व में स्वीकृत 33/11 का विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास की नगर पंचायत हर्रा में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ राणा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास में सरधना से पिठलोकर होते हुए हिण्डन नदी पुल से होते हुए मुजफ्फरनगर सीमा तक का सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराकर नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनफैद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

3-जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर की नगर पंचायत हर्रा में अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलजार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री अध्यक्ष-

श्री गौरी शंकर जी अनुपस्थित हैं, इन्हें याचिका दुबारा देनी पड़ेगी।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम सिकरी राज हिडोकरा मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम शहजादपुर सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त रपटा पुल के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज वर्मा, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम जलालपुर चिरगवां में नून नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समरजीत पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के जालौन नगर में श्मशान घाट पर मलंगा नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह दोहरे व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड कोंच के अन्तर्गत ग्राम अमीटा से अड्डा जाने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरनलाल, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद एवं विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम सीकरी राजा में सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

7 जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम माड़री से पहाड़पुरा तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम खर्रा में खेरापति मन्दिर तक जाने वाले मार्ग पर छूटे हुये भाग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हे राजा निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत बड़ा गांव में सिंचाई हेतु नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

10-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम कोरोना में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित छः याचिकाएँ, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ तथा जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

---

† छापी नहीं गयी।

1-जनपद झांसी की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता पांचाल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद बांदा की तहसील अतर्रा, पो0-ओरहा के अन्तर्गत ग्राम काछिन पुरवा अंश नगवारा में जल निकासी एवं ग्राम में लगभग 700 मीटर जर्जर मार्ग के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार नाथ कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

3-जनपद झांसी की तहसील मोंठ में गरौठा व सी0एच0सी0 में सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री नेहल सिंहई व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी की तहसील मोंठ में विद्यालयों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

5-जनपद झांसी की तहसील मोंठ में समथर से पुलिया के दुनारा तक हमीरपुर शाखा नहर की पटरी पर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह कंसाना व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

6-जनपद झांसी की तहसील मोंठ में राजकीय समथर महाविद्यालय में कृषि विषय की मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश झा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

7-जनपद झांसी की तहसील गरौठा में 33/11 के0वी0 विद्युत सब केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव खरे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

8-जनपद लखनऊ के यशोदापुरम शिव विहार कालोनी में खुली 11 के0वी0 हाईटेंशन लाइन को अण्डरग्राउण्ड केबल लाइन के माध्यम से सुरक्षित करने के सम्बन्ध में श्री एस0एस0 चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

9-जनपद लखनऊ के यशोदापुरम शिव विहार कालोनी में नाली सड़क एवं सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्री एस0एस0 चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री दीपक कुमार मिश्र, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अध्यक्ष-

श्री दीपक कुमार मिश्र अनुपस्थित हैं, इन्हें याचिका दुबारा देनी पड़ेगी।

श्री दीपक कुमार मिश्र, सदस्य विधान सभा, जनपद आजमगढ़ की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत रामदुलारी देवी जूनियर हाई स्कूल सिवाने शिक्षा क्षेत्र को अनुदान

† छापी नहीं गयी।

दिलाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 राधेश्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घारीघाट प्रस्तावित जमीन पर पी0डब्लू0डी0 डाक बंगला अतिथि गृह का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य कुंवर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कुनगईया से बीरपुर तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के शीतलगंज ग्रान्ट से चौधरी चौराहा तक 04 कि0मी0 जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के मकोईया अगया घाट कूकनगर ग्रान्ट सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीर्थ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के ढढौवा मेहनिया से महरागौरा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सिरसा सरहद खैरगाड़ा हरिहरपुर पण्डित हाता के मध्य सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बक्श यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत जबरनगर तिवारीपुरवा के सामने गढ़ी माझा सरयू नाले पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत परास पूरे वजीपुरवा से परास माझा के मध्य सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत परसिया से नयपुर कोडर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निवास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत उमरी गोण्डा मार्ग से माँ बाराही देवी बखरिहा होते हुए बनुआ सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा सिंह मधुर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका †

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव चकलवंशी औरास मार्ग पर हंसाखेड़ा अम्बहरा होते हुए लहबरपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव में बांगरमऊ रोड से आवागोछा होते हुए दुबे गढ़ी मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव मियांगंज चौराहे पर नहर की पटरी से मरोचा कोठी आसीवन ब्रान्च सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव में अजगैन-मुंशीगंज से उमराई खेड़ा तक जर्जर सड़क पर मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरेश्वर लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव में हंसाखेड़ा डामर रोड से कालीमाता पुरवा होते हुए रसूलाबाद मांखी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज बहादुर लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

6-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में छठा मील से ग्राम पंचायत रैथा तक जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद महोबा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतपुर कुलपहाड़ से ग्राम मुढारी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

2-जनपद महोबा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतपुर टिकरिया से मध्य प्रदेश की सीमा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरचन्द राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

3-जनपद महोबा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतपुर कस्बा कुलपहाड़ में रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

4-जनपद महोबा के अन्तर्गत चरखारी में पेयजल की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्री मनीष असीजा, सदस्य विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री मनीष असीजा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद नोएडा में नोएडा विकास प्राधिकरण में भू-माफियाओं एवं प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर खेती की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी वर्मा, निवासी जनपद नोएडा की याचिका,

2-जनपद नोएडा के सेक्टर-78 व 79 में स्पोर्ट्स सिटी व योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को अपने फ्लैटों का मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुबोध गोयल, निवासी जनपद नोएडा की याचिका,

3-जनपद नोएडा में नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा फर्म हाउस के आवंटियों के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित कराने तथा फार्म हाउस का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी वर्मा, निवासी जनपद नोएडा की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद नोएडा के सेक्टर-90 में लक्ष्मी प्रकाशन प्रा0लि0 को परिसर की रजिस्ट्री किये जाने की अनुमति नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ गुप्ता, निवासी जनपद नोएडा की याचिका।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित तेइस याचिकाएँ †

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बिजनौर के ग्राम अकबराबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 मंसूर आलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काजी शहजाद निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के नगीना-नहटौर मार्ग से ग्राम आजमपुर मोहन मार्ग पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना से ग्राम खुशहालपुर मठेरी मार्ग पर नहर की पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 हनीफ व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के किरतपुर-नगीना हरेवली शेरकोट मार्ग में छोईया नदी पर आर0सी0सी0 बॉक्स कन्वर्ट पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

6-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के एन0एच0-74 में कालाखेड़ी मार्ग पर कडूला नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

7-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम सैन्नावाला से ग्राम हरियावाला के बीच गागन नदी पर बॉक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डॉ0 पुरुषोत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

8-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के किरतपुर-नहटौर मार्ग से जीवनपुर की ओर पड़ने वाली बान नदी पर बॉक्स कन्वर्ट पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

9-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के किरतपुर-छितावर मार्ग से शाहबपुर रतन सिंह मार्ग पर आर0सी0सी0 बॉक्स कन्वर्ट पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रहीस व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

10-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम अल्हैदादपुर एवं ग्राम नंगली के बीच क्षतिग्रस्त रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हबीब अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

11-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम शेखपुरा तुर्क से सैन्नावाला मार्ग पर कडूला नदी पर पुल निर्माण कार्य जाने के सम्बन्ध में श्री चतर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

12-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम दूधली से मेमन मार्ग के बीच छोईया नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इसरार जैदी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

13-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के किरतपुर-बुडगरी मार्ग पर मालन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टीकम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

14-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम भोजपुर से ग्राम अनवरपुर चतर तक सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 यासिन प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

15-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम भनेडा आजमाबाद मार्ग से हामिदपुर माखन होते हुए दूधली मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 शाहिद जोनी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

16-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम मुस्सेपुर से ग्राम अनवरपुर चतर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुशर्रफ प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

17-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम हादीपुर मार्ग से शकरपुरी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेख मौ0 जाहिद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

18-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम खटाई नहर के पुल से रसूलपुर शहाबुद्दीन तक सड़क नहर की पटरी निर्माण के सम्बन्ध में श्री भूरे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

19-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालिन नदी तक सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री मौ0 अजमल व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

20-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर के ग्राम पाडली में आरा मशीन के पास से ग्राम अनवरपुर चतर तक सड़क मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जिब्रिश अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

21-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर के ग्राम भरेकी से भनेडा पर रोड शिव मन्दिर होते हुए ग्राम नसीरपुर मिठारी तक छूटी कडी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

22-जनपद बिजनौर के ग्राम अकबराबाद में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के स्थान पर रोड के किनारे सीमेन्टड टाईल्स लगवाकर चौड़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 दानिश ग्राम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

23-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में नगीना-बिजनौर मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में हाजी रोशन साहब व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली नगर के मोहल्ला निराला नगर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

2-जनपद रायबरेली नगर के मोहल्ला निराला नगर में कहारों के अड्डे से किले बाजार व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थिति की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा किदवई नगर के अन्तर्गत जोन संख्या-3, वार्ड संख्या-14 में बारादेवी हमीरपुर रोड पर सब्जी विक्रेताओं के लिए टीन शेड व पक्का

† छापी नहीं गयी।

चबूतरा एवं पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा किदवई नगर के अन्तर्गत जोन संख्या-3, वार्ड संख्या-66/88 के दोनों तरफ नौबस्ता-हमीरपुर रोड पर सब्जी विक्रेताओं के लिए टीन शेड व पक्का चबूतरा एवं पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा किदवई नगर के अन्तर्गत जोन संख्या-3, वार्ड संख्या-18 के साकेतनगर सब्जी मण्डी में सब्जी विक्रेताओं के लिए टीन शेड व पक्का चबूतरा एवं पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

4-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा किदवई नगर के अन्तर्गत जोन संख्या-5, वार्ड संख्या-48 के 13 ब्लाक सब्जी मण्डी गोविन्द नगर में सब्जी विक्रेताओं के लिए टीन शेड व पक्का चबूतरा एवं पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुयी मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा ऊमरी नगर पंचायत के पास 33/11 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के अन्तर्गत माधौगढ़ से अमखेड़ा का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत ग्राम सामी के पास 33/11 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के अन्तर्गत रामपुरा से निनावली जागीर, नरौल, राठौरनपुरा से मध्य प्रदेश सीमा तक के शेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के अन्तर्गत सदूपुरा से रेढर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम रामपुर पट्टी से ग्राम स्योंडारा तक जर्जर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दूसरी जातियों के कई नामों की भांति झोझा जाति के साथ तुर्क शब्द अंकित करने के सम्बन्ध में मौ0 सुबहान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम झकड़ा से ग्राम जहांगीरपुर तक जर्जर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम दम्पुरा से ग्राम गोविन्दपुर तक जर्जर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिलराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत स्योडारा-डारनी सम्पर्क मार्ग से समाथल होते हुए तुरखेड़ा गांव तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बनवारी लाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री रमापति शास्त्री, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री रमापति शास्त्री, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड नवाबगंज में पटपरगंज में स्थित ब्रम्हचारी मुनि आश्रम को पर्यटन के रूप में विकसित कर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड नवाबगंज के टिकरी से गढ़ी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान बक्स सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज में गन्ना चीनी मिल का पुनर्निर्माण कराकर संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड नबाबगंज के कोल्हमपुर से बल्लीपुर होते हुए नगवा कल्याणपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर के बंदराहा से होते हुए जगदीशपुर, लमती गोहना मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य क्षेत्र के नालों को साफ कराकर ढकवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 इसरार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लॉक भियांव की ग्राम पंचायत मजीरा माइनर से सिंहोरिया पर माइनर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर की ग्राम पंचायत लखमीपुर के अन्तर्गत कर्मुल्लाहपुर तिघरा घाट ग्राम में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हौशिला प्रसाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लॉक भियांव की ग्राम पंचायत दिनकरपुर के अन्तर्गत गांव में नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के ब्लॉक भियांव की ग्राम पंचायत हाफिजपुर माइनर से फुलवारी करीम नगर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मोवीन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर की ग्राम पंचायत मंगुराडिला के अन्तर्गत रफीगंज मार्ग पर चैतू गौड़ के घर से दक्षिण टांस नदी तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत केशरी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा चकिया अमरतल से लोहरा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जग्गीलाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अहलादे से सिसवा सम्पर्क मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-गौहनिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा बनगांव डिहवा (कचना) श्री संजय राजभर के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलौट राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित चार याचिकाएँ †

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर, विधान सभा क्षेत्र रुधौली के सिसवा हथियवा रिखवा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.5 कि0मी0 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यनाथ चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के अन्तर्गत रौनाकलां से सिसवारी मुगल मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजयपाल चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली की तहसील भानपुर के अन्तर्गत ग्राम भादी से ठगहवा बहरामपुर मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

4-जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली की तहसील भानपुर के अन्तर्गत भानपुर, तेनुआ, असनहरा मार्ग से दरियापुर बुजुर्ग अड़वा घाट मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवहाल, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम सिजौली में राष्ट्रकवि स्व0 पं0 सोहनलाल द्विवेदी जी के पैतृक गांव में उनकी प्रतिमा एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज चौहान, निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

2-जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम काकोरा एवं सिजौली में गौशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुतीक्षण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित सात याचिकाएँ †

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम नेनूआ से दलित बस्ती होते हुए ग्राम सभा अगवल तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कजपुरा के राम आसरे जायसवाल की दुकान से श्यामलाल राजभर के आवास होते हुए सइम मुल्ला के आवास तक पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामलाल, अचल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा जाफरगंज-सैदापुर सम्पर्क मार्ग से बढ़ईपुर यहिया कमालपुर होते हुए करतोरा पोखरा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मायाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर महरूवा सम्पर्क मार्ग से आर0जे0एस0 पब्लिक स्कूल के बगल से होते हुए ग्राम सभा कसेरुआ तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा फत्तेपुर ककरडिल्ला मुख्य मार्ग से राजभर बस्ती पंचायत भवन तक जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

6-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर में कतिपय ग्राम सभाओं में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने विषयक श्री अरविन्द तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

7-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा चनकीबाग से पहाड़पुर होते हुए घोसियाना तिहईया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में ईदगाह चौराहा से खरगूपुर सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत रामगढ़ी मुख्य मार्ग से गौहनिया गौशाला तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत ग्राम कुरबेनी में परशुराम के घर से मीरामऊ बार्डर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राना प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा में ग्राम रामपुर बस्ती में मजरा पेड़नहवा पक्की रोड से हजरत अली के खेत से परसोहनी व लमबुइया को जोड़ते हुए पसियनपुरवा पक्की रोड तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरायन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

5-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में कटरा लालबोझी मार्ग से शिवपुर बनकट से मिश्रौलिया बसन्तपुर बनकट तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में विधान सभा जनपद बांदा के बबेरू नगर में बाईपास मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपगत हुईं।

श्री विरेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मिठ्ठापारा में जर्जर तार व टूटे हुए पोल बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामा यादव, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बीरवल में पुलिया तथा रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू यादव, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत रायनी कालोनी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोल्डन रायनी, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत नन्दपुरम कालोनी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल यादव, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा नरवर में सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पंथी, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित सात याचिकाएँ†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां में तिलेण्डा-हलोर मार्ग पर लल्लन के खेत से अकोहरी तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती मालती देवी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां में हसवा ताल ड्रेन पर समरहा से पक्का पुल तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक श्री अंकुर अवस्थी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां में गुढ़ा रजबहा नेवाजीखेड़ा से पुरबिया के पुल तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां की ग्राम पंचायत पस्तौर में राजकीय नलकूप का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रमाशंकर, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां में राजापुर जौनपुर ब्रान्च से पूरे चन्दर मजरे कोटवा महमूदाबाद होते हुए इन्द्राणी महराजगंज में पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत महराजगंज-इन्हौना मार्ग मऊ के पास से अहलादीपुरवा पूरेनायक होते हुए मजरे कैड़ांवा तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

7-जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत महराजगंज-हैदरगढ़ मार्ग कुसुढ़ी सागरपुर से एहलाना होते हुए मौन तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसनेही, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित पांच याचिकाएँ †

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ में ग्राम हरियावर से मुस्तफाबाद होते हुए बद्रीखेड़ा मजरा गोंदरी तक बरसाती नाले की खुदाई कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम बेहटा मुजावर के मजरा रामदीनखेड़ा से बिहारीखेड़ा होते हुए हसनापुर तक डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ की ग्राम पंचायत कमलापुर से ढोरिहा मजरा जामड़ तक नवीन डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम कोलिया के मजरा छतरापुर में लतीफपुर से कोलिया तक नवीन डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ की ग्राम पंचायत जगटापुर के मजरा भवानीखेड़ा से हीरामनपुरवा तक नवीन डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त कटियार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री संजय शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से संबंधित याचिकाएँ †

श्री संजय शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के कस्बा आहार व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सुभाष वर्मा व अन्य निवासीगण बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत भटनी नूरीगंज में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत भटनी नूरीगंज में छोटी गण्डक नदी पर पीपा पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल गुप्ता व अन्य निवासीगण, जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बैकुंठपुर में स्थित पशु अस्पताल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामाख्या तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत नगर पंचायत बरियापुर में स्थित प्राचीन कोट देई माता के स्थान का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर चन्द्र यादव व अन्य निवासीगण, जनपद देवरिया की याचिका तथा

5-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी में बाढ़ से होने वाले कटान से बचाव के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र कुमार संगम व अन्य निवासीगण, जनपद देवरिया की याचिका।

श्री डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

श्री हरीश गंगवार, सदस्य की अनुपस्थिति में विधान सभा, जनपद बरेली की तहसील मीरगंज, ग्राम परेवा में पश्चिम की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश गंगवार, निवासीगण जनपद बरेली की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे लाला बाजार से ग्राम सभा झिरीहिरी रहीम पट्टी उतरांव होते हुए सैदाबाद-फूलपुर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालमणि बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के जानकीपुरम के सेक्टर-आई, यशोदापुरम् शिवविहार कालोनी की खुली 11 के0वी0 हाईटेंशन लाइन को स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0एस0 चौहान, निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित छः याचिकाएँ†

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम मुस्करा स्थित कालिका देवी के तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद अग्रवाल व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका,

2-जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम भैसांय से ग्राम चन्दौरा के मध्य स्थित बिरमा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 दृगपाल राजपूत व अन्य निवासी, जनपद हमीरपुर की याचिका,

3-जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम रौरो से बरौली के मध्य बिरमा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश राजपूत व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका,

4-जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत नगर पालिका राठ में फायर स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका,

5-जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत तहसील सरीला में बस स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजपूत व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

6-जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत हमीरपुर और झांसी के बीच बहने वाली धसान नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीता सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद हमीरपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद इटावा से संबंधित पांच याचिकाएँ †

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद इटावा की तहसील इटावा के ब्लाक बढ़पुरा में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद इटावा की तहसील इटावा के ब्लाक बढ़पुरा में इकदिल को नवीन विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 गौरव दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

3-जनपद इटावा के ब्लाक बढ़पुरा स्थित पार पट्टी क्षेत्र में पिनाहट से निकलने वाली चम्बल कैनाल में उदी टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशू भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

4-जनपद इटावा के ब्लाक बढ़पुरा स्थित थाना बढ़पुरा एवं पछांयगांव को सी0ओ0 सर्किल जसवन्तनगर से हटाकर सी0ओ0 सर्किल इटावा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री गोल्डी जादौन व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

5-जनपद इटावा की तहसील इटावा की नगर पालिका परिषद् को नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री डब्बू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्री राकेश पाण्डेय, श्री विशम्भर सिंह यादव, डा0 डी0 सी0 वर्मा, श्री हाजी इरफान सोलंकी यह सदस्य अनुपस्थित रहे। इनको याचिकाएँ दोबारा देनी पड़ेंगी।

श्री मूलचन्द सिंह निरंजन, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री रमापति शास्त्री, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री राम अचल राजभर, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री रामफेरन पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री श्याम सुन्दर, श्री श्रीकान्त कटियार, श्री संजय शर्मा, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्रीमती मनीषा अनुरागी, श्रीमती सरिता भदौरिया इन मा0 सदस्यों की याचिकाएँ उपस्थित मानी गयीं।

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। नियम-315 के अन्तर्गत कोई अभी सूचनायें नहीं हैं एवं मंत्रियों के द्वारा कोई वक्तव्य भी नहीं है।

भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ)

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

श्री अध्यक्ष-

श्री उमाशंकर सिंह।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, उन कमियों को दूर कर लेना है और हम देखते हैं कि हमने उस विधेयक पर चर्चा की, विधेयक को पास किया और विधेयक को बहुमत के आधार पर पास कर देते हैं, लेकिन फिर हम अगले ही कुछ दिनों में उसमें संशोधन लेकर आते हैं। इसके लिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि क्यों न हम इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जिससे कि उस विधेयक पर गहन विचार किया जाये और फिर इस विधेयक को पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-79 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ का उच्चीकरण तथा पुनर्गठन करने की दृष्टि से अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तारण विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**
(2) यह दिनांक 6 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्था से है;

(ग) "स्वायत्त महाविद्यालय" का तात्पर्य धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में घोषित किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से है;

(घ) "कुलाधिपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(ड.) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा परिनियमावली द्वारा इस रूप में नामित है;

(च) संस्थान के सम्बन्ध में निदेशक का तात्पर्य ऐसी संस्था के प्रमुख से है;

(छ) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ज) "विद्यमान विश्वविद्यालय" का तात्पर्य भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "फाउण्डेशन कोर्स" का तात्पर्य स्वयं के सम्बन्ध में और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण के सम्बन्ध में अधिकाधिक जागरूकता के पाठ्यक्रम से है;

(ट) "हॉल" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों की आवास इकाई से है, जिसमें अनुशिक्षण तथा अन्य अनुपूरक अनुदेशों हेतु उपबन्ध किया जाता है;

(ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य किसी हॉल से भिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों की आवास इकाई से है और किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का छात्रावास का तात्पर्य उस महाविद्यालय के छात्रों के लिए किसी निवास इकाई से है;

(ड) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 41 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान से है;

(ढ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से है जो उस महाविद्यालय के मामलों का प्रबन्ध करने हेतु प्रभारित हो और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(ण) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" के वही अर्थ होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में है;

(त) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(थ) किसी सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय के प्रधान से है, जिसमें प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य सम्मिलित है;

(द) "कुलसचिव" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(ध) "मान्यता प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि में प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन का उपबन्धन करने के लिए प्राधिकृत किसी संस्था से है;

(न) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव से है;

(प) "स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम" का तात्पर्य ऐसे किसी पाठ्यक्रम से है, जिसके सम्बन्ध में समस्त वित्तीय दायित्वों का वहन किसी मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(फ) "राज्य के ज्येष्ठ अधिकारियों" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में तैनात उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय सेवा के अधिकारियों से है;

(ब) "परिनियमावली", "अध्यादेश" और "विनियमावली" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली से है;

(भ) "अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के किसी संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान में अनुदेश प्रदान करने वाले या शोध हेतु मार्गदर्शन करने वाले आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या परिनियमावली द्वारा अध्यापक घोषित किये जाने वाले अन्य व्यक्तियों से है;

(म) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(य) "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" का तात्पर्य क्रमशः धारा 11 और 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति से है।

अध्याय–दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3-(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश राज्य में ''भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय इस रूप में कार्य करने से प्रविरत हो जायेगा और उक्त सम विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां तथा देनदारियां विश्वविद्यालय को अन्तरित हुई मानी जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा। कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो तत्समय विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण कर रहे हों, से उक्त निगमित निकाय गठित होगी।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(5) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी और वह अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में :-

(क) राज्य सरकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतरिम अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ऐसे विश्वविद्यालय के अंतरिम प्राधिकरणों का गठन इस तरह से करेगी जो वह ठीक समझे;

(ख) नियुक्त अधिकारी और खंड (क) के अधीन गठित प्राधिकरणों के सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि अधिकारियों की नियुक्ति या खंड (ग) के अनुसार प्राधिकरणों का गठन नहीं हो जाता है या ऐसे अन्य पूर्ववर्ती दिनांक तक पद धारण करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की अवधि को अनधिक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन और अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाएगी, ताकि खण्ड (ख) के अधीन अंतरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की संबंधित शर्तों की समाप्ति से पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(एक) भारत में संगीत, कला और संस्कृति की समस्त शाखाओं में अनुदेश और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि संगीत, कला और संस्कृति की शिक्षा में उच्चतम मानक प्राप्त किया जा सके और इसे वृहद स्तर पर समाज में प्रसारित किया जा सके;

(दो) भारत और विदेशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत और विदेशों में विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना करना;

(तीन) समाज के विकास में योगदान करने के लिए अतिरिक्त भिति अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम और फील्ड आउटरीच सम्बन्धी गतिविधियाँ करना;

(चार) शास्त्रीय संगीत की उन्नति के लिए एक ऐसी संस्था के रूप में स्वामित्व, प्रबंधन और विकास करना जो जाति, पंथ, नस्ल और धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रास्थिति पर ध्यान दिये बिना सभी के लिए खुला हो;

(पाँच) मानवता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल मूल्यों को धारण करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए पूर्ण प्रतिक्रिया देने में सक्षम, और एक मजबूत चरित्र और उच्च नैतिक मानक रखने वाले व्यक्ति का संगीत सम्बन्धी बौद्धिक भावनात्मक और नैतिक एकीकरण करना;

(छः) शास्त्रीय, गायन और वाद्य प्रारूप में उत्कृष्ट संगीत शिक्षा और शास्त्रीय तथा समकालीन प्रारूपों में नृत्य शिक्षा आयोजित तथा प्रदान करना;

(सात) वर्तमान समय के अधिकाधिक संगीतपरक समाज के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल व्यक्ति बनाने के लिए व्यावहारिक संगीत तथा संगीत शास्त्र में किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना तथा उसमें संगीतात्मक प्रवृति विकसित करना;

(आठ) सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन को बढ़ावा देना और मानवीय स्पर्श करने के निमित्त संगीतात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करना जिससे कि यांत्रिक दुनिया की कठोरता को कम किया जा सके;

(नौ) भारत के लोक संगीत और नृत्य को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना;

(दस) संगीत-विज्ञान और भारतीय शास्त्रीय संगीत, गायन, वाद्य और नृत्य की सभी तीन शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना;

(ग्यारह) टेपों, अभिलेखों, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों और आभूषणों आदि के रूप में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय रचनाओं का संग्रह और संरक्षण करना;

(बारह) लघु अवधि और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन शिविर आदि का आयोजन और संचालन करना और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के संबंध में व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश के विशेषज्ञों और शोधार्थियों को आमंत्रित करना;

(तेरह) प्रदर्शन कला, फिल्म निर्माण, दृश्यकला, पुरातत्व, संगीत विज्ञान और अभिलेखागार के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(चौदह) भारतीय संगीत के प्रशिक्षण और प्रचार के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सामान्यजन और संगीत पारखी लोगों के सामने संगीत कार्यक्रमों का निर्माण, निर्देशन और प्रदर्शन करना;

(पन्द्रह) कोरियोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, म्यूजिक कंपोजिशन, लिरिक्स राइटिंग, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, म्यूजिक डिजाइनिंग, एंकरिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, लाइट डिजाइनिंग, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग के क्षेत्र में अध्यापन और विद्यार्जन के संबंध में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करना और भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना;

(सोलह) भारतीय संगीत, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक शोध जर्नल प्रकाशित करना;

(सत्रह) संग्रहालय, पुरातत्व, अभिलेखागार के क्षेत्र से सम्बंधित विषय-विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित गायकों, वादकों, नृत्य उस्तादों, चित्रकारी तथा पेन्टिंग कलाकारों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित करना और संस्थान के दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के अतिरिक्त उत्कृष्ट पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन करना;

(अट्ठारह) सर्वोत्तम शास्त्रीय रचनाओं, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का संग्रह, मूल्यांकन और संरक्षण करना;

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश और भारत की लोक संस्कृति के प्रदर्शन, संरक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;

(बीस) सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय रचनाओं, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का संग्रह, मूल्यांकन और संरक्षण करना;

(इक्कीस) सेमिनार एवं प्रदर्शन में सम्मिलित होने हेतु छात्रों, शिक्षकों की विदेश यात्रा सुगम बनाना, साथ ही उनके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संपर्कों को बढ़ावा देना;

(बाइस) सम्बद्धता प्रदान करना और हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों के अन्य देशों से एक ही प्रकृति के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और अकादमियों के साथ एम0ओ0यू0 करना;

(तेइस) वैश्वीकरण के डिजिटल युग में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के अध्यापन के माध्यम से दुनिया के लिए सुलभ, शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान और दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ की स्थापना करना;

(चौबीस) भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा, परंपरा को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(पच्चीस) एक चिकित्सीय साधन के रूप में संगीत में अनुसंधान प्रारम्भ करना और उसमें अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(छब्बीस) किन्हीं समान विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ अंतर विभागीय सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और पाठ्यक्रम स्थापित करना;

(सत्ताइस) रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संगीत कला, संस्कृति और पर्यटन के समन्वय से उच्चतम शैक्षणिक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना;

(अट्ठाइस) उपाधि, डिप्लोमा और अनुसंधान और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न तीर्थ विकास बोर्डों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना;

(उन्तीस) उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों-अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश आदि के पारंपरिक रंगमंच में अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक अलग संकाय की स्थापना करना;

(तीस) मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में उत्तर प्रदेश शास्त्रीय घरानों, शास्त्रीय और लोक संगीत से संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देना और केंद्र स्थापित करना;

(इकतीस) विश्वविद्यालय के उन छात्रों को छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान करना, जो संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विदेश में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं;

(बत्तीस) विभिन्न फेलोशिप प्राप्त करने के लिए छात्रों की सहायता करना;

(तैंतीस) छात्रों हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन एवं प्रदर्शन कौशल को बढ़ावा देने हेतु मिनी ऑडिटोरियम, मेगा ऑडिटोरियम एवं संगीत रचना, संपादन, डबिंग और अन्य सम्बद्ध कार्यों हेतु अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित डिजिटल स्टूडियो की स्थापना करना;

(चौंतीस) अध्ययन एवं सम्बद्ध कार्यों हेतु एक आधुनिक डिजिटल रूप से सुसज्जित पुस्तकालय की स्थापना करना;

(पैंतीस) लोक, आदिवासी और समकालीन संगीत कला और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ वाद्ययंत्रों का संग्रहालय स्थापित करना;

(छत्तीस) उत्तर प्रदेश राज्य, भारत और विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संगीत कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके आजीवन कार्यों और उपलब्धियों को उचित मान्यता देने हेतु सम्मानित करना एवं विश्वविद्यालय के छात्रों एवं शोधार्थियों के मध्य जिम्मेदारी की भावना एवं कौशल विकसित करके संगीत एवं कला के माध्यम में समाज की सेवा करना;

(सैंतीस) सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के कुशल माध्यमों से संगीत और कला हेतु व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करना;

(अड़तीस) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(उन्तालीस) ऐसे समस्त अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

5–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्-

(एक) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में अनुदेश की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, तथा अनुसंधान के लिये और कला तथा संस्कृति के ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार के लिये उपबन्ध करना;

(दो) किसी महाविद्यालय को यथास्थिति सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि करने, या वापस लेने या उनमें कमी करने तथा सम्बद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य को नियंत्रित करना;

(तीन) उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रस्तुत करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाएं आयोजित करना एवं ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करना, जिन्होंने :-

(क) विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय तक उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है; अथवा

(ग) पत्राचार के माध्यम से चाहे विश्वविद्यालय के किसी क्षेत्र में रहते हुए या न रहते हुए अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट किया जाये, पंजीकृत किया गया है; अथवा

(घ) विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में या परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अन्य किन्ही शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी हैं अथवा वे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं और जिन्होनें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया है; अथवा

(ङ) विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया है; अथवा

(च) नेत्रहीन है और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया है;

(पाँच) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमाओं को प्रदान करना, अथवा ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षा संबंधी निर्देशों का उपबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(छः) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग अथवा सहकार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(सात) विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिये व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(आठ) छात्र निवास में शिक्षण प्रदान करने के लिये अध्यापकों को मान्यता प्रदान करना;

(नौ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता की शर्तों को निर्दिष्ट करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया गया है;

(दस) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृतियाँ (जिनमें यात्रा अधिछात्रवृत्ति सम्मिलित है) विद्यावृत्तियों एवं पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों अथवा संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिये छात्र निवासों एवं छात्रवासों को संस्थित करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा निवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(बारह) ऐसे शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जिन्हें अध्यादेशों द्वारा नियत किया जाय;

(तेरह) विश्वविद्यालय, संस्थान और संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिये प्रबन्ध करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय संस्था और संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पत्रिकाएं, शोध पत्र प्रकाशित करना;

(पन्द्रह) ऋण लेना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, सदस्यता, दान और उपहार प्राप्त करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट और बंदोबस्ती सम्पत्तियों सहित समस्त प्रकार की स्थावर व जंगम सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्धन और निस्तारण करना;

(अट्ठारह) प्रशासनिक या लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके लिये नियुक्तियाँ करना; और

(उन्नीस) ऐसे सभी कार्यों एवं चीजों को करना चाहें वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषांगिक हों या न हों जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकते हैं;

अधिकारिता

6– विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और सम्प्रदायों के लिए खुला होगा

7–(1) विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों (अध्यापकों तथा छात्रों सहित) के लिए होगा, चाहे वे किसी भी वंश, धर्म, जाति, पंथ, वर्ग या लिंग के होंगे :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी किसी भी बात का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय, परिनियमावली तथा विनियमावली द्वारा यथा अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक संख्या में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं होगा।

अध्याय–तीन
निरीक्षण और पूछताछ

परिदर्शन

8–(1) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संघटक महाविद्यालय या संस्था का जिसमें इसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला और उपकरण सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्थान द्वारा किये जाने वाले अथवा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निर्देशित कर सकेगी, निरीक्षण कराने का अथवा उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या उस संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच कराने का निर्णय लेती है, वहाँ वह विश्वविद्यालय को उसके सम्बंध में कुलसचिव के माध्यम से सूचित करेगी और कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेगा और उसे उस रूप में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यह कि कोई विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद के विषय में विचारण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने तथा साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण को विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा, और उसके अथवा उनके समक्ष किसी कार्यवाही का, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193 एवं 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार उपकुलपति को उक्त निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के संदर्भ में पत्र प्रेषित करेगी और उपकुलपति कार्यपरिषद को राज्य सरकार के विचारों को ऐसी सलाह के साथ जिसे राज्य सरकार प्रभावित कर सकेगी, के साथ उस पर की जाने वाली कार्यवाई के सम्बन्ध में संसूचित करेगी।

(5) तब कुलपति ऐसे समय, जिसे राज्य सरकार नियत करे, के भीतर उसके समक्ष कार्यपरिषद द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण, युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिये कार्यवाई नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण प्रदान कर सकेंगे, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कराये जाने वाले निरीक्षण अथवा जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन उपकुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश की और साथ ही ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या संसूचना, जिसे उस निदेश के अनुपालन अथवा अनुपालन के संबंध में प्राप्त किया गया हो, की भी प्रति, कुलपति को प्रेषित करेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलपति की, इस धारा की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्वयोजित जाँच की कोई रिपोर्ट सम्मिलित है, के विचारण पर, यह राय हो कि कार्यपरिषद अपने कार्यों को करने में विफल रहा है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है तो वह उसे लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेशित कर सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद के अधिष्ठान में कुलपति अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो संख्या में 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति अतिष्ठित कार्यपरिषद के किसी सदस्य को सम्मिलित करते हुए उस निमित्त नियुक्त कर सकेगा, को सम्मिलित करते हुए तदर्थ कार्यपरिषद ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी उसे कुलपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उपधारा (11) के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और समस्त कार्यों का सम्पादन कर सकेगा।

(9) धारा 20 में कही गयी कोई बात, तदर्थ कार्यपरिषद के गठन के लिये लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (8) के अधीन गठन किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन किये जा रहे आदेश पर, एतद्द्वारा अतिष्ठित कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के पद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे समस्त सदस्य उस रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन अवधि के दौरान, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 19 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी गयी समझी जाएगी;

"(6) कार्यपरिषद् की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी''

(ख) धारा 20 में, उपधारा (1) में, शब्द ''इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन'' के पश्चात् शब्द ''और कुलाधिपति के नियंत्रण के अध्यधीन भी'' बढ़ा दिए गए समझे जायेंगे;

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के समाप्त होने के दिनांक से धारा 19 के उपबंधों के अनुसार नई कार्यपरिषद् का गठन किया जायेगा।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबंधों के कारण उपान्तरित हुए समझे जायेंगे, के अनुसार उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन अवधि के दौरान बनायी गयी परिनियमावली, अध्यादेश विनियमावली या अन्य नियमावली ऐसी अवधि के समाप्त होते हुए भी तब तक प्रवर्तित रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन्हें संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अध्याय–4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) कुलसचिव;

(घ) वित्त अधिकारी;

(ङ) परीक्षा नियंत्रक;

(च) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(छ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति

10–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे/होंगी। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा/होंगी।

(2) मानद उपाधि प्रदत्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा;

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित ऐसी सूचना या अभिलेख प्रस्तुत करे जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करें;

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या तद्धीन प्रदान किया जा सकता है।

कुलपति

11–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे ऐसे व्यक्तियों में से उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) कोई ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, किसी संस्थान और किसी संघटक महाविद्यालय, किसी मान्यताप्राप्त अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास से या विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों से सम्बन्धित न हो) कार्य परिषद द्वारा उस दिनांक से कम से कम तीन माह पूर्व जिस दिनांक को कुलपति के पद में उसका कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्ति होना देय हो, निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति सहित कार्य परिषद का कोई सदस्य कुलपति पद हेतु आवेदक हो तो वह उक्त बैठक में इस बिन्दु की कार्यसूची पर विचार विमर्श करते समय विरत रहेगा।

(ख) कोई व्यक्ति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो जिसमें उसका मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित है, उक्त मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो; तथा

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा :

परन्तु यह कि जहां कार्य परिषद खंड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने में विफल रहता है, वहां कुलाधिपति खंड (ग) के अधीन अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) समिति, जहाँ तक सम्भव हो उस दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व जिस दिनांक को कुलपति के पद में उपधारा (7) के अधीन कार्यकाल समाप्त होने अथवा त्याग पत्र के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली हो और साथ ही जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो और उस दिनांक से पूर्व जैसा कि कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति पद को धारित करने के लिए उपयुक्त हो। समिति, नामों को प्रस्तुत करते समय, कुलाधिपति के समक्ष इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताओं को दर्शित करते हुए संक्षिप्त विवरण अंग्रेजी वर्णमाला में अग्रेषित करेगी, किन्तु वह अधिमान के किसी क्रम को नहीं संसूचित करेगी।

(4) जहाँ कुलाधिपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्तियों का कुलपति के रूप में नियुक्त हेतु उपयुक्त होना नहीं समझता है अथवा यदि सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं अथवा हैं और कुलाधिपति का पसंद अन्यून तीन व्यक्तियों तक सीमित हो, वहाँ समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट मामले में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किन्हीं नामों का सुझाव देने में असमर्थ हो अथवा यदि कुलाधिपति कुलपति के रूप में नियुक्त उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये नामों में से किसी एक या अधिक नामों पर विचार नहीं करता है तो शैक्षिक प्रतिष्ठा वाले तीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुलाधिपति द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया जाएगा जो उपधारा (3) के अनुसार नामों को प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र उसके सदस्यों में रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता के कारण अथवा कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति के भाग लेने के कारण, जिसका बाद में ऐसा करने का हकदार न होना पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं हो जायेगी।

(7) (क) कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति उस दिनांक जिस दिनांक को वह अपना पद धारित करता है अथवा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, उस रूप में द्वितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित एवं स्व हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है, और उसका त्याग-पत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर वह पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा अवधारित किया जाए।

(9) कुलपति धारा 32 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के लाभ का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे भविष्य निधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वह अभिदायकर्ता हो और विश्वविद्यालय का अंशदान उस तक सीमित रहेगा जिसके लिए वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अशंदान करता आ रहा था।

(10) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में, (जिनके विद्यमान होने के सम्बन्ध में कुलाधिपति एकमात्र निर्णायक होगा) कुलाधिपति छः महीने से अनधिक अवधि के लिए कुलपति के पद पर किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे-

(क) जहां कुलपति के पद में कोई रिक्ति, अवकाश के कारण या अन्य किसी कारण से, जो त्याग-पत्र अथवा कार्यकाल की समाप्ति न हो, उत्पन्न होती है अथवा उत्पन्न होना सम्भाव्य हो, वहाँ तत्सम्बंधी रिपोर्ट, कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को अविलम्ब दी जाएगी;

(ख) जहां कुलपति के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधाजनक ढंग से और शीघ्र ही न भरा जा सकता हो;

(ग) कोई अन्य आपातस्थिति :

परन्तु यह कि कुलाधिपति, समय-समय पर, इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कार्यावधि को विस्तारित कर सकता है, तथापि मूल आदेश में निहित कार्याविधि सहित ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति पद को धारित करता है, प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ कोई प्रतिकुलपति न हो तो उस विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों का जानबूझकर कार्यान्वयन करने से लोप करता है अथवा उसे अस्वीकृत करता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अथवा यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा लगता है कि कुलपति के लिए पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के लम्बित रहने के दौरान अथवा उसका अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेशित कर सकता है कि अग्रेतर आदेशों के होने तक-

(क) उक्त कुलपति, कुलपति के पद के कार्यों का संपादन करने में विरत रहेगा, किन्तु वह वेतन तथा विश्वविद्यालयीय आवास की सुविधा प्राप्त करता रहेगा।

(ख) कुलपति के पद के कार्यों का, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निष्पादन किया जाएगा।

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह-

(क) विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध एवं मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालयों और संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आयोजित करने एवं उन्हें समुचित ढंग से और निश्चित समय पर संचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उन परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र ही प्रकाशित किया जाये और यह कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र समुचित तिथियों पर प्रारम्भ हो तथा समाप्त हो।

(2) वह, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय की बैठक में बोलने और अन्य प्रकार से उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमावली और विनियमावली के उपबन्धों का सत्यनिष्ठा से पालन करे और वह (धारा 10 और 68 के अधीन) कुलाधिपति की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन सभी शक्तियों को धारित करेगा जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उन्हें आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यह कि वह अपनी इस शक्ति को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां (विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति को छोड़कर) कोई मामला, अत्यावश्यक प्रकृति का हो जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो और उसे विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य किसी निकाय द्वारा तत्काल संव्यवहृत नहीं किया जा सकता था, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा तद्धीन संव्यवहृत करने के लिए सशक्त था, वहां कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे और वह अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अविलम्ब कुलाधिपति को और साथ ही साथ उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा जिसने सामान्य अनुक्रम में उस मामले को संव्यवहृत किया होता :

परन्तु यह कि कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि इसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में कोई विचलन अन्तर्वलित हो:

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि उन अधिकारियों, प्राधिकरण या अन्य निकाय की यह राय हो कि उस कार्रवाई को नहीं किया जाना चाहिए था, तो वह मामला कुलाधिपति के समक्ष निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे रद्द कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और तत्पश्चात् उसका प्रभावी होना बन्द हो जायेगा अथवा जैसा विषय हो, उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा किन्तु ऐसे निष्प्रभावी होने या उपान्तरित होने का कुलपति द्वारा अथवा उसके आदेश के अधीन पूर्वतर की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से क्षुब्ध हो, को उस कार्यवाही के विरुद्ध कार्य परिषद के समक्ष उस दिनांक से तीन महीने के भीतर अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा जिस दिनांक को उस कार्रवाई पर विनिश्चय की सूचना उसे दी जाती है और उसके पश्चात कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उसे अभिशून्य करार दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) में कही गयी किसी बात से कुलपति को ऐसे किसी व्यय को उपगत करने हेतु सशक्त नहीं समझा जाएगा जिसे करने के लिए वह सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसका बजट में उपबन्ध न किया गया हो।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में अधिकारी की नियुक्ति अन्तर्वलित हो वहां ऐसी नियुक्ति, निर्धारित रीति से किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के समाप्त होने पर जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

प्रतिकुलपति

13-(1) विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक को कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि वरिष्ठतम प्राध्यापक के विरूद्ध कोई जाच लंबित हो या उसे किसी वित्तीय, प्रशासनिक या नैतिक कदाचार के लिए दंडित किया गया हो, तो अगले वरिष्ठतम प्राध्यापक को प्रतिकुलपति के पद के लिए विचार किया जायेगा जिसके पास ऐसी कोई अक्षमता न हो।

(2) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा, जैसा कि समय-समय पर कुलपति द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए और कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा। वह प्रतिकुलपति के पद के लिए प्राध्यापक के रूप में अपनी पात्रता के अलावा किसी अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रतिकुलपति के पास ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या तद्धीन प्रदान की जाएँ।

कुलसचिव

14-(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों या कुलसचिव, उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव में से सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित पृथक सेवा संवर्ग में से की जाएगी।

उसे उक्त के अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा, और उसकी सेवा की शर्तें उक्त नियमावली द्वारा शासित हो सकेंगी।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के अधीन अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुहर की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद, प्रवेश समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों हेतु नियुक्त प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जा सकेगा जिसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव को उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा उपबन्धित को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा और न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

(6) जब कुलसचिव किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या कुलसचिव का पद रिक्त हो जाय तो उक्त पद के समस्त कर्तव्यों का निष्पादन तब तक कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जब तक यथास्थिति कुलसचिव अपना पद धारण नहीं कर लेता है या रिक्ति नहीं भर ली जाती है।

15-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा; वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) तथा लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों के आहरण एवं संवितरण के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्य परिषद की कार्यवाही में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यय, जो बजट में प्राधिकृत न हो विश्वविद्यालय द्वारा उपगत न किया जाय (निवेश से भिन्न माध्यम से);

(ख) ऐसे किसी प्रस्तावित व्यय को अस्वीकृत करना जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का अतिलंघन होता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की गई हो और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित की गई किसी भी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश विधिवत संरक्षित और प्रबंधित है;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित कराया जाय और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सभी सुधारात्मक उपाय और कार्रवाई करेगा, जैसा कि ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा अपेक्षित हो।

(5) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुँच प्राप्त होगी और उनके प्रस्तुत किये जाने तथा तत्सम्बंधी कार्यकलापों से सम्बंधित ऐसी सूचना प्रदान करने की वह अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) सभी संविदाओं को वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा और उसके द्वारा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कार्य वही होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाय।

16-(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह उन सभी सूचनाओं को उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी संपादन करेगा जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायेंगे, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसी विवरणी प्रस्तुत किये जाने अथवा ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लिए आवश्यक हों।

(4) परीक्षा नियंत्रक का अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं को संचालित करना होगा और तद्निमित्त अन्य सभी प्रबन्ध करना होगा तथा वह तत्सम्बंधी सभी प्रक्रियाओं का सम्यक निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अन्य किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जब परीक्षा नियंत्रक किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उस पद के सभी कर्तव्यों का निष्पादन कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यथास्थिति तब तक किया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले अथवा रिक्ति न भर दी जाये।

अन्य अधिकारी

17–कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ वही होंगी जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट की जाएँ।

अध्याय-पाँच

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

18– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:-

(क) कार्य परिषद;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) वित्त समिति;

(घ) संकाय;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किया जाय।

कार्य परिषद का गठन

19–(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) विहित रीति से चक्रानुक्रम में दो संकायों के संकायाध्यक्ष;

(घ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के आचार्यों या सह आचार्यों में से एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के आचार्यों या सह आचार्यों में से एक सदस्य;

(ङ) संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में से प्रत्येक से लब्ध प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) राज्य सरकार का यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव संस्कृति, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(ज) राज्य सरकार का यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(झ) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, वित्त या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(2) सदस्यों के पद की अवधि का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है :-

(एक) उपधारा (1) का खण्ड (ग) व (घ) एक वर्ष का होगा।

(दो) उपधारा (1) का खंड (ङ) या खंड (च) तीन वर्ष का होगा।

(3) कोई व्यक्ति लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए कार्य परिषद का सदस्य नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्य परिषद के सदस्य के रूप में तब तक नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र से स्नातक या प्रतिष्ठित व्यक्ति न हो।

(5) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और उसका सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में या उसके किसी कार्य हेतु या महाविद्यालय के लिए माल प्रदाय करने अथवा कोई कार्य निष्पादित करने के लिए, किसी संविदा के हेतु पारिश्रमिक स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा में कही गयी कोई बात किसी अध्यापक द्वारा उस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के संबंध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा प्रशिक्षण इकाई के या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डन के रूप में अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में इसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों हेतु कोई पारिश्रमिक स्वीकार किये जाने के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खण्ड (77) में परिभाषित है।

कार्य परिषद की शक्तियां और कृत्य

20-(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी और उसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारित एवं नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर संपत्ति को अर्जित अथवा अन्तरित करना;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का प्रशासन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों, सेवा की शर्तों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपबन्ध करना;

(आठ) परीक्षकों के शुल्कों, परिलब्धियों और यात्रा तथा अन्य भत्तों को नियत करना;

(नौ) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के सम्बंध में विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध/मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय को विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना;

(दस) संस्थानों, सम्बद्ध मान्यताप्राप्त संघटक महाविद्यालयों, छात्र निवासों, छात्रावासों और विद्यार्थियों के निवास के अन्य स्थानों का प्रबन्ध करना और उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निर्देश देना;

(बारह) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा लागू करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनियोगों, संपत्ति, कामकाज और उसके अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना और उक्त प्रयोजनार्थ उन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जो वह उपयुक्त समझे;

(चौदह) राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी धन (जिसमें न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से प्राप्त आय सम्मिलित है) का निवेश करना और अचल सम्पत्ति क्रय करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उनमें परिवर्तन कार्यान्वित करना और उन्हें रद्द करना;

(सत्रह) परिनियमों के अनुसार प्रवेश और परीक्षाओं के लिए समितियां नियुक्त करना;

(अट्ठारह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के साथ ही साथ संस्थाओं, संघटक, सम्बद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कार्य परिषद् बंधक, विक्रय, विनिमय, दान अथवा अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय के किसी स्थावर सम्पत्ति को प्रबन्ध के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने के सिवाय न तो अन्तरित करेगी और न ही सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) ऐसा कोई व्यय जिसके संबंध में राज्य सरकार का अनुमोदन इस अधिनियम या परिनियमावली या विनियमावली द्वारा अपेक्षित हो, पूर्व में प्राप्त किये गये उक्त अनुमोदन के सिवाय उपगत नहीं किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा पोषित किसी संस्था या महाविद्यालय में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के मामले में राज्य सरकार से इस तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(4) कार्य परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के अध्यापक के अधिसंख्य पद का उस अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शिक्षा सम्बंधी प्रशासन या अन्य किसी प्रकार के समनुदेशनों में राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को धारित कर रहा है, अपने धारणाधिकार को तथा अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने और अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमानों में वृद्धि को उपार्जित करते रहने एवं परिनियमों के अनुसार भविष्य निधि के लिए अंशदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हो, को उपार्जित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पद का सृजन कर सकेगी:

परन्तु यह कि उस अध्यापक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उस समनुदेशन की अवधि के लिए कोई वेतन संदेय नहीं होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणि,यों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(6) कार्य परिषद वित्त समिति द्वारा निर्धारित किये गये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत किये जाने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमा को पार नहीं करेगी।

(7) विद्या परिषद तथा सम्बंधित संकायों के परिषदों की सलाह पर विचार करने के पश्चात कार्य परिषद अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों तथा परीक्षकों को संदेय शुल्क के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(8) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन, अपनी ऐसी शक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

कार्य परिषद की बैठक

21–(1) आपातकालीन बैठक को छोड़कर कार्य परिषद तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी, और ऐसी बैठक के सम्बंध में सदस्यों को न्यूनतम पंद्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी ।

(2) कार्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) कार्य परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

विद्या परिषद

22–(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अध्यादेश, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन -

(क) विश्वविद्यालय में चलाये जाने वाले या दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षण और शोध के मानकों को बनाये रखने के लिए नियंत्रण रखेगी और उनका सामान्य विनियमन करेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित प्रकरणों सहित सभी शैक्षणिक प्रकरणों पर कार्य परिषद को सलाह दे सकेगी; तथा

(ग) उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसाकि उसे परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों के अधीन, विद्या परिषद में निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी, अर्थात्:-

(एक) कार्य परिषद द्वारा सौंपे गए किसी मामले पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(दो) विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और उनसे जुड़ी अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति देना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और संशोधित करना या और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सौंपना और कार्य परिषद को किसी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संयोजन की आवश्यकता के सम्बंध में कार्य परिषद को रिपोर्ट देना;

(चार) विनियमों के माध्यम से विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों हेतु अनुदेश और परीक्षा की व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और समय-समय पर ऐसे शोधों पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(छः) संकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों की उपाधियों, डिप्लोमा को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता निर्धारित करना;

(आठ) कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने हेतु और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य व्ययों के निर्धारण के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था के लिए कार्य परिषद को सिफारिश करना और उन्हें आयोजित करने की तारीखें तय करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियां, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, उपाधियां और सम्मान चिह्न प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना;

(बारह) पुरस्कारों से जुड़े हुए विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रकाशित करना;

(चौदह) अधिनियम के उपबंधों, अध्यादेशों के अनुसार समय-समय पर ऐसे प्रपत्र और रजिस्टर तैयार करना और शैक्षणिक प्रकरणों के सम्बंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों, कार्यों का निष्पादन करना तथा पालन करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(3) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः

(एक) कुलपति;

(दो) सभी संकायों, यदि कोई हों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जहां विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, वहां संबंधित संकाय में उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले संबद्ध महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हो;

(छः) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो आचार्यों को निर्धारित रीति से अवधारित किया जाएगा;

(सात) सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों (यदि कोई हों) के एक प्राचार्य का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा;

(आठ) तीन अध्यापकों को निर्धारित रीति से चुना जायेगा;

(नौ) छात्रों के कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(दस) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; तथा

(ग्यारह) कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों से एक सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) धारा 61 के उपबंधों के अधीन पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) जब तक शैक्षिक महत्व वाले प्रस्ताव की विद्या परिषद द्वारा संस्तुति नहीं की जाती है, तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद विद्या परिषद की संस्तुतियों से असहमत है, तो वह असहमति के कारणों सहित प्रस्ताव को वापस विद्या परिषद को संदर्भित करेगी और कार्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

23–(1) विद्या परिषद आपात बैठक को छोड़कर माह में कम से कम एक बार, बैठक करेगी और ऐसी बैठक हेतु सदस्यों को अन्यून पंद्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। **विद्या परिषद की बैठक**

(2) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) विद्या परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जायेगा।

24–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:- **वित्त समिति**

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव संस्कृति ;

(ग) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव वित्त;

(घ) प्रतिकुलपति; यदि कोई हो;

(ङ) कुलसचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) कार्य परिषद से एक सदस्य जिसे कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) वित्त अधिकारी या वित्त नियंत्रक (जो भी वरिष्ठ हो) जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति की किसी बैठक में भाग लेने के बजाय, अपने स्थान पर किसी अधिकारी को जो विशेष सचिव के स्तर का हो, नाम-निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे अधिकारी को भी मत देने का अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर कार्यपरिषद को सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की कुल सीमा निर्धारित करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वह इस प्रकार नियत किये गये व्यय की सीमाओं को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत की गयी सीमाएं कार्य परिषद् के लिए बाध्यकारी होंगी।

(4) वित्त समिति के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय।

(5) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय प्रकृति वाले प्रस्ताव की संस्तुति न की जाय तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की संस्तुति से असहमत हो तो वह असहमति के कारणों सहित प्रस्ताव को वापस वित्त समिति को संदर्भित करेगी और कार्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

25–(1) वित्त समिति की बैठक, आपातकालीन बैठक को छोड़कर, तीन महीने में कम से कम एक बार होगी, और ऐसी बैठक हेतु सदस्यों को अन्यून 15 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। **वित्त समिति की बैठक**

(2) वित्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से उसकी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) वित्त समिति की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

26–इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी बात के होते हुए भी, वित्त समिति की बैठक, धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में यथा उपबंधित वित्त समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति में नहीं होगी। **वित्त समिति की बैठक का प्रतिषेध**

संकाय

27-(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाय।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग सम्मिलित होंगे जो निर्धारित किए जाएं और प्रत्येक विभाग में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जिन्हें अधिनियम द्वारा समनुदेशित किया जाय।

(3) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा चुना जाएगा और तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य न हो तो संकायाध्यक्ष का पद सह आचार्यों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई सह आचार्य न हो तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जाएगा।

(4) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:-

(क) संकाय में सम्मिलित किये गये विभागों के अध्यापन और अनुसंधान कार्य का संगठन और संचालन; तथा

(ख) संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् अनुपालन।

(5) विश्वविद्यालय के अध्यापन के प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद को उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर धारित करता रहेगा जिसे उसने उक्त दिनांक से ठीक पहले धारित किया था।

(6) विभागाध्यक्ष, विभाग में अध्यापन कार्य को संगठित करने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबंधित हों।

(7) अध्ययन के विभिन्न विषयों के संबंध में अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार अध्ययन परिषद का गठन किया जायेगा और अध्ययन परिषद को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

अन्य प्राधिकारी

28- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

अध्याय-छः

अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

29-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन :-

(क) विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और अन्य सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से गठित चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी।

(ख) सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और अन्य सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय के अतिरिक्त) को सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(ग) किसी संस्थान के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की संस्तुति पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

(घ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति किसी चयन समिति की संस्तुति पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उपबंधित की जाएगी।

(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति वही होगी जो आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य की होती है।

(2) सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, किसी संस्थान के निदेशक, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी शैक्षणिक कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें परिनियमों के अनुसार इस धारा की उपधारा (1) के अधीन होंगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए वैयक्तिक पदोन्नति

30–इस अधिनियम के उपबंध के अधीन, धारा (29) की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग को इस तरह से पदोन्नत किया जाएगा और उनकी सेवा अवधि और अर्हताएं वहीं होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

31–(1) परिनियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति, लिखित संविदा के सिवाय नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों से सुसंगत होंगी।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास जमा कराया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, उसके प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व प्रवृत्त समस्त संविदाओं का, इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से असंगत होने की सीमा तक उक्त उपबंधों द्वारा संशोधित किया गया समझा जायेगा।

पेंशन, भविष्य निधि आदि

32–विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्गत किये जायें, ऐसे पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा जिसे वह ऐसी निधि को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त समझे जिससे उन अध्यापकों का या जैसा विषय हो, उनके वारिसों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन सम्बंधी उपबंध) अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बंध में निर्योग्यता, उपहति अथवा मृत्यु उपगत करने की दशा में पेंशन अथवा ग्रेच्युटी प्रदान की जायेगी।

अध्यापकों के लिये अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिक कार्य की सीमाएं

33–(1) विश्वविद्यालय के अथवा सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिये पारिश्रमिक संदाय से सम्बंधित शर्तें वहीं होंगी जो विहित की जायें।

(2) विश्वविद्यालय का अथवा सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी समय, किसी परीक्षा से सम्बद्ध अध्यापन या कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों को करने के लिए एक से अधिक पारिश्रमिक वाले पद को धारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण- शब्द 'पारिश्रमिक' में छात्र-निवास या छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक या प्रॉक्टर, खेल अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन, समाज सेवा योजना और विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई भी पद सम्मिलित होगा।

माध्यस्थम का अधिकरण

34–(1) धारा 31 या धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को माध्यस्थम के अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) अधिकरण का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

(3) माध्यस्थम अधिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(एक) अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करना;

(दो) संबंधित अधिकारी या अध्यापक की बहाली का आदेश देना; तथा

(तीन) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को वेतन, उस आय को कम करने के पश्चात् प्रदान करना, जिसे उस अधिकारी अथवा अध्यापक ने अन्यथा सेवा से अपने निलम्बन, अपसारण, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति के दौरान प्राप्त किया होता।

(4) माध्यस्थम से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थम के लिए लागू नहीं होगी।

(5) ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसका माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो, किसी न्यायालय में कोई वाद अथवा कार्यवाही दाखिल नहीं की जा सकेगी:

परन्तु यह कि उपधारा (2) में माध्यस्थम अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पादित किया जायेगा, मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

अध्याय-सात

सम्बद्धता और मान्यता

महाविद्यालयों की सम्बद्धता और उसकी वापसी

35-(1) कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, किसी महाविद्यालय को जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी:

परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारवान् रूप से शर्तों को पूरा करता है, तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगा अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में किसी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे:

परन्तु अग्रेतर यह भी कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया जाय, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग करने के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति, महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगी और उसके अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी एवं उसका प्राचार्य उसके छात्रों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टयों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा 05 वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।

(6) कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किए गए सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये, आवश्यक लगे।

(7) ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद के किसी निर्देश का पालन करने में विफल हो जाता है या सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात और कुलाधिपति के पूर्व स्वीकृति से, कार्य परिषद द्वारा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति, सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो तो कुलाधिपति प्रबन्ध समिति अथवा कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कमी कर सकेगी।

(9) कोई भी संस्थान, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया हो, अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जो या तो अपील को अनुमति दे सकती हैं या इसे अस्वीकृत कर सकती हैं। राज्य सरकार को उन मामलों में भी महाविद्यालय के आवेदन पर पुनर्विचार करने का अधिकार होगा जहाँ महाविद्यालय द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उसे शिकायतें प्राप्त हों।

महाविद्यालयों की मान्यता और मान्यता वापस लेना

36-(1) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा नामित हों।

(2) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के लिए अध्यापन कार्य में किसी अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहयोग लिया जाना विधिसम्मत होगा।

(3) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिनियमों द्वारा या कार्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाएंगी, किन्तु कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना स्नातकोतर उपाधियों हेतु शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्नातकोतर उपाधि हेतु अनुदेश प्रदान करने की मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत न हो तो ऐसे महाविद्यालय को कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा 35 में, निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा धारा 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी, तत्पश्चात उस महाविद्यालय का परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु मान्यताप्राप्त महाविद्यालय होना बंद हो जायेगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र, महाविद्यालय के मामलों का प्रबंध करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं वह उसके अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का प्राचार्य उसके छात्रों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा तीन वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की मान्यता को कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से कार्य परिषद द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि उसका प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदान किये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि उसकी मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द हो गया है अथवा यह कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अथवा कार्य परिषद द्वारा बताये गये अपने कार्य में किसी दोष को दूर करने में अभी भी व्यतिक्रम कारित कर रहा है।

प्रबंध समिति की सदस्यता के लिए निरर्हता

37–कोई व्यक्ति किसी सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के लिए निरर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार इसके लिए कोई पारिश्रमिक उस महाविद्यालय के किसी कार्य के लिए या उस महाविद्यालय के लिए किसी पारिश्रमिक को अथवा उस महाविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी संविदा को स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात, उस रूप में अध्यापक द्वारा किसी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए अथवा उस महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के सम्बंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए अथवा उस महाविद्यालय के प्रशिक्षण इकाई के अथवा छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डेन के रूप में या प्राक्टर अथवा ट्यूटर के रूप में किन्ही कर्तव्यों के लिए अथवा उस महाविद्यालय के सम्बंध में किसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के सम्बंध में किसी पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है।

स्पष्टीकरण- पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा जो धारा 19 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि

38–(1) राज्य सरकार को किसी सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, जिसमें, प्रयोगशालाएं तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये अध्यापन एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करे, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बंध में किसी मामले के सम्बंध में जांच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निर्णय लेती है, तो वह उसके प्रबंध समिति को और प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि को सूचित करेगी और जहां प्रबंध समिति किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने में विफल होती है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित हो सकेगा और उसे प्रबन्ध समिति की ओर से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु कोई विधि व्यवसायी उस निरीक्षण या जांच में महाविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने के और साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद के विषय में विचार करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और उसका दण्ड प्रक्रिया, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 480 और 482 अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा और उसके अथवा उनके समक्ष भारतीय दंड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1880) की धारा 193 और 225 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही का होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार प्रबंध समिति को उस निरीक्षण या जांच के परिणाम को संसूचित कर सकेगी और वह कार्यवाही किये जाने के बारे में निदेश जारी कर सकेगी एवं प्रबन्ध समिति उन निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगी।

(5) राज्य सरकार कुलपति को उपधारा (4) के अधीन प्रबंध समिति को उसके द्वारा दी गयी किसी संसूचना के बारे में सूचित करेगी।

(6) राज्य सरकार किसी समय उस निरीक्षण या जांच के संबंध में सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से कोई सूचना मांग सकेगी।

39-(1) संघटक महाविद्यालय ऐसे महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बनाया जायेगा। संघटक महाविद्यालय

(2) संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका महाविद्यालय के लिपिक वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

40-(1) स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को, जो उस निमित्त निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, निर्धारित रीति से उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है। स्वायत्तशासी महाविद्यालय

(2) ऐसी सीमा, जहां तक उस महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाये और ऐसी रीति जिससे परीक्षा आयोजित की जाये, का अवधारण प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

(3) ऐसे महाविद्यालय को निर्धारित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में घोषित किया जायेगा।

41- विश्वविद्यालय किसी विषय में अध्ययन और अनुसंधान आयोजित तथा संचालित करने के लिए एक या एक से अधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा। संस्थान

42-सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध कोई व्यक्ति, प्राचार्य, अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेश में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क के सिवाय, किसी छात्र या उसकी ओर से (उस महाविद्यालय में उसे प्रवेश प्रदान करने अथवा उस प्रवेश के पश्चात उसमें बने रहने की शर्त के रूप में) नकद या वस्तु के रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या अन्य किसी प्रकार का संदाय नहीं लेगा, न प्राप्त करेगा। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी दान आदि को लेने पर प्रतिबन्ध

43-जहां सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा नकद या वस्तु के रूप में कोई अंशदान अथवा दान लिया जाता है वहां इस प्रकार प्राप्त किये गये दान का प्रयोग केवल उस प्रयोजन के उपयोग में लाया जायेगा जिसके लिए उसे दिया गया था। महाविद्यालयों को योगदान और दान

44-(1) विश्वविद्यालय के छात्र निवास और छात्रावास वही होंगे- विश्वविद्यालय के छात्र निवास, छात्रावास और डेलीगेसी

(क) जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित और परिनियमों में नामित हो;

(ख) जिन्हें कार्य परिषद द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से उपबंधित सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर मान्यता प्रदान की गयी हो।

(2) छात्र निवासों और छात्रावासों के वार्डेन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(3) किसी संघटक महाविद्यालय द्वारा छात्र निवास की देखरेख में उसके अधीन निवास न करने वाले छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सम्बंध में प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करने के लिए डेलीगेसी होगी, उस डेलीगेसी का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अध्याय-आठ

परिनियम, अध्यादेश, विनियम और वार्षिक रिपोर्ट

45-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, परिनियम में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशेष रूप से निम्न के लिए उपबन्ध किया जायेगा:- परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य:

(ख) प्रथम सदस्यों के पद में बने रहने, उनकी सदस्यता में रिक्तियों को भरने और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य मामलों, जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो, सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों के पद के चयन, नियुक्ति तथा कार्यकाल;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के और सम्बद्धता तथा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम योग्यता और अनुभव सहित) उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट को अनुरक्षित करना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों और उनके परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती (न्यूनतम योग्यता और अनुभव सहित);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और उनके परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित); बीमा-योजना का स्थापित किया जाना;

(छ) उपाधियों और डिप्लोमा का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियाँ प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशेषताओं को वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, विलय, उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों के अध्यापन के विभागों की स्थापना करना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता प्रदान करने के विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकेंगे और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लिया जा सकेगा।

(ढ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता;

(ण) महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक न हो) की सेवानिवृतिक आयु और अनिवार्य सेवानिवृति से संबंधित उपबंधों सहित संख्या, न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव, परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(थ) स्नातकों की अर्हताएं, शर्तें एवं पंजीयन की रीति और पंजीकृत स्नातकों की पंजी का अनुरक्षण;

(द) दीक्षांत समारोह, यदि कोई हो, का आयोजन; तथा

(ध) अन्य सभी मामले, जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने चाहिए या उपबन्धित किये जा सकेंगे।

परिनियम बनाये जाने की रीतियां

46-(1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाया जाएगा।

(2) कार्य परिषद समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या कुलपति की अनुमति से समय-समय पर संशोधन या निरसन कर सकती है।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के किसी प्रारूप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेगी जब तक कि उस प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई कोई राय लिखित रूप में होगी और कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उसे अपनी अनुमति से रोक सकेगा या आगे विचार के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) परिषद द्वारा पारित परिनियम उस तारीख से प्रभावी होगा जब उस पर कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी गयी हो या ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से प्रभावी होगा, जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अपने ज्ञान, अध्यापन अथवा अनुसंधान के हित में अथवा अध्यापकों, छात्रों अथवा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, लिये गये अथवा नियामक निकाय के किसी सुझाव या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बंध में राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लिये गये किसी विनिश्चय को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित/निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद उक्त शर्त का पालन करने में विफल होती है तो राज्य सरकार कुलाधिपति की सहमति से, नये परिनियमों को बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधियों में संशोधन या निरसन कर सकेगी।

(7) कार्यकारी परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित करने या निरस्त करने या उक्त परिनियमों से असंगत नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

अध्यादेश

47-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन, अध्यादेश में किसी ऐसे मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा जिसे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश द्वारा उपबंध किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश में निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और उनका नामांकन इस रूप में बना रहना;

(ख) सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशेषताओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट किया जाना;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमा में प्रवेश लिया जायेगा और वे उन उपाधियों तथा डिप्लोमा के प्रदान किये जाने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, विशेष छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ङ.) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्र निवासों एवं छात्रावासों का प्रबन्धन;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले छात्र निवासों और छात्रावासों की मान्यता एवं प्रबन्धन;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा वैयक्तिक विद्यार्थियों से सम्बंधित सभी मामले;

(झ) पेरन्ट्स टीचर्स एसोसिएशन का गठन;

(ञ) शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ लिया जा सकेगा;

(ट) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवासों एवं छात्रावासों में शिक्षण प्रदान करने के लिए अर्ह मानकर मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ठ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसेवकों, अन्तरीक्षकों तथा सारिणीकारकों को नियुक्त करने की शर्तें, रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालयों के कार्यों के लिए नियोजित व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले यात्रा, पारिश्रमिक तथा दैनिक भत्ते सहित अन्य भत्ते;

(ण) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने में, अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

अध्यादेश बनाने की रीति

48-(1) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा. उसके बाद कुलाधिपति की सहमति से कार्य परिषद द्वारा बनाया जायेगा।

(2) विद्यमान विश्वविद्यालय के मामले में जब तक कि प्रथम अध्यादेश नहीं बनाया जाता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यादेश जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों तथा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अधीन जिनका राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उपबन्ध कर सकेगी, उसके लिए लागू होंगे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी अध्यादेश के उपबंधों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अनुरूप लाने के प्रयोजनार्थ, कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेशों के ऐसे अनुकूलन एवं उपांतरण को चाहे वे निरसन, संशोधन या जैसा आवश्यक या समीचीन हो, परिवर्धन के रूप में कर सकेगा कि अध्यादेश आदेश में विनिर्दिष्ट हो जाने की तारीख से इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे और ऐसे किसी अनुकूलन अथवा उपांतरण को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

(3) इस खंड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्य परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त अध्यादेशों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को संशोधित या निरस्त कर सकेगी:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जाएगा, जो-

(क) छात्रों के प्रवेश को प्रभावित करता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मानकर प्रदान की जाने वाली परीक्षाओं को अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु धारा 45 की उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करता है जब तक कि शैक्षिक परिषद द्वारा उसके प्रारूप को प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तों और पद्धति तथा परीक्षाओं के संचालन या मानक या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, सम्बंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के सिवाय, प्रभावित करता हो और जब तक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय के आय या व्यय को प्रभावित करता हो, जब तक कि उसके प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(4) कार्य परिषद को उपधारा (3) के अधीन शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे किसी संशोधन के साथ जिसे कार्य परिषद सुझाव दे या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनर्विचार किये जाने के लिए विद्या परिषद को लौटा सकेगी।

(5) कार्य परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिस दिनांक को वह निर्देशित करे और उसे यथासंभव शीघ्र कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य अध्यादेशों के सम्बंध में अपनी अस्वीकृति संज्ञापित कर सकेंगे और उस अस्वीकृति की सूचना कार्यपरिषद द्वारा प्राप्त किये जाने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायेगा।

(7) कुलाधिपति यह निर्देशित कर सकते हैं कि उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य किसी अध्यादेश का प्रवर्तन निलंबित कर सकते हैं जब तक कि उन्हें अस्वीकृति हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। इस उपधारा के अधीन निलंबन का आदेश उक्त आदेश के दिनांक से एक माह के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

विनियम

49-(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय का प्राधिकरण या अन्य निकाय विनियमों की रचना कर सकेगा, जिनमें :-

(क) बैठक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति का गठन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट किया जाये;

(ख) ऐसे सभी मामलों के लिए उपबन्ध करना जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किया जाना चाहिए; तथा

(ग) उस प्राधिकरण या निकाय के सम्बंध में या किसी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाए गए विनियमों में बैठकों की तिथियों और उनमें संव्यवहार किये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में उसके सदस्यों को नोटिस देने के लिए और उन बैठकों में कार्यवाही के अभिलेखों को रखने के लिए उपबंध किये जा सकेंगे।

(3) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय को यह निर्देशित कर सकेगी कि वह उस प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निर्देश में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये उस रूप में रद्द कर सकेगी या संशोधित कर सकेगी :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निर्देश से असंतुष्ट हो तो कुलाधिपति से अपील कर सकेगा जो कार्यपरिषद् का मत प्राप्त करने के बाद ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) विद्या परिषद अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि अथवा डिप्लोमा के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए उपबन्ध करते हुए, विनियमों की विरचना संबंधित संकाय के परिषद के प्रारूप को प्रस्तावित करने के पश्चात् ही कर सकेगी।

(5) विद्या परिषद् को उपधारा (4) के अधीन संकाय के परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अपने निजी सुझावों के साथ अग्रेतर विचार करने के लिए परिषद को लौटा सकेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

50-प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु कार्यपरिषद के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय-नौ

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

विश्वविद्यालय निधि, लेखा और लेखा परीक्षा

51-(1) विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय निधि में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:-

(क) राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई अंशदान या अनुदान

(ख) फीस और शुल्क से आय सहित सभी स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(ग) ऋण, उपहार, दान, बंदोबस्ती, उपकार, वसीयत और अन्य अनुदान, यदि कोई हो, या अंतरण;

(घ) राज्य सरकार की अनुमति से बैंकों से ऋण ली गई कोई राशि;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(3) विश्वविद्यालय निधि को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में वित्त समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद के विवेक पर रखा जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय की निधियों को विश्वविद्यालय के व्ययों, जिसमें उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय शामिल हैं, को निर्देशानुसार सम्मिलित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र को कार्यपरिषद के निर्देशानुसार वित समिति द्वारा तैयार किया जायेगा और चाहे जिस भी स्रोत से विश्वविद्यालय को अर्जित होने वाले अथवा प्राप्त सभी धन एवं संचरित अथवा संदत्त सभी धनराशियों की प्राविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित खातों में की जायेगी।

(6) वार्षिक खातों और तुलन-पत्र की प्रति, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो उसका अंकेक्षण करायेगी।

(7) वार्षिक सम्परीक्षित खातों एवं अंकेक्षण किये गये तुलन-पत्र को मुद्रित किया जाएगा और उसकी प्रतियां, कार्य परिषद द्वारा अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(8) कार्यपरिषद ऐसी तारीख के पूर्व जिसे विहित किया जाए, आने वाले वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी।

(9) उपरोक्त नये व्यय के प्रत्येक मद जिसे चिन्हित किया जाय, जिसका बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्यपरिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उस पर संस्तुतियां कर सकती है।

(10) कार्यपरिषद वित्त समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात बजट का अंतिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(11) कुलपति या कार्यपरिषद के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिसम्मत नहीं होगा:-

(क) जो या तो बजट में स्वीकृत न हो अथवा जो विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियों की दशा में, बजट की स्वीकृति के पश्चात, राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फाउंडेशन द्वारा, उस अनुदान के निबंधनों के सिवाय अन्य किसी प्रकार से प्रदान की जाने वाली निधियों की दशा में :

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति अग्नि, बाढ़, अतिवृष्टि या अन्य अचानक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और परिस्थितियों में, पांच लाख रुपये से अनाधिक अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा, जिसकी बजट में स्वीकृति प्रदान न की गयी हो और वह उन सभी व्ययों के सम्बंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) कुलाधिपति के अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी आदेश के, जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, के विरोध में किसी वादकरण पर।

(12) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय पुस्तिका में वर्णित राज्य सरकार के सभी प्रासंगिक वित्तीय नियम लागू होंगे।

52-(1) धारा 9 के खंड (ग) से (ज) में से निर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार हेतु उत्तरदायी होगा, बशर्ते वह हानि दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन, उसकी अपेक्षा या कदाचार का सीधा परिणाम हो। **अधिभार**

(2) ऐसी हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन में अन्तर्वलित अधिभार की प्रक्रिया और धनराशि की वसूली की रीति वह होगी जिसे विहित किया जाए।

अध्याय-दस

सम्बद्ध महाविद्यालयों का विनियमन

53-(1) सम्बद्ध महाविद्यालय का विनियमन परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा। **सम्बद्ध महाविद्यालयों का विनियमन**

(2) किसी सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बंध में 'संपत्ति' में महाविद्यालय की सम्पत्ति सम्मिलित है जिसमें स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति सम्मिलित है, जो उस महाविद्यालय से सम्बंधित हो या उस महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित हो और जिसमें भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, स्टेशनरी, भण्डारण, जिसमें ऑटोमोबाइल और अन्य वाहन यदि कोई हो, और महाविद्यालय से संबंधित अन्य चीजें, हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, पुस्तकीय ऋण और अन्य सभी अधिकार एवं हित से उत्पन्न होते हैं, उस महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो सकते हैं और सभी लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा उनसे सम्बंधित किसी प्रकृति के सभी दस्तावेज सम्मिलित हैं, और उनका महाविद्यालय के किसी प्रकार के सभी विद्यमान उधारियों, दायित्वों एवं बाध्यताओं का सम्मिलित किया जाना समझा जाएगा;

(3) 'वेतन' का तात्पर्य परिलब्धियों से है जिनके अनुज्ञेय कटौतियों के पश्चात किसी अध्यापकअथवाअन्य कर्मचारी को संदेय तत्समय महंगाई या अन्य कोई भत्ता सम्मिलित है।

54-यदि राज्य सरकार किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के संबंध में सूचना प्राप्त करती है:- **नोटिस जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति**

(एक) कि उसके प्रबंधतंत्र ने उस महाविद्यालय के शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन के संदाय में उस माह के पश्चात जिसके सम्बंध में या जिसके किसी भाग के सम्बंध में वह संदेय है, अगले माह के 20वें दिन तक संदाय करने में लगातार जानबूझकर व्यतिक्रम कारित किया है; अथवा

(दो) कि उसका प्रबंधतंत्र ऐसी अर्हताओं को धारित करते हुए अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति करने में विफल रहा है जो महाविद्यालय के संबंध में शैक्षणिक मानकों को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है अथवा उसे सेवा में प्रतिधारित किया है; अथवा

(तीन) कि उसके प्रबन्ध तंत्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी होने के लिए भिन्न व्यक्तियों द्वारा दावाकृत अधिकार के संबंध में किसी विवाद में महाविद्यालय के निर्बाध और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है; अथवा

(चार) कि उसका प्रबंधतंत्र महाविद्यालय को इतनी पर्याप्त और समुचित जगह, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार विफल रहा है, जो महाविद्यालय के कुशल प्रशासन हेतु आवश्यक है; अथवा

(पांच) कि उसके प्रबंधतंत्र ने महाविद्यालय का अहित करने के लिए महाविद्यालय की संपत्ति को पर्याप्त रूप से व्यपवर्तन, दुरुपयोग, दुर्विनियोग किया है;

वह प्रबंधतंत्र को इस विषयक कारण बताने के लिए आहूत कर सकेगा कि क्यों न धारा 55 के अधीन आदेश किया जाये:

परन्तु यह कि जहां इस विषय पर विवाद हो कि प्रबंधतंत्र के पदाधिकारी कौन है, तो ऐसा होने का दावा करते हुए सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी की जायेगी।

प्राधिकृत नियंत्रक

55-(1) यदि राज्य सरकार का, धारा 54 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का और प्रबंधतंत्र को पृथक कर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबंधतंत्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र एवं उसकी संपति के संबंध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबंधतंत्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी सम्पत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता :

परन्तु यदि राज्य सरकार की राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबंधन और उसकी सम्पत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विर्निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारंभिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को सम्मिलित किया गया है, 05 वर्ष से अधिक नहीं होगीः

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि 05 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबंधतंत्र न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबंधतंत्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया हैः

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार किसी भी समय इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार की धारा 54 के अधीन नोटिस जारी करते समय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह प्रबंधनतंत्र को निलंबित कर सकेगी, जो उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगी एवं वह ऐसे प्रबंध कर सकेगी जिसे वह महाविद्यालय के कार्यकलाप और उसकी सम्पत्ति का, अग्रेतर कार्यवाईयों के पूर्ण होने तक प्रबंध करने हेतु उचित समझेः

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश उस आदेश के अग्रसर करने के प्रबंधतंत्र के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रवृत नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि 06 माह की उक्त अवधि की संगणना में, वह समय जिसके दौरान आदेश के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश द्वारा निलंबित किया गया था अथवा कोई भी अवधि जिसके दौरान प्रबंधतंत्र धारा 54 के अधीन नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में असफल हुआ था, अपवर्जित की जायेगी।

(3) उपधारा (1) में कही गयी किसी भी बात का प्राधिकृत नियंत्रक पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के महाविद्यालय के किसी अनुदान को प्राप्त करने की शर्त के सिवाय महाविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबंधतंत्र के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने अथवा उस पर किसी प्रभार का सृजन करने के सिवाय) की शक्ति को प्रदान करने के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश का महाविद्यालय के अथवा उसकी संपत्ति के प्रबंध और नियंत्रण से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य अधिनियमिति में अथवा किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगाः

परन्तु यह कि महाविद्यालय की संपत्ति और उससे प्राप्त कोई भी आय ऐसे किसी लिखत में यथा उपबंधित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।

(5) निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय अथवा उसकी संपत्ति के समुचित प्रबंध हेतु आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रक उन निर्देशों का पालन करेगा।

धारा 55 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा

56–धारा 55 में कही गयी कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी।

प्राधिकृत नियंत्रक को कब्जे का परिदान करने का कर्तव्य

57–(1) जहां किसी महाविद्यालय के संबंध में धारा 55 के अधीन आदेश पारित किया गया हो। वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कब्जा या अभिरक्षा या जिसके नियंत्रण में महाविद्यालय की कोई भी संपति हो सकेगी, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त सम्पति तत्काल सौंप देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय से अथवा उसकी संपत्ति से संबंधित किन्हीं पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का कब्जा रखता है या उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है, तो उक्त पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के हिसाब किताब के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसे या ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उन्हें प्रदान करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक महाविद्यालय या उसकी संपत्ति या उसके किसी भाग के कब्जा पर नियंत्रण के परिदान के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर उस महाविद्यालय या संपत्ति के कब्जे को प्राधिकृत नियंत्रक के लिए सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगा अथवा विशेष रूप से ऐसे शक्ति का प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करा सकेगा जो आवश्यक हो।

अपराध और शास्तियां

58–(1) जो कोई धारा 42 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष हो जाने पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो :-

(क) किसी ऐसे महाविद्यालय की किसी संपत्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए, जिसके संबंध में धारा 55 के अधीन आदेश दिया गया हो, सदोष उस सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सदोष प्रतिधारित करता है; अथवा

(ख) उस महाविद्यालय की किसी संपत्ति का सदोष कब्जा प्राप्त करता है; अथवा

(ग) कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, प्रतिधारित करता है अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या धारा 57 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान करने में विफल हो जाता है; या

(घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है;

सिद्ध दोष किये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या अर्थदण्ड से या दोनों से दंडित किया जाएगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी अपराध के विषय में विचार करते हुए न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के, सिद्ध दोष करने के समय न्यायालय द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर सदोष प्रतिधारित या सदोष प्राप्त कोई भी सम्पत्ति अथवा सदोष प्रतिधारित कोई भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज परिदत्त या प्रतिदाय करने के लिए आदेशित कर सकेगा।

न्यायालय द्वारा संज्ञान

59–कोई न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना धारा 58 के अधीन दंडनीय अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा।

पंजीकृत समितियों द्वारा अपराध

60–(1) यदि धारा 58 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, तो वह सोसाइटी और साथ ही अपराध कारित किये जाने के समय उसके कार्य के संचालन हेतु सोसाइटी प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उक्त अपराध कारित करने का निवारण करने के लिए सम्यक् प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा कारित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह उस अपराध को सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या दुरभिसंधि से कारित किया गया है अथवा यह कि अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य के पक्ष में किसी अपेक्षा के कारण है तो उस सदस्य को भी उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तद्नुसार जिम्मेदार सोसाइटी के किसी सदस्य की ओर से किसी उपेक्षा के लिए, ऐसे सदस्य को भी उस अपराध का दोषी होना समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय-ग्यारह

आकस्मिक रिक्तियां, राज्य सरकार द्वारा निर्देश और कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना

61–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों में किसी आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रीति से भरा जायेगा जिसमें सदस्य, जिनकी रिक्ति को भरा जाना है, चुना गया था और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उस व्यक्ति, जिसके स्थान को उसने भरा है, सदस्य रहा होता।

(2) व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का हो, या बाहर का, उस प्राधिकरण में अपना पद तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहता है।

कार्यवाहियों को रिक्तियों आदि द्वारा अविधिमान्य नहीं बनाया जायेगा

62– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी-

(क) उसके गठन में कोई रिक्ति या दोष हो, या

(ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति, जो सेवा करने का हकदार नहीं था, या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष हो, या

(घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना

63–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी व्यक्ति की सदस्यता इस आधार पर स्वतः समाप्त हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या इस आधार पर कि वह निंदनीय आचरण का दोषी है या उसने विश्वविद्यालय के किसी सदस्य के साथ अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया है और उसी आधार पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई किसी डिग्री या प्रमाण-पत्र को वापस ले सकता है।

विश्वविद्यालय के अभिलेख के प्रमाण का तरीका

64–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश या कार्यवाही या संकल्प की एक प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जाधीन अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाए गए किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हों, ऐसी रसीद, आवेदन, आदेश कार्यवाहियों, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि के साक्ष्य को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जायेगा और उसमें दर्ज मामलों को लेन-देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जहां उसका मूल यदि पेश किया गया होता तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी कार्यवाही, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है, में विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जिसकी विषय-वस्तु उपधारा (1) के अधीन साबित की जा सकती है। किन्तु प्रमाणित प्रति या उसमें दर्ज मामलों और लेन-देन को साबित करने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि विशेष कारण के लिए न्यायालय का आदेश नहीं होता है।

प्रबन्धन के विरुद्ध अपना आदेश प्रवर्तित करने के लिए कुलपति की शक्ति

65–(1) जहां किसी सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, पदावनत करने या अन्य तरीके से उसे दण्डित करने या उसकी सेवाएं समाप्त करने का विनिश्चय कुलपति द्वारा अनुमोदित न हो और जहां ऐसे अध्यापक के निलंबन के आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुलपति द्वारा रोक दिया गया हो, रद्द कर दिया गया हो या संशोधित किया गया हो, ऐसे अध्यापक के वेतन का भुगतान करने में प्रबंधतंत्र ने चूक किया है, जो कुलपति के आदेशं के फलस्वरूप उसके लिए देय हो, वहाँ कुलपति एक ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसमें प्रबंधतंत्र को वेतन का भुगतान करने के लिए आदेश दे सकता है, जैसा कि निलंबन अवधि के दौरान आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो और प्रबंधतंत्र से निलंबन अवधि के दौरान संदेय वेतन के एक तिहाई से निलम्बन भत्ता का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है, यदि उक्त धनराशि संदत्त न की गयी हो।

(2) ऐसे किसी मामले में जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट है कुलपति संबंधित अध्यापक की बहाली का आदेश ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कुलपति के आदेश के अधीन भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक वेतन या निलंबन भत्ता की राशि उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारिकता वाले अवर सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य होगा जैसा कि उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) किसी भी प्रबंधतंत्र या अध्यापक के विरुद्ध किसी भी तरीके से कोई मुकदमा नहीं होगा जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा राहत दी जा सकती है।

वाद पर रोक

66–अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली, परिनियमावली या विनियमावली के अनुसरण में कृत या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या संस्कृति निदेशक या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

67–(1) राज्य सरकार को समय-समय पर विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जैसा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित मामलों के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है, अर्थात् :–

(क) शुल्क और शुल्क;

(ख) धन जुटाना और धन उधार लेना;

(ग) पदसृजन और नियुक्तियाँ;

(घ) वेतनमानों में संशोधन और वेतनमानों का उन्न्यन ।

कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

68–यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है, या वह विश्वविद्यालय के किसी या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है, या क्या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई निर्णय परिनियम या विनियम की विधि मान्यता से संबंधित कोई प्रश्न शामिल है, जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित कोई परिनियम या अध्यादेश न हो, इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों के अनुरूप है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश नहीं दिया जायेगा।

(क) उस तारीख के तीन महीने से अधिक समय के बाद जब पहली बार प्रश्न उठाया जा सकता था;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में-

(क) पूर्ववर्ती परंतुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद स्वप्रेरणा से कार्य करे या किसी संदर्भ पर विचार करे;

(ख) जहां निर्दिष्ट तरीके से चुनाव के बारे में विवाद हो, और इस प्रकार चुने गए व्यक्ति की योग्यता संदेह में है, ऐसे आदेश पारित करे जो वह उचित और समीचीन समझे।

अध्याय-बारह

नामांकन डिग्री, डिप्लोमा और अन्य

नामांकन हेतु छात्रों की अर्हता

69–(1) कोई छात्र डिग्री के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि-

(क) वह उत्तीर्ण न हो-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा, जो तत्समय किसी भी विधि द्वारा वर्तमान में लागू हो; या

(दो) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा या उसके द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री, जो विश्वविद्यालय द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष या विश्वविद्यालय की डिग्री के रूप में मान्यताप्राप्त परीक्षा या डिग्री हो; तथा

(ख) उसके पास ऐसी और योग्यताएं, अर्हताएं, यदि कोई हों, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) जिन शर्तों के अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है, वे विनियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी डिग्री के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए), अपनी स्वयं की डिग्री के समकक्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी डिग्री या इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा और भारतीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को मान्यता देने की शक्ति होगी।

(4) कोई भी छात्र जिसका कार्य या आचरण असंतोषजनक है, उसे अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से हटाया जा सकता है।

उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता

70–कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश पर ऐसी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जाय।

मानद उपाधि

71–यदि, विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद के कम से कम दो तिहाई सदस्यों ने सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान किया जाए कि वह उनकी राय में प्रतिष्ठित पद और उपलब्धियों के कारण उपयुक्त और उत्तम व्यक्ति है जो ऐसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु कुलाधिपति द्वारा सिफारिश की पुष्टि की गयी हो, कार्य परिषद् ऐसे व्यक्ति को उससे किसी परीक्षा से गुजरने की अपेक्षा के बिना मानद डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान कर सकती है, जिसकी सिफारिश की गई है।

डिग्री या डिप्लोमा का प्रत्याहरण किया जाना

72–(1) कुलाधिपति कार्य परिषद की सिफारिश पर, नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दिए गए किसी सम्मान, डिग्री, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकता है या यदि वह कार्य परिषद की कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले कार्य परिषद के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा घोर कदाचार का दोषी रहा है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद् द्वारा इस प्रकार पारित संकल्प तत्काल लागू होगा और उसकी प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

अध्याय-तेरह

अस्थायी उपबंध

विश्वविद्यालय के विद्यमान अधिकारियों की निरंतरता

73–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व की तारीख को विद्यमान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक उसी नियम और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद या यथाशक्य शीघ्र एक महीने की अवधि के भीतर, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

प्राधिकरणों के गठन के लिए संक्रमणीय उपबंध

74–(1) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र इस अधिनियम के अनुसार गठित किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व ऐसे प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य या निर्वहन करने योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग और निस्तारण किसके द्वारा और किस तरीके से किया जा सकता है।

(3) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति इस अधिनियम के पारित होने के बाद यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति को सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा, शिक्षा (कला संगीत और संस्कृति), प्रशासन, निर्माण, कम्प्यूटर के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले और विधि (जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति) और वित्त तथा विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक अन्य संबंधित क्षेत्रों के व्यक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) प्रथम कुलपति का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:-

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था, उसकी नियुक्ति के दिनांक के पश्चात् छः महीने के भीतर करना;

(ख) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से प्रथम परिनियमावली, अध्यादेश या विनियमावली द्वारा उपबंधित न किये गये किसी मामले का उपबंध करना;

(ग) औपबंधिक प्राधिकरणों तथा निकायों का गठन करना और उनकी संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन का उपबंध करते हुए नियमावली बनाना;

(घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और नियंत्रण से ऐसी वितीय व्यवस्था करना जैसा कि इस अधिनियम या उसके किसी भाग के उत्तम क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो;

(ङ) अपने ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा वह निर्देश दे कोई समितियां नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे; और

(च) सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या तद्धीन कार्य परिषद को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करना।

(6) सलाहकार समिति का कार्यकाल इस धारा की उपधारा (4) और (5) में यथा प्रदत्त प्रथम कुलपति का कर्तव्य और उसकी शक्तियां उसके कार्यकाल के लिए सह-विस्तारी होंगी।

अध्याय-चौदह

अनुपूरक उपबंध

कठिनाइयां दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति

75–यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

76-(1) विश्वविद्यालय, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ऐसी समितियों का गठन कर सकता है, जो इसके लिए अपेक्षित हो। **समितियाँ**

(2) ऐसी समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

77-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन कुलपति शिकायत से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए इस रीति से एक आंतरिक समिति का गठन कर सकता है और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सकारण आदेश पारित कर सकता है। **शिकायत निवारण तंत्र**

78-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, जब तक विश्वविद्यालय के कृत्यों के लिए परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली नहीं बनाए जाते हैं तब तक अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवर्ग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, पदोन्नति, वित्तीय लेनदेन या किसी अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय से संबंधित हों, के संबंध में सरकारी नियमावली लागू होगी। **प्रकीर्ण**

(2) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन एवं अध्यापनेतर पद का सृजन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

79-(1) संस्कृति अनुभाग का शासनादेश संख्या- 274/चार-201-11(12)/83, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 और भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2022) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। **निरसन और व्यावृति**

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्वोक्त शासनादेश के अधीन कृत समस्त नियुक्तियां, जारी आदेश, प्रदान की गयी उपाधि या डिप्लोमा या जारी किए गए प्रमाण-पत्र, दिये गये विशेषाधिकार या कृत अन्य चीजें (स्नातकों के पंजीकरण सहित) इस अधिनियम के समान उपबंधों के अधीन क्रमशः किये गये, जारी किये गये, प्रदत्त, दिये गये या किये गये समझे जायेंगे और इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक प्रवृत्त रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन कृत किसी आदेश द्वारा उन्हें अधिक्रान्त नहीं किया जाता है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कृत चयन समिति की समस्त कार्यवाहियां, प्रबंधतंत्र की समस्त कार्यवाहियां या ऐसी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कृत कार्यवाहियां, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उसके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश पारित न किया गया हो, इस बात के होते हुए कि चयन प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा संशोधित कर दी गयी है, विधिमान्य समझे जायेंगे, किन्तु ऐसे लम्बित चयनों के संबंध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी और प्रक्रम से जारी रहेगी जिस प्रक्रम पर वे उक्त प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थीं।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-79 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। मान्यवर, मैं इस विधेयक पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें संशोधन भी है, पहले संशोधन रखने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप रखिए न, आप रख ही नहीं रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो

अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, हमने कई बार इस सदन में निजी विश्वविद्यालय विधेयक को लाने का काम किया है, कई बार उस पर चर्चा भी हुई है और बार-बार कोई न कोई कमी रह जाती है जिसके कारण विधेयक को उसी रूप में ले आ रहे हैं। इसलिए इसका विस्तार से अध्ययन हो, लोग देखें, एक-एक बिन्दु पर बहस करके उसको रखा जाये, तो हमें बार-बार लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दबाजी में इस विधेयक को पास करके, जैसा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों का एक मॉडल विश्वविद्यालय ऐक्ट ला रहे हैं जिससे कि हमें किसी के सामने अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों का ऐक्ट न लाना पड़े। ठीक है मगर उस नीयत से एक मॉडल ऐक्ट आना चाहिए जिससे उस सीमा को जो पूरा करता हो, उसे मान्यता मिल जाये। इसलिए मैं इसका तो समर्थन करता हूँ, लेकिन उसमें जो शर्तें रखी जायें, जो सूची बनाई जाये। उसके लिए एक सूची बनायी जाये कि कितने एकड़ जमीन होनी चाहिए, ये-ये सुविधायें होनी चाहिए। इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अगर यह प्रवर समिति के पास जायेगा, माननीय मंत्री जी उसके अध्यक्ष होंगे, सदन की तमाम पार्टियों के मेम्बर उसके सदस्य होंगे और उस समिति में बैठकर जब चर्चा होगी, उसके एक-एक खण्ड को जब पढ़ेंगे, जानेंगे और उसके बाद सबके सुझाव को सम्मिलित करके एक मॉडल ऐक्ट बनेगा तो ज्यादा सार्थक साबित होगा। ऐसा मेरा मानना है, इसलिए इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और माननीय मंत्री जी को स्वयं यह प्रस्ताव करना चाहिए कि इसको प्रवर समिति के सामने ले जाया जाय। धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, इस विधेयक को बहुत सोच-समझकर एवं विचार-विमर्श करके लाया गया है। इससे पूर्व कोई विधेयक ही नहीं था जोकि निजी विश्वविद्यालय को आच्छादित करता। वर्ष 2019 में एक विधेयक आया और उसके अन्दर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया। इस अधिनियम की धारा-4 में नये विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने, धारा-5 में प्रस्ताव का मूल्यांकन किये जाने और धारा-6 में आशय-पत्र निर्गत किये जाने विषयक प्रावधान विहित किये गये हैं। प्रयोजक संस्थान द्वारा आशय-पत्र की शर्तों का अनुपालन कर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर ही राज्य सरकार सन्तुष्ट होने की स्थिति में धारा-7 के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम की अनुसूची नये विश्वविद्यालयों के नाम सम्मिलित कर उसका संचालन करने की अनुमति देती है। आज उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निजी विश्वविद्यालय खुलें, शिक्षा का स्तर बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, प्रतिस्पर्धा हो इसलिए इस विधेयक को सदन के अन्दर प्रस्तुत करता हूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, ये जो विधेयक लाया जा रहा है, इसके पहले इस विधान सभा से बहुत सारे विधेयक लाकर यूनिवर्सिटीज बनाई गयीं, उस समय भी उसमें कई बार कमियों की तरफ इशारा किया जाता रहा है और यह कहा जाता था कि विधेयक में संशोधन किया जाये, लेकिन आप इसमें स्पष्ट कुछ बता ही नहीं रहे हैं, आप एक रामकृष्ण एण्ड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा एक विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं और उसे एक मॉडल मान कर, जो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, उन्हें उसी के मॉडल पर लाना चाहते हैं। क्या आप यह बताएंगे कि जो पुरानी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, उनमें इस मॉडल से कोई संशोधन होगा या नहीं होगा ? अगर करना ही है तो वे जो पहले से विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनका क्या होगा ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, उस समय जो विश्वविद्यालय बने वे उस समय के ऐक्ट के अनुसार बने। इसलिए वे उनके लिए बाध्य नहीं हैं कि उनको पूरा करें।

लेकिन जो आपने स्पेसिफिक आई0आई0एल0एम0 का नाम लिया है वह नये संशोधन के फ्रेम वर्क में बनाया गया है और एक आदर्श रूप में स्थापित किया गया है। आगे आने वाले जो विश्वविद्यालय होंगे वे इसी फ्रेम वर्क में होंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 29 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 29 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
30	आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	राम कृष्ण एण्ड संस चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, आई0 आई0 एल0 एम0 विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मैं मद संख्या-59 को आगे बढ़ा देता हूं, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर चर्चा स्थगित हुईं :-

क्रम-सं0	सदस्य का नाम	संकल्प
1	श्री राम निवास वर्मा	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बहराइच के वि0क्षे0 नानपारा के अन्तर्गत बन्द पड़े पी0पी0सी0 महिला चिकित्सालय के स्थान पर एक नया 100 बेड का चिकित्सालय बनाया जाय।''

क्रम-सं0	सदस्य का नाम	संकल्प
2	श्री राजेन्द्र कुमार	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र-248 प्रतापगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र को पुनः स्थापित कर बीते 25 वर्षों से बन्द पड़े आटो ट्रैक्टर लिमिटेड ए0एल0टी0 को पुनः चालू करवा कर क्षेत्र की जनता को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय।''
3	श्री वीर विक्रम सिंह	''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में किसानों के हित हेतु उप मण्डी का निर्माण कराया जाय।''
4	श्री मनीष असीजा	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद के हृदय रोगियों के इलाज, आपरेशन आदि की सुविधा के लिये स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एक कैथलैब की स्थापना करायी जाय।''
5	श्री असीम कुमार	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा हेतु एक राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय।''

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत 111 सूचनाएं प्राप्त हुईं। मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ कि इतनी सूचनाएं लगाते हैं। लेकिन मेरे पर थोड़ा-सा दबाव कम बनायें, क्योंकि केवल 20 सूचनाएं लेनी हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 30 कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अपना तो कुछ किया नहीं, सब मेरे से करवा लेना चाहते हैं।

पहली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की प्रदेश में डी0एल0एड0 कॉलेज के सम्बद्धता पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार की जनपद बागपत, ग्राम बाछौड़ में पुलिस की दबिश से

उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डॉ0 रागिनी की जनपद जौनपुर में गल्ला मण्डी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री योजना के तहत कतिपय सड़कों की मरम्मत के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा 'एडवोकेट' की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र-गौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में है, तथा दूसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर के उर्सला अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन व अन्य जांच उपकरण लगाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी व श्री कविन्द्र चौधरी की प्रदेश में फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्रों की मान्यता निरस्त किये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रुड़की में सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री ओमप्रकाश सिंह की यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के प्रबन्ध निदेशक के स्थानान्तरण के संबंध में है, चौथी सूचना श्री विरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर में पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव में नगर विकास विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत 'गुड्डू भैया' की जनपद महोबा में मार्ग का निर्माण व चौड़ीकरण कराने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-कटरा में मु0अ0सं0 430/21 की जांच कराये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री संजय शर्मा की जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी पर स्थायी पुल निर्माण कराने के संबंध में है, नौवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी में ससुर खदेरी नदी की खुदाई कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में सामुदायिक केन्द्र में मानक अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न विषम परिस्थिति के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में कटेहरी बाजार में नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में है तथा बारहवीं सूचना श्री रवि शर्मा की दिवयांगजनों को आधार कार्ड पंजीकरण में उत्पन्न समस्या के संबंध में है, ध्यानाकषर्ण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री सुरेश कुमार, श्री श्याम सुन्दर, श्री अंकुर तिवारी, श्री इरफान सोलंकी, श्रीमती जय देवी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री तुफानी सरोज, ई0 सचिन यादव, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री प्रसन्न कुमार, श्री तसलीम अहमद, श्री लकी यादव, श्री जियाउर्रहमान, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रमेश सिंह, श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव, मो0 हसन 'रूमी', श्री रमेश सिंह, श्री बृजेश यादव, श्री चन्द्र प्रकाश, श्री आशुतोष शुक्ल, श्री संदीप सिंह,

श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्रीमती राजाबाल सिंह, श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह, श्री बाबूलाल, श्री अरविन्द गिरि, श्री अनिल कुमार, श्री अशरफ अली खान, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री आर0 के0 वर्मा, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री राजीव तरारा, श्री नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री राम पाल वर्मा, श्री राजेश गौतम, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री विकास गुप्ता, श्री अजय सिंह, श्री भूपेश चौबे, श्री मनीष रावत, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री रवेन्द्रपाल सिंह, श्री रितेश कुमार गुप्ता, श्री शशांक वर्मा, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री चन्दन चौहान, श्री अतुल प्रधान, श्रीमती केतकी सिंह, इं0 सरवन कुमार निषाद, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री जय प्रकाश निषाद, इं0 बृजेश कठेरिया, श्री अभय सिंह, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री बेचई, श्रीमती कृष्णा पासवान, डॉ0 सुरभी, श्री पंकज मलिक, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री राजेश त्रिपाठी, श्री राम अचल राजभर, श्री जियाउर्रहमान, श्री विनय प्रकाश गोंड, श्री जगदीश नारायण राय, डॉ0 मुकेश वर्मा, श्री राकेश पाण्डेय, डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री बम्बा लाल, श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव, श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, श्री राहुल राजपूत, श्री प्रदीप द्विवेदी, श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भैया', श्री कमलकान्त राजभर, श्री संग्राम सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री गणेश चन्द्र, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री अनिल मौर्य।

बांदा वाया कानपुर मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

बांदा वाया कानपुर (चिल्ला, ललौली, बिन्दकी, चौडगरा) में बांदा से चौडगरा तक का भाग...

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जितिन प्रसाद-

[लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद बांदा एवं फतेहपुर में पड़ता है। जनपद बांदा में इस मार्ग की लम्बाई 41.637 कि0मी0 आती है जिसमें से 23.637 कि0मी0 चार लेन एवं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

18 कि0मी0 लम्बाई 2 लेन चौड़ी है। 2 लेन मार्ग को 4 लेन चौड़ीकृत किये जाने की अनुमानित लागत रुपये 350.00 करोड़ है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में उक्त कार्य के अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बांदा के उक्त भाग में 10 कि0मी0 लम्बाई में 4 लेन चौड़े भाग एवं 8.837 कि0मी0 लम्बाई के 2 लेन चौड़े भाग का नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है। इन भागों में मार्ग की राइडिंग क्वालिटी भी खराब है। स्वीकृत लम्बाई में गड्ढों की मरम्मत कराते हुए नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है, जिसे दिनांक 03-08-2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् राइडिंग क्वालिटी अच्छी हो जायेगी। जनपद बांदा में आने वाली शेष लम्बाई पैचलेस एवं यातायात हेतु सुगम है।

जनपद फतेहपुर में उक्त मार्ग के संरेखण पर तीन मार्ग चिल्ला से बहुआ (अ0जि0मा0) लम्बाई 7.10 कि0मी0, फतेहपुर-बहुआ हिनौता (रा0मा0 संख्या-170) लम्बाई 13.20 कि0मी0, शिवराजपुर-बिन्दकी-ललौली मार्ग (प्र0जि0मा0 सं0-15) लम्बाई 18.88 कि0मी0 जिनकी कुल लम्बाई 39.180 कि0मी0 है, यह सभी मार्ग दो लेन (7.00 मी0) चौड़े मार्ग हैं। भारी यातायात के कारण यह मार्ग क्षतिग्रस्त होता रहता है जिसे मरम्मत कराकर यातायात चालू रखा गया है। 4 लेन चौड़ीकरण हेतु आवश्यक पी0सी0यू0 न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में मात्र सुदृढ़ीकरण हेतु उक्त मार्गों को शामिल किया गया है।

चौडगरा से कानपुर तक का मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 4 लेन चौड़ाई में निर्मित एवं यातायात हेतु सुगम है।]

जनपद-मुरादाबाद के जनपदीय अधिकारियों को आवासीय भवन के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्राधिकारी बिलारी...

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[वर्तमान में चीनी मिल बिलारी के गेस्ट हाउस में निवास कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी बिलारी के आवास हेतु भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी, मुरादाबाद/उप जिलाधिकारी,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिलारी से समन्वय स्थापित कर की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के आवासीय भवन हेतु थाना कोतवाली बिलारी पसिर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। थाने के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर धनावंटन की अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उक्तानुसार अवगत होना चाहें।]

श्री मौ0 फहीम इरफान-

मान्यवर, मैं मद संख्या-62 पर कुछ बोलना चाहता हूँ।

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि बड़े काबिले एहतराम मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। विधान सभा बिलारी में बड़ी समस्या यह है कि कोई भी प्रशासनिक भवन हमारे यहां नहीं बना हुआ है। हमारे यहां एस0डी0एम0 साहब हों, तहसीलदार साहब हों या सी0ओ0 साहब हों या कोतवाल साहब हों या हमारे यहां नायब तहसीलदार साहब हों, कोई भवन हमारे यहां बना हुआ नहीं है। हालात यह है कि कुछ लोग तो गेस्ट हाउस में रुकते हैं और कुछ लोग किराये के मकान में रुकने की कोशिश करते हैं और हमारे बिलारी का थाना भी पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद भी वहां कार्य सुचारु रूप से चालू नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था होती है। चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश हुआ है कि सभी तहसीलदार साहब, एस0डी0एम0 साहब, सी0ओ0 साहब, कोतवाल साहब को हेडक्वार्टर्स में रहना है। इन व्यवस्थाओं में वह कैसे रहें। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे इसके लिए कम से कम कुछ टाईम बाउण्डेशन कर दें। एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमारे वालिद-ए-मोहतरम हाजी इरफान साहब ने अपने प्रस्ताव पर अग्निशमन केन्द्र बनवाया था, उस अग्निशमन केन्द्र का जब उद्घाटन हुआ तो एक विधायक होने के नाते हमको उसमें नहीं बुलवाया गया। इसलिए मैं यह भी चाहूंगा कि इस तरह की योजनाओं में अगर कोई काम करना चाहे या हम करना चाहें तो उसमें आपके माध्यम से इस तरीके का आपकी तरफ से निर्देश भी हो जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से अदब से गुजारिश करूंगा कि बिलारी में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एस0डी0एम0 साहब को रुकने की व्यवस्था नहीं है, सी0ओ0 साहब को रुकने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां पर तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए रात-रात भर हम लोग भी लगातार फोन करते हैं। मुख्य मंत्री जी का इस तरह का एक सराहनीय कदम है कि क्योंकि जो मुरादाबाद से आते हैं तो वह मुरादाबाद वापस नहीं जायेंगे, बिलारी पर ही रहेंगे। उस क्रम में मैं मा0 मंत्री जी से और मा0 अध्यक्ष जी आपसे गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी हमें केवल यह बता दें कि यह हमारे जो आवास हैं यह कब तक बनेंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है और थाने में न बैरक है, न महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है, न कैदियों को रोकने की व्यवस्था है और न ही कोई और व्यवस्था है। मा0 मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसका जवाब दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 विधायक जी ने यह जो बताया है तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यह शासनादेश है कि क्षेत्रीय विधायक को इस प्रकार के कार्यक्रमों में जरूर आमंत्रित किया जाये और इसको हम जरूर दिखवा लेंगे कि आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाये। यह सभी लोगों के लिए है। जहां तक आपने थाने की जमीन की बात की है, उस जमीन को दिखवाना पड़ेगा कि जमीन उपयुक्त है और अगर है तो कहां तक उपयुक्त है और तभी हम इसके बारे में कह पायेंगे। आपने जो बात कही, विधायकों के सम्मान की, हम इसके लिए अलग से इन्स्ट्रक्शन जारी कर देंगे। आज हमने सुबह भी एक बात कही थी और अभी भी कि क्षेत्रीय विधायकों को पूरे सम्मान के साथ जरूर बुलाना चाहिए।

श्री मौ0 फहीम इरफान-

मा0 मंत्री जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि थाने में जगह बहुत कम है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। आप उसका टाईम बाउण्ड चाहते हो कि इतने समय में बन जाये। यह अभी हम कैसे कह सकते हैं कि जमीन उपलब्ध हो जायेगी ? इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री मौ0 फहीम इरफान-

बहुत-बहुत शुक्रिया मान्यवर।

जनपद बरेली में दूषित जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि नगर पालिका परिषद, फरीदपुर, बरेली नगर क्षेत्र की आबादी उत्तर दिशा में नेशनल हाई-वे...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन तथा पश्चिम दिशा में नहर के मध्य में स्थित है। जिस कारण जल निकासी पूर्ण रूप से नगर क्षेत्र के बाहर नहीं हो पा रही है। बरसात में कुछ वार्डों

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है तथा कुछ स्थान सड़क से काफी नीचे हो गये हैं, परिणामस्वरूप नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।

आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के साथ ही नाला-नालियों की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-400/नौ-7-2021-27(ज)/2014 टी0सी0, दिनांक 10-04-2022 एवं शासनादेश संख्या-455/नौ-7-2021-27(ज)/2014 टी0सी0, दिनांक 25-04-2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

वर्तमान में नगर पालिका परिषद, फरीदपुर, बरेली द्वारा नगर की जनता को जलभराव से निजात दिलाने हेतु पालिका क्षेत्र में सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार नालों का निर्माण कराया गया है तथा नियमित रूप से नालों की तलीझाड़ सफाई का कार्य भी युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। जिन वार्डों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, उनमें पम्पिंग सेट लगाकर एक नाले से दूसरे नाले में पानी को डालकर क्षेत्र से बाहर जल निकासी की जाती है। बरसात के पानी को संग्रहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में स्थित तालाबों की खुदाई भी करा दी गयी है।

नगर पालिका परिषद्, फरीदपुर, बरेली में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0 में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान के अन्तर्गत नालों का इण्टरसेप्शन एवं डायवर्जन तथा एस0टी0पी0/एस0टी0पी0 कम एफ0एस0टी0पी0 की कार्य योजना प्रस्तावित है।]

जनपद सहारनपुर के मेडिकल कालेज में सुविधाएं दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 23-04-2022 एवं पत्र दिनांक 14-03-2022 के द्वारा ई0सी0आर0पी0-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में एक नग एम0आर0आई0 मशीन, एक नग

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सी0टी0 स्कैन मशीन तथा 02 नग अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में नवस्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित नहीं है, ऐसी स्थिति में कैथलैब की उपलब्धता नहीं है। निकटवर्ती राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में पी0एम0एस0एस0वाई योजना के अन्तर्गत कॉर्डियोलॉजी विशिष्टता संचालित है, जिसमें कैथलैब स्थापित है।

2-राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर एक नवस्थापित राजकीय मेडिकल कालेज है, जिसमें आवश्यक चिकित्सकीय उपचार की सुविधाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं। एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार वर्तमान में जिन विभागों की आवश्यकता है, वह मेडिकल कालेज में संचालित है। न्यूरोसर्जरी सुपर स्पेशियलिटी विशिष्टता का विभाग है, जोकि मेडिकल कालेज में उपलब्ध नहीं है। जनहित में मेडिकल कालेज में न्यूरोसर्जरी से सम्बन्धित मरीजों को जनरल सर्जरी विभाग में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षकों से समुचित उपचार कराया जाता है।]

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु श्री सुरेन्द्र मैथानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

[स्वीकृत 'कानपुर पेयजल योजना फॉर इनर ओल्ड एरिया 'फेज-1' जिसमे गोविन्द नगर का प्रश्नगत क्षेत्र भी सम्मिलित है, के अन्तर्गत प्रस्तावित 700 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 27000 कि0ली0 सकल क्षमता के 14 नग शिरोपरि जलाशय, 200 एम0एल0डी0 क्षमता का जलशोधन संयंत्र, 51.60 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमैन, 38 नग जोन पम्पिंग स्टेशन, 400 एम0एल0डी0 क्षमता प्रत्येक के 02 नग रॉ-वाटर पम्प हाउस एवं अन्य अनुषांगिक कार्य कराये जाने प्रस्तावित थे। योजना में प्राविधानित कार्यों के सापेक्ष जलशोधन संयंत्र, रॉ-वाटर पॅम्प हाउस, शिरोपरि जलाशय आदि प्रमुख कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 700 कि0मी0 के सापेक्ष

618 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है। 51.60 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन के सापेक्ष 44.34 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन बिछायी जा चुकी है, 38 नग में से 36 नग जोनल पम्पिंग स्टेशन के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। इस तरह योजना के प्राविधानित कार्यों में से 112 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 02 नग जोनल पम्पिंग स्टेशन का नवीनीकरण, 02 नग जोनल पम्पिंग स्टेशन की 700 मीटर क्लीयर वाटर फीडरमैन एवं जी0आर0पी0 फीडरमैन के सुदृढ़ीकरण के मुख्य कार्य अवशेष रह गये हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा उक्त योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने एवं योजना को शत-प्रतिशत क्रियान्वित किये जाने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन लागत रुपये 644.91 करोड़ (अवशेष कार्यों की लागत रुपये 250.98 करोड़) स्वीकृतार्थ शासन को उपलब्ध करया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वर्तमान में उक्त योजना के कार्यों में से गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र में 09 नग जेड0पी0एस0 गोविन्दनगर, ऊंचा पार्क, पीली बिल्डिंग, फजलगंज, दबौली, सरायमिता, दादा नगर, रतनलाल नगर एवं गुजैनी में, 6 नग शिरोपरि जलाशय एवं 75 कि0मी0 वितरण प्रणाली क्रियाशील है। 23.67 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाना शेष है।

योजना के विरचन के उपरान्त नगर क्षेत्र में हुई आबादी की वृद्धि तथा नव विकसित बस्तियों के बढ़ने से अद्यतन कानपुर महानगर की समग्र जलापूर्ति व्यवस्था हेतु अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सिटी वाटर एक्शन प्लान अनुमानित लागत रुपये 1810.00 करोड़ विरचित किया गया है, जिसके अन्तर्गत गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र सहित कानपुर महानगर की समस्त असेवित बस्तियों को पेयजल की सुविधा से लाभान्वित किये जाने हेतु सम्यक् प्रावधान किये गये हैं। उपरोक्त धनराशि रु0 1810.00 करोड़ में प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित अवशेष धनराशि रु0 250.98 करोड़ भी सम्मिलित है, जिसमें से गोविन्द नगर क्षेत्र हेतु लगभग रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।]

विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम कताना से जेड़ाझाल तक खारजा नहर की

सफाई कराने विषयक श्री सचिन यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जलशक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद में ब्रिटिश काल में निर्मित ऊपरी गंगा नहर नानऊ के पास से डाउन स्ट्रीम...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(जलशक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[में इटावा शाखा थी, जो निचली गंगा नहर बन जाने के बाद नानऊ से जेड़ाझाल तक खारिज कर दी गयी थी। इस कारण से खारजा नहर में सिंचाई हेतु पानी का संचालन नहीं किया जाता है। नानऊ से जेड़ाझाल के मध्य कृषि कमाण्ड क्षेत्र में सप्लाई चैनल एवं सुहावली राजवाहा से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इटावा स्टम्प (खारिज नहर) जेड़ाझाल के पास निचली गंगा नहर में मिलती है। इस खारिज नहर में केवल वर्षा का पानी गांवों से एकत्रित होकर बहता है, जो निचली गंगा नहर में मिल जाता है।

विगत 24 जुलाई, 2021 की रात्रि में अत्यधिक वर्षा होने तथा निचली गंगा नहर पूर्व से पूर्ण क्षमता से संचालित होने पर खारिज नहर के वर्षा का पानी निचली गंगा नहर में पूर्ण रूप से पास न होने से अल्प समय के लिए खेतों में पानी एकत्रित हो गया था, जो अगले दिन नहर के हेड (नरौरा से) पानी कम देने पर निचली गंगा नहर से निकल गया था। खेतों में जलभराव से हुई क्षति का मुआवजा जिला प्रशासन की राजस्व टीम द्वारा सर्वे उपरान्त क्षति का मूल्यांकन कर दिया जाता है। वर्षाकाल से पूर्व खारजा नहर की ग्राम कताना से जेड़ाझाल तक सफाई करायी जानी प्रस्तावित है।]

जनपद गाजीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद में नव निर्मित ट्रॉमा सेण्टर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुहेब उर्फ मन्नू अन्सारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत तहसील मोहम्मदाबाद में ट्रॉमा सेण्टर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ट्रॉमा सेण्टर, मोहम्मदाबाद में बेड साइट लाकर, आई0वी0 स्टैण्ड, बी0पी0 मशीन, स्टैथोस्कोप, आई0सी0यू0 बेड, फोलर बेड, बेड साइट मानीटर, सक्शन मशीन, कोटरी मशीन, टर्नक्वीट मशीन/उपकरण उपलब्ध है। ट्रॉमा सेण्टर में मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं स्टाफ

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का सृजन किया जा चुका है। ट्रॉमा सेण्टरों में मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर मानव संसाधन की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 27 मई, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(तारांकित प्रश्न सं0-08 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 36-37 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री महबूब अली, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का संलग्नक।

Email **Computer Cell Lucknow**

Fwd: Information required from UP Transport department

From : Piyush Srivastava <piyush.srivastava@nic.in> Wed, May 18, 2022 10:51 AM
Subject : Fwd: Information required from UP Transport department 1 attachment
To : Computer Cell Lucknow <cctco-up@nic.in>

From: "Niraj Kumar" <support.up-vahan@nic.in>
To: "Piyush Srivastava" <piyush.srivastava@nic.in>, "khan imroz688" <khan.imroz688@gmail.com>
Cc: "Sarbjeet Singh" <singh.sarbjeet@nic.in>, "PMU Transport" <pmutransport@nic.in>, "Sudhanshu Saxena" <sudhanshu.saxena@nic.in>
Sent: Tuesday, May 17, 2022 7:07:27 PM
Subject: Re: Information required from UP Transport department

Respected Sir,

I am sending you data as you want.

Table A (In Excel) -

Regn No. of vehicles registered in Agra (UP80) whose pollution certificate has expired on 30.04.2022	Regn No. of vehicles registered in Agra (UP80) whose insurance has expired on 30.04.2022
Excel Attached(PFA)	[illegible] please [illegible] data

Table B -

Total No vehicles (count) in UP having ownership as 'Central government' or 'State government' till 31.03.2022	Out of vehicles in Column 1, total no. of vehicles (count) whose pollution certificate was valid till 31.03.2022
1	2
60545	**6136(Old Case)+1955(New Regn)=8091**

@Imroz Ji - please provide data from insurance company database for UP80 office.

पी0एस0यू0पी0-एल0-292 विधान सभा (555)-31-03-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।